सर्व शिक्षा अभियान

जनपद- बलरामपुर।

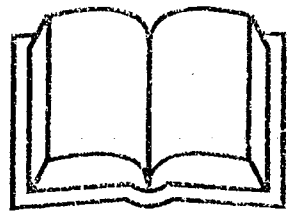

वार्षिक कार्य योजना तथा बजट

वर्ष 2002-2007

अनुक्रमणिका

बलरामपुर

अध्याय सं०	विवरण	पृष्ठ सं०
1.	जनपद की पृष्ठभूमि	1–5
2.	शैक्षिक परिदृश्य	6–23
3.	नियोजन प्रक्रिया	24–45
4.	सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य	46–50
5.	समस्याएं एवं रणनीति	51–55
6.	शिक्षा की पहुंच का विस्तार	56–62
7.	शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार	63–113
8.	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम	86–113
9.	गुणवत्ता संवर्द्धन	114–164
10.	परियोजना क्रियान्वयन एक अनुश्रवण	165–194
11.	कुल परियोजना लागत	187–192
12.	वर्ष 03–04 का वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	193–196

जनपद–बलरामपुर एक दृष्टि में

• क्षेत्रफल	–	2949 वर्ग कि०मी०
• कुल जनसख्या		1684567
• कुल जनसंख्या पुरुष	–	888559
• कुल जनसंख्या महिला		796008
• अनुसूचित जाति जनसंख्या		241217
• अनुसूचित जाति पुरुष जनसंख्या		120[illegible]
• अनुसूचित जाति महिला जनसंख्या		[illegible]0960
• कुल साक्षरता दर	–	36.71 प्रतिशत
• कुल साक्षरता दर पुरुष	–	46.28 प्रतिशत
• कुल साक्षरता दर महिला	–	21.58 प्रतिशत
• कुल तहसील	–	3
• कुल विकास खण्ड	–	9
• डिग्री कालेज	–	4
• माध्यमिक विद्यालय	–	40
• परिषदीय प्राथमिक विद्यालय		949
• परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	–	170
• मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय		17[illegible]
मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय		55
• [illegible]		[illegible]
• [illegible]		[illegible]
• आँगनबाड़ी केन्द्र		[illegible]

अध्याय–1

जनपद की पृष्ठभूमि

नव सृजित मण्डल देवी पाटन में स्थित जनपद–बलरामपुर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है॥ जिसकी अर्न्तराष्ट्रीय सीमा नेपाल देश को स्पर्श करती है।

नव सृजित जनपद–बलरामपुर का गठन 22 मई, 1997 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस जनपद को पूर्व जनपद – गोण्डा की तीन तहसीलें–बलरामपुर, तुलसीपुर एवं उतरौला को मिलाकर बनाया गया है। इसके उत्तरी ओर नेपाल राज्य पूरब की ओर सिद्धार्थनगर जनपद दक्षिण की ओर गोण्डा और पश्चिम की ओर नव सृजित श्रावस्ती जनपद–स्थित है। भौगोलिक द्वष्टि से इस जनपद की उत्तरी सीमा पर हिमालय की पहाडियां है व दक्षिण छोर पर कुआनो जंगल व सुँआव नदी है। वैसे बलरामपुर पूर्व जनपद की अति महत्वपूर्ण तहसील रही है। सन् 1962 से यहाँ अनवरत 'जिला बनाओ ' अभियान जारी रहा तथा देश के चोटी के नेता बलरामपुर पधार कर इसे तत्काल जिला बनाने के महत्व को बताते रहे।

यह जनपद श्रावस्ती एवं सिद्ध पीठ देवी पाटन के समीप होने के कारण काफी चर्चित है। श्रवस्ती गौतमबुद्ध की वह पावन तपस्थली है। जहाँ उन्होने 24 वर्ष तक अध्यात्मिक साधना की थी यही पर अंगुलिमाल जैसे दुर्दान्त दस्यु का हृदय परिवर्तन हुआ था।

जनश्रुति के अनुसार बलरामपुर नगर की स्थापना जनवार क्षत्रिय राजा माध व सिंह ने अपने पुत्र बलरामशाह के नाम पर 1508 में की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि फिरोज तुगलक के साथ आये वरियार शाह के वंशज सिहं ने बलरामपुर रियासत की नीवं डाली थी।

सन् 1856 में ब्रिटिश अमल दारी के अर्न्तगत गोण्डा एक पृथक जिला बनाया गया और फरवरी 1856 में बलरामपुर को तहसील का दर्जा दिया गया। सन् 1900 के आस पास बलरामपुर को ताल्लुक का दर्जा दिया गया जिसके पश्चात यह तहसील में बदल गया जमीदरी उन्मूलन के पूर्व यह बलरामपुर स्टेट का क्षेत्र रहा है।

जनपद बलरामपुर में तीन तहसील एवं 09 विकास खण्ड है ये तहसीले है 1. बलरामपुर 2. तुलसीपुर 3. उतरौला ।

बलरामपुर तहसील में 02 विकास खण्ड, तुलसीपुर तहसील में 03 विकास खण्ड एवं उतरौला तहसील में 04 विकास खण्ड है। इस प्रकार जिले में कुल 09 विकास खण्ड है जो निम्न है।

1. बलरामपुर 2. हैंयासतघरवा 3. तुलसीपुर 4. गैसड़ी 5. पचंपेड़वा 6. उतरौला 7. श्री दत्तगंज 8. गैडास बुर्जग 9. रेहरा बाजार उपरोक में प्रथम दो विकास खण्ड – बलरामपुर सदर तहसील में व उसके बाद तीन विकास खण्ड तुलसीपुर तहसील में एवं अन्तिम चार उतरौला तहसील में आते हैं।

इस जिले में कुल 101 न्याय पचायते 667 ग्राम पंचायते और 1021 राजस्वग्राम है जिसमें 09 वन ग्राम भी सम्मिलित है। इससें से 1004 आवाद ग्राम जिसमें 06 वन ग्राम है और 17 गैर आवाद ग्राम है। जिसमें 03 वन ग्राम भी शामिल है।

सारणी 1.1

जिले की प्रशासनिक इकाइयों

तहसील	03
विकास खण्ड	09
न्याय पंचायत	101
ग्राम समाएं	667
राजस्वग्राम	1021
बस्तियों की सं०	3156
नगर निगम	04
नगर क्षेत्र	–
नगर महापालिका–	
नगर पालिका	02
टाऊन एरिया	02
वार्ड	132

स्रोत–सांख्यिकी की पत्रिका जनपद–बलरामपुर 1999

पूर्व में शिक्षा :– बलरामपुर चूँकि अंग्रेजी शासन काल में एक रियासत रही है। यहाँ रियासता के शासकों के अधीन शिक्षा की कोई विशेष व्यवस्था नही रही है। उत्तर प्रदेश के अन्य रियाससती राज्यों की ही तरह यहाँ भी वैसे ही शिक्षा ही व्यवस्था थी, कोई विशेष परिवर्तन नही दृष्टि गोचर होता है। 1955 में यहाँ उच्चशिक्षा के नाम पर महारानी लाल कुँवार महा विद्यालय की स्थापाना हुई थी ।

जनपद–बलरामपुर की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है जनपद में दो चीनी मिलें – बलरामपुर नगर व तुलसीपुर में स्थित हैं। जनपद में मुख्य रूप से धान , गेंहू , मक्का , मसूर की खेती होती है। नगदी फसल में गन्ना का प्रथम स्थान है। जनपद में उपलब्ध आँकड़ो के अनुसार सबसे अधिक उत्पादन धान फसल का है।

जनपद–बलरामपुर नदियों सहित छोटे–बड़े नालों से परिपूर्ण है। राप्ती नदी जनपद के पश्चिम में विकास खण्ड बलरामपुर में गंगा बक्स के पास प्रवेश करती हुई विकास खण्ड गैसड़ी के ग्राम कठेर तक जनपद में बहती है। कुआनो नदी जनपद की दक्षिण सीमा से प्रवेश कर पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। इसके अतिरिक्त तराई क्षेत्र में खरझार ,करनी, भाँभर, बरूणा तथा अर्रा जैसे अनेक छोटे–छोटे नाले उत्तर से दक्षिण की ओर बहते है। इन नदी नालों में वर्षा ऋतु में बाढ़ आ जाती है। जनपद में प्रति वर्ष बाढ़ ग्रस्तता की समस्या उत्पन्न होती है। जनपद शैक्षिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। जनपद की उत्तरी सीमा वनाच्छादित है जनपद में वन का क्षेत्रफल अधिक है। वनो में सागौन,साखु,शीशम,जामुन आदि वृक्षों की बहुतायत है। इसके अतिरिक्त वनों से जलाने की लकड़ी, जड़ी बूटियां, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध होता है।

<u>जनसंख्या</u>

1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 13.68 लाख है इसमें 7.33 लाख पुरूष तथा 6.35 लाख महिलाएं है। जनपद में पुरूष महिला अनुपात 54:46 है। बलरामपुर जनपद में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 195809 है जो कुल आबादी का 14.32 प्रतिशत है। जनपद में कुल 15126 अनु० जन जाति के लोग है। दस वर्षो में जनपद की जनसंख्या वृद्धिदर 23.19 रही है ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 91.6% है तथा नगर की जनसंख्या 8.4% है। बलरामपुर जनपद मुख्य रूप से मिश्रित आबादी वाला जिला है। जिसमें 74% हिन्दू तथा 25.7% मुस्लिम एवं 3% अन्य धर्मावलंबी है।

सारणी 1.2

विकास खण्ड वार/नगर क्षेत्र वार संख्या

क्र.	नाम	1991 की जनसंख्या						2001 की अनुमारित जनसंख्या					
		कुल जनसंख्या			अनु0जाति की कुल जनसंख्या			कुल जनसंख्या			अनु0जाति की कुल जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	बलरामपुर	[illegible]06642	89557	196199	21532	17674	39206	131372	110325	241697	26525	21773	48298
2.	हरैया सतघरवा	89596	72745	162341	16056	13082	23128	110373	89164	199987	19779	16116	35895
3.	तुलसीपुर	88208	74016	162224	11523	9302	20825	108663	91180	199843	13853	11781	25654
4.	गैसड़ी	83560	70584	154144	12646	10518	23164	102937	86952	189889	15409	13127	28536
5.	पचपेड़वा	71549	62175	133724	9211	7611	16022	88957	75778	164735	10658	9080	19738
6.	उतरौला	52822	49305	102127	8034	7067	15101	67938	57872	125810	10046	8557	18603
7.	श्रीदत्तगंज	56699	51797	108496	6222	5695	12317	72174	61482	133656	8193	6780	15173
8.	गैड़ासबुजुर्ग	50967	46155	97122	8462	7269	15731	64406	55037	119645	10465	8914	19379
9.	रेहराबाजार	70941	64951	135892	8829	7695	16524	90399	77006	167405	10992	9364	20356
10.	वनग्राम	691	531	1222	26	17	43	812	693	1505	29	24	53
	योग	671675	581816	1253491	102941	85930	188871	833860	710332	1544185	125642	107028	232670
11.	नगर क्षेत्र	61177	53962	115139	36470	3291	6938	76593	65247	141840	4315	3932	8547
	जनपद का योग	732852	635778	1368630	106541	89221	195809	910448	775567	686015	130257	110960	241217

नोट: वर्ष 2001 की जनगणना का आकड़ा Projected है। जो जनपद की जनसंख्या में 10 वर्ष में हुई वृद्धि 24 प्रतिशत वृद्धि पर आधारित है।

अध्याय–२

शैक्षिक परिदृश्य

इस जनपद में सितम्बर 97 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (D.P.E.PII) परियोजना चल रही है। जिससे शिक्षा की पहुँच का विस्तार, ठहराव, गुणवत्ता में वृद्धि तथा प्रबन्ध क्षमता में विकास के विशिष्ट उद्देश्य रखे गये है। इस परियोजना में सभी वर्गो का शत प्रतिशत नामांकन ठहराव व गुणवत्ता में समुचित वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है इस कार्य में तीव्रतर गति लाने के उदेश्य से सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ इस जिले में करने की योजना है।

1991 की जनगणना के अनुसार जिले की साक्षरता दर 23.7 प्रतिशत है जिसमें महिलाओं की की साक्षरता दर 11.2 प्रतिशत है। तथा पुरूषों की साक्षरता दर 34.4 प्रतिशत है। जबकि 2001 की जनगणना (अनुमनित) के अनुसार जिले की कुल साक्षरता दर 28% जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 17.2% तथा पुरूषों का साक्षरता 37.54% है इस तरह जनपद की साक्षरता में इस दस वर्षों में 4.3% की वृद्धि हुई है। पुरूष साक्षरता में 3.14% की वृद्धि हुई तथा महिला साक्षरता 6% की वृद्धि हुई है। विकास खण्ड वार विवरण सारणी 2.2 में दिया गया है।

साक्षरता सम्बन्धी विवरण तुलनात्मक रूप से 2.1 में दिया गया है। तथा विकास खण्ड वार विवरण तुलनात्मक रूप से 2.2 में दिया गया है।

सारणी 2.1 A

1991

कुल साक्षरता	–	23.7 प्रतिशत
ग्रमीण साक्षरता	–	20.7 प्रतिशत
नगरीय साक्षरता	–	56.3 प्रतिशत
कुल पुरूष साक्षरता	–	34.4 प्रतिशत
कुल महिला साक्षरता	–	11.2 प्रतिशत

सारणी 2.1 B

2001

कुल साक्षरता	–	28%
ग्रमीण साक्षरता	–	25.70%
नगरीय साक्षरता	–	53.5%
पुरूष साक्षरता	–	37.54%
महिला साक्षरता	–	17.2%

	पुरूष	महिला	योग
ग्रामीण साक्षरता	31.5	8.1	20.7
नगरीय साक्षरता	66.9	44.1	56.3

	पुरूष	महिला	योग
ग्रामीण साक्षरता	36.58	14.68	25.770
नगरीय साक्षरता	60.01	46.16	53.005

नोटः– 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 28 प्रतिशत है पुरूष साक्षरता दर 37.54 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 17.2 प्रतिशत है।

विकास खण्ड वार साक्षरता दर

सारणी 2.2 A

1991 की जनगणना के आधार पर

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	साक्षरतादर		
		पुरूष	महिला	कुल
(1)	बलरामपुर	35.5	9.9	24
(2)	हर्रैय्यासतघरवा	26.8	4.8	17
(3)	तुलसीपुर	25.8	7.2	17.4
(4)	गैसड़ी	27.7	7.2	18.2
(5)	पचपेड़वा	34.0	8.7	22.3
(6)	उतरौला	33.4	7.7	21
(7)	श्री दतगंज	32.8	7.8	21
(8)	गैण्डास बुजुर्ग	32.6	9.8	21.9
(9)	रेहरा बाजार	37.7	10.4	24.7
(10)	वन क्षेत्र	37.6	3.1	23.6
(11)	नगर क्षेत्र	66.9	44.1	56.3
	कुल साक्षरता	34.4	11.2	23.7

सारणी 2.2 B

2001 की जनगणना के आधार पर साक्षता दर

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	साक्षरतादर		
		पुरूष	महिला	कुल
	बलरामपुर	39.35	17.39	30.03
(2)	हर्रैय्यासतघरवा	32.12	08.94	21.46
(3)	तुलसीपुर	30.26	11.85	21.76
(4)	गैसड़ी	31.98	12.47	22.9
(5)	पचपेड़वा	36.05	14.8	26.04
(6)	उतरौला	39.37	16.59	28.17
(7)	श्री दतगंज	37.7	14.64	27.87
(8)	गैण्डास बुजुर्ग	32.87	10.64	28.4
(9)	रेहरा बाजार	41.46	18.34	30.16
(10)	वन क्षेत्र	46.64	8.3	31.19
(11)	नगर क्षेत्र	60.1	61.1	46.14
	कुल साक्षरता	37.54	17.2	28%

नोटः– यह साक्षरता वृद्धि विगत दस वर्षों में हुई औसत साक्षरता वृद्धि 5.3% की दर पर अनुमानित है।

2001 की जनगणना के आधार पर तहसील वार साक्षरता दर

क्र०सं०	तहसील का नाम	पुरूष	महिला	कुल
(1)	बलरामपुर	36.7	14.15	26.38
(2)	तुलसीपुर	32.46	12.9	23.35
(3)	उतरौला	38.08	16.9	27.64
(4)	नगर क्षेत्र	60.1	61.8	46.14

स्रोत– 2001 की जनपद की projected जनसंख्यां वाले विकास खण्ड़ो में सबसे कम साक्षरता दर वाला विकास खण्ड हर्रैय्यासतघरवा व सबसे अधिक साक्षरता दर वाला खंण्ड – रेहरा बाजार है जनपद की महिला साक्षरता दर 17.2 के सापेक्ष महिला साक्षरता की न्यूनतम दर वाला विकास खंड हर्रैय्यासतघरवा है (8.94)। सबसे अधिक महिला साक्षरतादर रेहरा बाजार विकास खण्ड (18.34) है।

सारणी – 2.3

क्र० स०	विवरण	परिषदीय / शासकीय			मान्यता प्राप्त विधालय			कुल योग			गैर मान्यता प्राप्त		
(1)	प्राथमिक विधालय	935	20	955	107	37	144	1012	57	1099	426	26	152
(2)	माध्यमिक विधालय से संवह प्राइमरी विधालय	– 1	– 2	– 3	–	–	– 1	– 2	– 3	–	–	–	–
(3)	उच्च प्राथामिक विधालय	192	05	1 97	34	11	45	226	16	232	15	02	17
(4)	माध्यमिक विधालय से संवह उच्च प्राथामिक विधालय	03	01	04	25	10	35	28	11	39	–	–	–
(5)	केन्द्रीय विधालय	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
(6)	नवोदय विधालय	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
(7)	हाईस्कूल	03	01	04	16	–	16	19	01	20	–	–	–
(8)	इण्टरमिडिएट	–	–	–	09	10	19	09	10	19	–	–	–
(9)	डिग्रीकालेज	01	–	01	–	02	02	01	02	03	–	–	–
(10)	स्नातकोत्तर महाविधालय	–	–	–	–	01	01	–	01	01	–	–	–
(11)	विश्वविधालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(12)	तकनीकी संस्थान आ० टी०आई० / पालीखेन्नीन	01	–	01	–	–	–	01	–	01	–	–	–
(13)	कमप्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(14)	आगनवाड़ी केन्द्र	1260	–	1260	–	–	–	1260	–	1260	–	–	–
(15)	मकतब मदरसे	–	–		15	02	17	15	02	7	200	20	220
(16)	संस्कृत पाठशल	–	–	–	–	03	03	–	03	03	–	–	–
(17)	विकलांग बच्चों हेतु संस्थाए	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(18)	बाल श्रमिक विधालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(19)	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(20)	बी०आर०सी०	09	–	09	–	–	–	09	–	09	–	–	–
(21)	एन०पी०आर०सी०	101	–	101	–	–	–	101	–	101	–	–	–

स्रोत – जनपदीय सामाजिक – आर्थिक समीक्षा पत्रिका–जनपद बलरामपुर 1999 – 2000

शिक्षकों की उपलब्धता – (परिषदीय विद्यालय)

जनपद में परिषदीय प्राथमिक विधालयों एवं उच्च प्रथमिक विधालयों में शिक्षको के स्वीकृत पद, कार्यरत संख्या, रिक्त पद एवं शिक्षा मित्रों की संख्या सारणी 2.4 में निम्नवत है।

सारणी 2.4

प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दिनांक 1-7-03 की स्थिति

		कार्यरत	रिक्त	शिक्षामित्र
प्रथमिक विधालयों	2861	1047	1814	1243
उच्च प्रथमिक विधालयों	461	284	177	

स्रोत – विभागीय आँकड़े

विद्यालयों की उपलब्धता :–

जनपद में परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त विधालयों की उपलब्दता सारणी 2.5 में दर्शायी गयी है। जिसमे ऐसे ग्रामों या बस्तियों की संख्या दी गयी है जिसकी आबादी 300 से अधिक है परन्तु जहां 1कि०मी० , 1-1.5कि०मी० ,1.5 कि०मी० से अधिक दूरी पर विधालय स्थित है जिससे स्पष्ट है कि 590 ऐसे मजरे / पुरवे / बस्तियां जिनकी आबादी 300 से अधिक है तथा जिनकी 1कि०मी० की परिधि में प्रा०वि० स्थित है । इसी तरह 1208 ऐसे ग्राम व बस्तियां है जिनकी 1-1.5कि०मी० की परिधि मे विधालय है 196 ऐसे ग्राम बस्तियां है जिनकी आबादी 300 से अधिक है परन्तु जिसमे 1.5कि०मी० सें अधिक दूरी पर विधालय स्थित है। इसी तरह 240 ऐसे ग्राम बस्तियां है जिनकी आबादी 800 से अधिक है परन्तु जहॉ 3 कि०मी० से अधिक दूरी पर विद्यालय की उपलब्धता है। 994 ऐसे ग्राम व बस्तियां है जिनसे 3 कि०मी० से अधिक दूरी पर विद्यालय स्थित है। अत एवं 225 जू० हा० स्कूल और खोल दिये जायेगे तो ऐसे ग्राम व बस्तियां जिनकी आबादी 800 से अधिक है परन्तु जहॉ के बच्चें विशेष रूप से बालिकाएं 5 कि०मी० की परिधिमी से अधिक दूरी पर विद्यालय होने के कारण शिक्षा नही ग्रहण कर पाते हैं तो इससे शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकेगा।

सारणी 2.5

सेवित तथा असेवित बस्तियां (प्राथमिक विद्यालय)

	1 कि०मी० से कम दूरी पर विधालय	1 कि०मी० से अधिक किन्तु 1.5 कि मी० से कम दूरी पर विधालय उपलब्ध	1.5 कि०मी० से अधिक	प्रस्तावित प्रा० घि०/इं.जी.एस केन्द्र
ऐसे ग्राम/वस्तियों की सख्या जिनकी आवादी 300से अधिक है।	590	1308	96	80
ऐसे ग्राम/वस्तियों की सख्या जिनकी आवादी 300से अधिक है।	299	763	100	100

स्रोत – विभागीय आँकड़े

सेवित तथा असेवित बस्तियां

सारणी 2.5 (A)

	3 कि०मी० से कम दूरी पर उच्च प्रा०विधालय	3 कि०मी० से अधिक दूरी पर उच्च प्रथमिक विधालय	मानक के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विधालय
ऐसे ग्रामों/बस्तियो की संख्या जिनकी आबादी 800से अधिक है।	1009	225	225
ऐसे ग्रामों/बस्तियो की संख्या जिनकी आबादी 800से अधिक है।	1920	2	0

स्रोत – विभागीय आँकड़े

सारणी - 2.6

विकास खण्डवार सेवित तथा असेवित बस्तियां

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	ऐसी बस्तियों की आबादी जिनकी आबादी 300 से अधिक है।				
		1 किमी० से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्धता	1 से 1.5 किमी० के बीच दूरी पर विद्यालय उपलब्धता	1.5 किमी० से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्धता	प्रस्तावित नवीन प्रा० विद्यालय	आवश्यकतानुसार अतिरिक्त उच्च प्रा० विद्यालय
1	बलरामपुर	82	185	10	10	33
2	हरैया सतघरवा	81	180	11	10	31
3	पुलपतीपुर	70	161	16	11	35
4	गैसड़ी	68	165	15	14	31
5	पचपेड़वा	62	130	13	10	31
6	उतरौला	60	135	7	7	22
7	श्री दत्तगंज	59	128	8	8	18
8	गैडास बुजुर्ग	51	110	7	4	9
9	रेहरसाजार	57	114	9	6	15
	योग ग्रामीण	590	1308	96	80	225
10	नगर क्षेत्र	-				
	महायोग	590	1308	96	80	225

टिप्पणी : नगर क्षेत्र में जगह उपलब्धता न होने के विद्यालय की आवश्यकता होते हुए भी विद्यालय खोला जाना संभव नही है अतः मूल आवश्यकता 225 उच्च प्रा० वि० की है। चूंकि 2.1 के अनुपात में 345 उच्च प्रा० वि० का अनुपात बनता है परन्तु मूल आवश्यकता 225 उ० प्रा० वि० की ही है। जिनको खेल देने से समस्त ग्राम व बस्तियां सेवित को जायेगा

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता 1:2 के अनुपात पर निम्न प्रकार निकाली गई है।

	ग्रामीण	नगर
वर्तमान प्राथमिकता विघालय (ग्रामीण)	935	20
प्रस्तावित प्राथमिक (ग्रामीण)	85	-
1:2 के अनुपात में प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विघालय	510	10
वर्तमान में उपलब्ध उच्च प्राथमिक विघालय	170	05
वर्तमान में मूल आवश्यकता	225	00

नांमाकन -

जनपद – बलरामपुर में 6-11 वय वर्ग के कुल बच्चों की सं० 259368 है जिनमें से 140059 बालक एवं 119309 बालिकाएं हैं। इसी तरह 11-14 वय वर्ग में कुल संख्या 98483 है जिसमें बालकों की संख्या 53180 तथा बालिकाओं की संख्या 45302 है। इससें 6-11 वय वर्ग में प्राथमिक स्तर पंर 241213 बच्चे विद्यालय जाते है जिसमें छात्रों की सं० 130255 तथा छात्राओं की सं० 110958 है तथा 11-14 वय वर्ग में स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल सं० में से 59090 बच्चे विद्यालय जाते है जिसमें बालकों की सं० 41367 तथा बलिकाओं की संख्या 17727 है।

उपरोक्त आकडों से यह इगित होता है कि बालिकाओं की सं०का लगभग 39% ही विद्यालय जाती है इसे 2004-5 तक शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने की योजना है।

जनपद बलरामपुर के प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक वर्ष 2001-2002 की स्थित ई०एम०आई०एस के अनुसार निम्नांकित सारणी 2.7 में ही गयी है।

सारणी – 2.7

प्राथमिक विद्यालय

वर्ष	6-11 आयु वर्ग की कुल संख्या			पंजीकृत छात्र संख्या			जी०ई०आर०	अनुसूचित जाति			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग		बालक	बालिका	योग	
2001-2002	140059	119309	259368	130255	110958	241213	93%	15526	13116	28642	80%
03-04	158937	119359	278296	135980	96484	232464		28461	21894	50355	
उच्च प्राथमिक विद्यालय 11-14 आयु वर्ग के बच्चे											
2003-04	66382	46323	112706	54106	35197	89303		9431	6298	15729	

विकास खण्ड वार विवरण सारणी नं० 2.8 में दर्शाया गया है।

परिषदीय

छात्र नामांकन वर्ष 2002.03

क्र0सं	कक्षा का विवरण				[illegible]			पिछड़ी			अनुसूचित जाति			अनु.			अल्प संख्यक		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
	कक्षा-1	25605	20116	45721	25595	20115	45710	7335	5351	12686	8207	5125	13332	388	176	564	3377	1467	4844
	कक्षा-2	23635	18569	42204	23621	[illegible]	42196	6955	4939	11894	7576	4731	12307	358	163	521	3117	1354	4471
	कक्षा-3	19696	15474	35170	19692	15472	35164	5796	4116	9912	6313	3943	10256	298	135	433	2598	1128	3726
	कक्षा-4	15757	12379	28136	15755	12376	28131	4637	3293	7930	5050	3154	8204	238	108	346	2078	903	2981
	कक्षा-5	13790	10834	24624	13785	10832	24617	4059	2882	6941	4421	2762	7183	211	97	308	1820	792	2612
	योग	98483	77372	175855	98485	77360	175845	28782	20581	49363	31567	19715	51282	1493	679	2172	12990	5644	18634
	कक्षा-6	12349	8334	20683	12348	8332	20680	3305	1957	5262	2992	1112	4104	688	318	1006	1272	583	1855
.	कक्षा-7	9367	4987	14354	9365	4986	14351	2297	1122	3419	1603	782	2385	403	182	585	982	394	1376
	कक्षा-8	6551	2543	9099	6550	2447	8997	1470	979	2449	1098	495	1593	365	107	472	543	298	841
		28267	15869	44136	28263	15765	44028	7072	4058	11130	5693	2389	8082	1456	607	2063	2797	1275	4072

मान्यता

छात्र नामांकन वर्ष 2002.03

क्र0सं	कक्षा का विवरण				[illegible]			पिछड़ी			अनुसूचित जाति			अनु.			अल्प संख्यक		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
	कक्षा-1	11436	7529	18965	11436	7529	18965	2831	1702	4533	2276	1290	3566	151	64	215	1039	615	1654
	कक्षा-2	10556	6950	17506	10556	6950	17506	2613	1571	4184	2101	1191	3292	139	59	198	959	568	1527
	कक्षा-3	8797	5791	14588	8797	5791	14588	2178	1309	3487	1750	992	2742	116	49	165	799	473	1272
	कक्षा-4	7037	[illegible]	11672	7037	[illegible]	11672	1742	1047	2789	1401	794	2195	93	39	132	639	379	1018
	कक्षा-5	6161	4053	10214	6161	4053	10214	. 1526	919	2445	1226	697	1923	83	35	118	561	334	895
	योग	43987	28958	72945	43987	28958	72945	10890	6548	17438	8754	4964	13718	582	246	828	3997	2369	6366
	कक्षा-6	6182	3587	9769	6182	[illegible]	[illegible]	1583	1098	2681	862	543	1405	311	142	453	533	[illegible]	905
	कक्षा-7	4243	2432	6675	4243	2432	6675	1122	625	1747	522	314	836	232	87	319	392	223	615
	कक्षा-8	2568	[illegible]	[illegible]	2568	[illegible]	[illegible]	737	506	1242	443	234	677	109	56	165	223	[illegible]	408
	योग	12993	[illegible]	19664	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3442	2228	5670	1827	1091	[illegible]	652	265	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1928

सारणी 2.8A

परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में छात्र नामांकन (6–11 वय वर्ग के बच्चें) सितंबर 2001

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	कुल छात्र सं0			अनुसूचित जाति के छात्र			कुल नामांकन में परिषद का प्रतिशत
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बलरामपुर	12838	8269	21107	4226	2704	6930	51.67
2.	हरैया सतघरवा	8523	5072	13595	3030	1695	4925	46.79
3.	तुलसीपुर	9305	5122	14427	2302	1390	3992	50.86
4.	गैसड़ी	9575	4833	14408	2526	1336	3862	46.85
5.	पचपेड़वा	8513	5184	13697	2075	1268	3343	57.74
6.	उतरौला	7284	5097	12381	2022	1613	3635	77.65
7.	श्रीदत्तगंज	7025	4113	11138	1768	1154	2922	66.95
8.	गैंड़ासबुजुंग	5560	3380	8940	2131	1426	3557	58.62
9.	रेहरवाहार	7981	5592	13573	1935	1522	3457	49.02
	योग ग्रामीण							
10.	नगर क्षेत्र	4024	3162	7186	604	475	1079	39.35
	महायोग	80628	49824	130452	22619	14783	37402	64.08

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि विकास खण्ड उतरौला में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का प्रतिशत सर्वाधिक 77.65 है उसके बाद विकास खण्ड श्रीदत्तगंज गैंड़ासबुजुंग व पंचपेड़वा है जो क्रमशः 66.95%, 58.62% व 57.74% है। नगर क्षेत्र में परिषदीय विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत सबसे कम है। 39.35% क्योंकि नगर क्षेत्र में मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या अधिक है।

विद्यायलयों में भौतिक सुविधांए

परिषद विघालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधांओं का विवरण सारणी 2.9 में दिया गया है।

सारणी 2.9

प्राथमिक स्तर -

विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं (परिषदीय विद्यालय –सिंतबर 2002 की स्थिति)

1-	प्राथमिक विद्यालय	935 (955)
2-	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	48
	दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	62
	तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	637
	चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	86
	पाँच कक्षीय विद्यालयों की संख्या	122
	पाँच कक्षीय से अर्धिक विद्यालयों की संख्या	NIL
3-	मरम्मत योग्य विद्यालय	552
	लघु मरम्मत योग्य	230
	वृहद मरम्मत योग्य	322
4-	शौचालय युक्त विद्यालय	445
	शौचालय विहीन	510

5-	हैडपम्प – हैड पम्प युक्त	955
	हैडपम्प विहीन	NIL
6-	चहार दीवारी	
	चहार दीवारी युक्त विघालय	23
	चहार दीवारी विहीन विघालय	932

<u>उच्च प्राथमिक विघालय स्तर</u>

7-	कुल विद्यालयों की संख्या	197
8-	मरम्मत योग्य	26
	लघु मरम्मत	17
	वृहद मरम्मत	19
9-	एक कक्षीय विद्यालय	02
	दो कक्षीय विद्यालय	NIL
	तीन कक्षीय विद्यालय	NIL
	चार कक्षीय विद्यालय	64
	पाँच कक्षीय विद्यालय	109
	पाँच कक्षीय से अधिक विद्यालय	NIL
10-	शौचालय	
	शौचालय युक्त विद्यालय	115
	शौचालय विहीन	60
11-	हैडपम्प	
	हैडपम्प युक्त	197
	हैडपम्प विहीन	00
12 -	चहार दिवारी	
	चहार दिवारी युक्त	102
	चहार दिवारी विहीन	95

भौतिक सुविधाओं की मांग

सारणी - 2.10

क्र. सं.	आईटम सुविधा का नाम	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
		कमी	डी0पी0 ई0पी0 वित्त प्राविधान	मांग	कमी	डी0पी0 ई0पी0 वित्त प्राविधान	मांग
1.	नवीन विद्यालय	96	16	80	225	-	225
2.	विद्यालय पुर्ननिर्माण	160	10	150	40	-	40
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष प्रति कक्षा कक्षा एवं नामांकन में वृद्धि	1180	25	1155	90	-	90
4.	पेयजल सुविधा	-	-	-	-	-	-
5.	शौचालय	510	-	510	148	-	148
6.	चाहरदीवारी	932	-	932	95	-	95
7.	मरम्मत योग्य	592	40	552	36	-	36

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़े व महत्वपूर्ण इन्डिकेटर्स (बलरामपुर)

यह जनपद D.P.E.P. II से आच्छादित है तथा कम्प्यूटराइज्ड ई०एम०आई०एस० इकाई सक्रिय रूप से 1998 से कार्य कर रहा है वर्ष 1998 से न्नीपा द्वारा विकसित डायस 98 साफ्टवेयर संचालित किया गया तथा वार्षिक शैक्षिक सांख्यकी का उपयोग वार्षिक कार्य योजना के निर्माण D.P.E.P. II कार्यक्रमों से सम्बन्धित निर्णयों में किया जा रहा है।

ई०एम०आई०एस० से प्राप्त आंकडों के अनुसार वर्षों में स्थिति निम्नवत है।

प्राथमिक विद्यालय में नामांकन	2000–2001	2001 - 02
कक्षा – 1	59205	62715
कक्षा – 2	52679	55479
कक्षा – 3	48769	50655
कक्षा – 4	42364	43418
कक्षा – 5	28088	28496
योग	231105	241213

जी०ई०आर०

	2000-01	2001-02
कुल	92%	93.5 %
बालिका	93%	93%

एन०ई०आर०

कुल	84%	87%
बालिका	84%	85%

जनपद के नामांकन में औसतन 2.4 की वार्षिक वृद्धि हुई है। जी०ई०आर० तथा एन०ई०आर०में प्रति वर्ष सुधार हुआ है कक्षा पाँच के कुल नामांकन के सापेक्ष वृद्धि हुई है। इससे परिलक्षित होता है कि अधिक से अधिक बच्चे कक्षा पाँच तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु अग्रसर हो रहें हैं।

D.P.E.P. II संचालन की अवधि में प्राथमिक विद्यालय एवं शिक्षकों की संख्या में वृद्धि/कमी का विवरण निम्नवत है। –

	1997-1998	2001-2002	% वृद्धि / (कमी)
प्राथमिक विद्यालय परिषदीय	887	955	7.6%
प्राथमिक अध्यापक परिषदीय	1494	1302	13.12%

ड्रापआउट दर –

वर्ष	कुल	बालिका
1988-99	72.41	75.8
1999-01	71.02	73.6
2000-01	67.3	70.5

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर में लगातार कमी आई है । विगत तीन वर्षों में ड्राप आउट दर 72.41 से घटकर 67.3 हो गया।

रिपीटीसन दर व 5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या –

वर्ष	रिपीटीशन दर	5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या
1998-99	2.92	8.02
1999-2000	2.16	7.8
2000-01	1.95	6.92

अध्यापक छात्र अनुपात वर्ष 2002-2003 - 1:65

एकल अध्यापिकीय विद्यालयों का प्रतिक्षण वर्ष 2002-2003 21:5

छात्र कक्षा कक्ष अनुपात 2002-2003 - 1:64

परियोजना के अर्न्तगत शिक्षा मित्र तैनात किये गये गये हैं जिससे एकल अध्यापिकीय विद्यालयों के प्रतिशत में कमी आयी है छात्र अध्यापक अनुपात में वृद्धि हुई है। अतिरिक्त कक्षा कक्ष स्वीकृत होने के कारण छात्र कक्षा अनुपात कक्ष में भी सुधार हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र तैनात कर छात्र अध्यापक अनुपात 1:40 पर लाना होगा तथा छात्र कक्षा अनुपात 1:40 लाने के लिए अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण की आवश्यकता है।

प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय का अनुपात

	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	माध्यमिक से संबद्ध उ० प्रा० वि० विद्यालय	(2+3)का योग	अनुपात
ग्रामीण	935	170	28	198	4.7:1
नगरीय	20	05	11	16	5:4
योग	955	175	39	214	4.46:1

माध्यमिक विद्यालयों के 6 से 8 अनुभागों को सम्मिलित करने पर प्रा०वि०वि० तथा उच्च प्रा०वि० का अनुपात 4.46:1 आता है।

अध्याय – 3

नियोजन प्रक्रिया

देश के सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों के वंचित एवं उपेक्षित जनगण को शिक्षित एवं मानसिक रूप से विकसित करने के चिर अभिलाषित प्रयास में सर्व शिक्षा योजना एक मील का पत्थर है जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान का मनतव्य है इसके द्वारा जनपद के 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्तरीय व गुणवत्ता परक उपयोगी शिक्षा प्रदान करता है इस कार्यक्रम में स्त्री–पुरूष असमानता तथा सामुदयिक संरचना से पैदा हुई खाई को समाप्त कियें जाने का भी उद्देश्य सन्निहित है।

शिक्षा संबंधी अब तक किये गये व किये जा रहे समस्त प्रयासों को एक सूत्र में पिरोकर उसे वास्तविक व मूर्तरूप प्रदान करना इसका अभीष्ट लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्रप्ति में सामुदायिक सहभागिता के द्वारा जिसमें विद्यालय इकाई से निचले स्तर तक कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण हो सके ऐसे प्रयास किये जायेगे।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया किसी भी योजना की सफलता के लि, एक महत्वपूण आधार है । बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत इसका तात्पर्य प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6.11 नव वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाये इसके सम्पादन के लिए ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों व प्रबुद्ध व्यक्तियों के सहयोग से प्रत्येक ग्रामों में बस्तियों की सूचना तैयार की गयी बस्तियों की सूचना परिशिष्ट में अंकित है।

सूक्ष्म नियोजन के अर्न्तगत अध्यापकों द्वारा प्रत्येक ग्रामों के लिए निम्नलिखित सूचनाएं एकत्रित की गयी।

1 – प्रत्येक ग्राम में 6.11 वर्ग के कुल बच्चों की संख्या ।

2 – इस आयु वर्ग के बच्चों में विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या तथा (यहाँ विद्यालय से तात्पर्य परिषदीय, मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त मकतब व मदरसे से है) ।

3 – यह सुनिश्चित करना कि यह यदि आबादी 300 या इससे अधिक है तो वहाँ नवीन विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है।

4 – विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या पुनः यदि बच्चा विद्यालय नही जा रहा है तो क्या कारण हो सकते हैं उन कारणों का निदान कैसे किया जा सकता है ।

5 – इस तथ्य का भी आंकलन करना कि यदि आबादी 300 से कम है और मानक के अनुसार विद्यालय नही खोला जा सकता है तथा बच्चे इस कारण विद्यालय नही जा पाते है क्योंकि प्राकृतिक अवरोध है । तो इसके समाधान के लिए ग्राम शिक्षा समिति शिक्षक कौन सा विकल्प तलाश करती है।

6 – यह सुनिश्चित करना कि ग्राम में स्थित प्रा०वि०के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त है यदि नही तो इसके सुधार के लिए ग्राम वसियों के क्या सुझाव होगे।

7 – यह देखना कि छात्र अध्यापक अनुपात क्यां है तथा इस परिप्रेक्ष में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है।

8 – क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते है।

9 – शिक्षण कार्य की स्थिति / शिक्षण की गुणवत्ता

सूक्ष्म नियोजन के द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्राम वासियों के सहयोग से किये गये ।

1 – परिवार सर्वेक्षण

2 – स्कूल का मानचित्रण / शैक्षिक मानचित्र

3 – सूचनाओं का विश्लेषण

4 – ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विशलेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी

उपयुक्त उद्देश्यों की पूति के लिए तथा गांव की समस्याओं शैक्षिक आवश्यकताओं पर चर्चा के लिए ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति की बैठक बुलायी गयी । इसके पूर्व ग्राम शिक्षा समिति को प्रशिक्षण भी दिया गया। सर्वेक्षण प्रयोग के माध्यम से समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के द्वारा ग्राम वासियों के सहयोग से गांव के उत्तम व्यवस्था के लिए ग्राम शिक्षा योजना बनायी गई।
शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिए निम्नांकित सूचना एकत्रित की गई।

1 – बस्ती की पूरी जनसंख्या
2 – विमित्र आयु वर्ग की जनसंख्या
3 – स्त्री पुरूष की जनसंख्या
4 – पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
5 – बात श्रमिकों के विषय में जानकारी
6 – विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
7 – बालिका शिक्षा की स्थिति

इन सभी विषयों के बिन्दुओं के व्यापक विचार उभर कर सामने आये बिन्दुओं पर ध्यान में रखते हुए ग्राम शिक्षा योजना बनाई गई उपरोक्त की सूचनाऐं 1999 - 2000 से आयतन विकास खण्ड स्तर तक एकत्रित की गई । 1999 - 2000 से माइक्रो प्लानिग द्वारा डाटा को बनाकर जो ग्राम शिक्षा योजना बनाकर तैयार की गई उन्हे ग्राम स्तर पर ही विद्यालय रखा गया ताकि इसका प्रयोग ग्राम स्तर पर 1999 - 2000 तक माइक्रो व्लानिग के जो आंकड़े एकत्रित किये गये है उन्ही को सर्व शिक्षण अभियान के अर्न्तगत विभिन्न कार्यक्रम के निर्माण हेतु आधार बनाया गया।

माइक्रोप्लानिग से प्राप्त परिवार आंकड़ों सर्व शिक्षा अभियान के सफल बनाने हेतु विकास खण्ड़ वार संकलित किया गया। (6 से 14 वर्ग के 1-14) में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्रस्तावित शिक्षा भार वर्ग योजना तथा वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा योजना के अर्न्तगत विद्यालय न जाने वाले बच्चों को भी दो वर्गों में यथा 6 से 8 तथा 9 से 14 में विभक्त कर एकत्रित की गयी।

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आयामों /बस्तियों की सूची तैयार की गई जहाँ नये विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते है। तथा शिक्षा गारण्टी केन्द्र /वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार हेतु केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है । इन सूचनाओं के विस्तृत विवरण आम दिया गया है ।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा प्राप्त आंकड़ों के द्वारा दीर्धकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2001-2002 के अन्तिम तिमाही के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण किया जायेगा एवं इनका पूर्ण उपयोग कार्य योजना 2002-2003 से प्रारम्भ किया जायेगा।

<u>स्कूल चलो अभियान</u>

जनपद में बालक बालिका के नामांकन ठहराव में वृद्धि एवं ड्राप आउट को समाप्त करने के उद्देश्य से 2000-2001 से स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया है जिसके फल स्वरूप 2001-2002 में नामांकन में प्रत्याशित वृद्धि हुई है जिसका लाभ सर्व शिक्षा अभियान में मिलेगा।

स्कूल चलो अभियान के अर्न्तगत व्यापक प्रचार किया गया है जिसमें 7 % नामांकन हेत बेसिक शिक्षा अभियान एवं जिसका प्रशासन कृत संकल्प है। दिनाँक 5-7-2002 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यलय में समस्त विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित कर स्कूल चलो अभियान की रूप रेखा तैयार की गई । जिसमें सृजन निम्न निर्णय लिये गये थे ।.

1 – विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का संचालन नामित किया गया।

2 – जनपद के 10 न्याय पंचायतों एन०पी०आर०सी० को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया ।

3 – जनपद के 667 ग्राम पंचायतों के स्कूल चलो अभियान के सफल संचालन हेतु ग्राम पंचायत वरिष्ठतम प्रथम अध्यापकों को नियमित किया गया है।

यह निर्देश दिये गये कि शिक्षा विभाग के एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में स्वयं भ्रमण कर अभियान को सफल बनायेंगे।

दिनाँक 7-7-2002 का जिले स्तर पर शैक्षिक विशाल आयोजन किया गया है जिसमेंनगर के समस्त बच्चों एवं अध्यापक गण एवं गणमान्य व्यक्ति पत्रकार तथा शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी गण ने प्रतिभाग किया स्कूल चलो रैली का शुभारंभ जिलाधिकारी महोदय व जिला पंचायत अध्यक्ष नेहरी झंडी दिखकर किया ।

दिनाँक 09-07-2002 को समस्त विकास खण्डों में रैली का आयोजन किया गया है जिसमें खण्ड विकास अधिकारी , बेसिक शिक्षा अधिकारी ब्लाक समन्वय एवं कतिपय विकास खण्डों में जनप्रति यथा विद्यापक गण/सदस्य गण क्षेत्र पंचायत ने प्रतिभाग क्रिया रैली को विभिन्न विकास खण्डों में विभिन्न लोगों द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया जो गली से होकर सकूल चला अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करता हुआ विकास खण्ड मुख्यालय मे समाप्त हुआ।

दिनाँक 12-07-2002 के निर्धारित तिथि को ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में जनसहभागिता वाली गोष्ठियों का आयोजन किया गया तथा प्रभात फेरी व धर सर्म्पक किया गया। इस तरह स्कूल चलो अभियान के अर्न्तगत ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जनपद स्तर तक प्रभावशाली ढंग से सफलता पूर्वक प्रचार प्रसार व आयोजन किया गया जिसका अपेक्षित परिणाम रहा । इस प्रकार 15 जुलाई 2002 को स्कूल चलो अभियान समापन किया गया ।

स्कूल चलो अभियान के दौरान जनसम्पर्क कर बच्चों को प्राथमिक विद्यालय /पूर्व मा० विद्यालय में नामांकन हेतु अतिरिक्त किया गया। स्कूल चलो अभियान की उपलब्धियां सारणी न० 3.1 में दिया गया है।

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक ऑकड़े व महत्वपूर्ण इन्डिकेटर्स (बलरामपुर)

यह जनपद डी0 पी0 ई0 पी0-।। योजना मे आच्छादित है। ई0 एम0 आई0 एस0 से प्राप्त आकड़ों के अनुसार वर्ष 2000-01 तथा 01-02 में नामांकन में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ जी0 ई0 आर0 व एन0 ई0 आर0 में प्रति वर्ष सुधार हुआ है जबकि वर्ष 02-03 में भी सकल नामांकन में वृद्धि हुई है। जो निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है:-

क्रमांक	प्रा0 वि0 में नामांकन	वर्ष 2000-01	वर्ष 2001-02	वर्ष 2002-03
1	कक्षा-1	59205	62715	64675
2	कक्षा-2	52679	55479	59702
3	कक्षा-3	48769	50655	49752
4	कक्षा-4	42364	43418	39803
5	कक्षा-5	28088	28496	34831
6	योग	231105	241213	248763

जी0 ई0 आर0

	वर्ष 2000-2001	वर्ष 2001-2002	वर्ष 2002-2003
कुल	92%	93.5%	97.35%
बालिका	93%	93%	95.3%

एन0 ई0 आर0

	वर्ष 2000-2001	वर्ष 2001-2002	वर्ष 2002-2003
कुल	84%	87%	93%
बालिका	84%	85%	91%

विद्यालय अध्यापक अनुपात विगत तीन वर्षों का

	वर्ष 1997-1998	वर्ष 2001-2002	वर्ष 2002-2003	%की वृद्धि
प्रा0 वि0 परिषदीय	887	933	949	7%की वृद्धि
प्रा0 परिषदीय अध्यापक	1494	1302	1073	28%की कमी

अध्यापकों के निरन्तर सेवा निवृत्ति न होना उपरोक्त का कारण है।

ड्राप आउट बच्चों का प्रतिशत

वर्ष	बालक	बालिका	कुल
1997-98	17.7	19.9	18.4
1998-1999	19.6	21.0	20.1
1999-2000	18.4	17.2	17.9
2000-2001	20.2	19.2	20.0

जनपद बलरामपुर में सर्व शिक्षा अभियान परियोजना को तैयार करने हेतु निम्नांकित प्रयास किये गये।

1– नियोजन टीम का गठन

किसी भी कार्य के सफल संचालन हेतु किसी न किसी के सार्थक पहल की आवश्यकता पड़ती है इसी उद्देश्य की प्राप्ति एवं इसकी निरन्तरता बनाये रखने के लिए 6 सदस्यीय नियोजन टीम का गठन किया गया ।

2 – बस्ती/ग्राम स्तर पर सवे शिक्षा अभियान के लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु विमित स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ कराई गई जिसमें समुदाय की शिक्षा के प्रति सोच अपेक्षाऐ एवं सहयोग के प्रकार पर राय जानना आवश्यक समझा गया। फोकस ग्रुप डिस्कसन जिसमें समुदाय की ज्वालंत समस्याओं को समुदाय के समक्ष रख कर चर्चा किया जाता है कि प्रक्रिया से क्षेत्रों की समस्याओं ध्यान में रख कर पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किया जा सके ।

परियोजना पूर्व की गतिविधियों के अर्न्तगत जिले के लिए एफ०जी०डी० शीर्ष का गठन किया गया इसमें प्लान बनाने हेतु सीमेंट इलाहाबाद के तत्वाधान में अपेक्षित कार्यशाला के प्रतिभागी के जिला समन्वयक सहायक बेसिक शिक्षा बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक बी०आर०सी० एन०प्री०आर०सी० को शामिल किया गया तथा उनसे अपेक्षित सहयोग किया गया।

प्री प्रोजेक्ट गतिविधियों के अर्न्तगत ग्राम स्तर तक एन०पी०आर०सी०बी०आर०सी० के द्वारा इस अभियान का सन्देश पहुचाया गया उनको अवगत कराया गया कि इस अभियान के लक्ष्यों व उद्देश्यों के संप्राप्ति में आपकी एवं समुदाय की सहभागिता आवश्यक है। इसमें ग्राम पंचायतों की नियोजन / प्रबन्धन संबंधी पर्याप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार होगे। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी भी अनकी भागीदारी होगी । शैक्षिक नियोजन विभिन्न स्तर के होते हैं जैसे राष्ट्रदीप क्षेत्रीय तथा विविध स्तरीय नियोजन । यहाँ पर जनपद के स्थानीय आवश्यकताओं की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुऐ ग्रास रूट प्लानिग के बाद जनपद स्तर पर नियोजन के स्वरूप का निर्धारण किया गया है ।

जनपद स्तर पर नियोजन

जनपद स्तर में डी०पी०ई०पी० कार्यक्रम विगत चार वर्षों से संचालित है उसी के वृहद स्वरूप में सर्व शिक्षा अभियान संचालित किया जाता है । जिला पंचायत अध्यक्ष व जिला बेसिक शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ बैठक किया गया।

तद्परान्त माननीय विधायक गण के साथ बैठक, क्षेत्र प्रमुख पंचायत तथा क्षेत्र समिति के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया गया । इसके अतिरिक्त शिक्षक संगठनों अभिभावकों विशेष समूहों में से अनुसूचित जाति,अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्रो में समुदाय के सदस्यों से तथा स्वयं सेवी संगठनों से विचार विमर्श किया गया।

नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण

क्रम सं०	जनपद स्तर ब्लाक स्तर ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उसका संक्षिप्त विवरण
(1)	जिलास्तर	17.10.2001	जिला धिकारी, शिविर कार्यलाय	(1) जिला अधिकारी , मुख्य विकास अधिकारी , परियोजना निदेशक, सामाज कल्याण अधिकारी विद्यायक, सादुल्लानगर समस्तसहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी , एवं जिला समन्वयक, सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी।	सर्व प्रथम फोकस ग्रुप डिस्कसन के माध्यम से जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में विद्यालय न जाने वाले बच्चे एव उनके अभिभावकों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श कर निम्नलिखित सुझाव दिया गया । 1- सबसे पहले बस्ती/ग्राम स्तर पर जाकर उन समस्याओं को ग्रासरूट लेबल पर खोजा जाये तत्पश्चात जन सामान्य से विचार विमर्श किया जाय तथा समस्या के समाधान हेतु जो उचित सुझाव व बिन्दु उभर कर आयें उसका समावेश किया जाय। 2- विद्यालय न जाने वाले 6 -14 वय वर्ग के बच्चों चिन्हित किया जाय तथा उनका विद्यालय में नामांकन कराया जाय जिसके लिए अभिभावकों तथा जन प्रतिनिधियों में प्रचार प्रसार सामग्री का प्रयोग किया जाय 3- जिन विकास खण्डों में ड्राप आउट ज्यादा है उनमें ड्राप आउट के कारणों को खोज कर उसका समाधान किया जाय । 4- शिक्षको की जनपद में भारी कमी को देखते हुए जनपद हेतु आयंटित शिक्षा मित्रों को जल्दी तैनाती देने का प्रयास किया जाय । 5- जिलाधिकारी महोदय के सुझाव अनुसार जनपद के जिन बस्तियों एवं ग्रामों में निर्धारित मानक एवं आवश्यकता अनुरूप प्रा०वि० व जू०हा० खुलने है उनके सर्वेक्षण कराये जाने का निर्णय किया गया ।

क्रम सं०	जनपद स्तर ब्लाक स्तर ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक / विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उसका संक्षिप्त विवरण
2	विकास खण्ड बलरामपुर	18.10.200	सेखुईयां कला	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर ,खण्ड विकास अधि ाकारी–बलरामपुर, ग्राम प्रधान– सेखुई कलाँ,प्रधानाध्यापक प्रा०वि० सेखुई कला –ग्राम पं० के सदस्य गण, ब्लाक समन्वयक सह समन्वयक बलरामपुर जिलासमन्वय (प्रशिक्षण) जिलासमन्वयक (बलिका शिक्षा)	1- अध्यापको की कमी । 2-अध्यापक व अभिभावक के बीच संवादहीनता। 3- अभिभावकों का शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा होना । 4- अध्यापको का समय से विद्यालय न आना। 5-शिक्षको का शिक्षण कार्य के प्रति उदासीनता। 6-पाठ्यक्रम नया हो जाने के कारण कतिपय विषयसें में शिक्षको का स्वंय विषय के प्रति न जानकारी होना। 7-D.P.E.P. योजनान्तर्गत अध्यापको को प्रदान किये गये शिक्षण प्रशिक्षण का उपयोग कक्षाओं में न किया जाना।
3	विकासखण्ड हर्रैया सतघरवा	22.10.0	शिवपुरा	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर खण्ड विकास अधिकारी ब्लाक प्रमुख शिवपुरा समन्वयक -सहसमन्वयक, प्रधानाध्यापक जू०हा०, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत सदस्य	(1) समाज में अभिभावकों का आर्थिक रूप से कमजोर होना –जिसके चलते वे अपने बच्चों को अध्ययन में प्रवृत्त करने के बजाय आर्थिकोपाजर्न हेतु अन्य कार्यों में प्रवृत्त कर देते हैं। जिसके चलते बच्चे या तो प्राथमिक शिक्षा की ओर प्रवृत्त नहीं होते अथवा बीच में ही कक्षा छोड़ देते हैं । (2) चूकि विकास खण्ड का बहुत बडा हिस्सा बरसात के दिनों में बाढ़ग्रस्त रहता है ऐसे में यहाँ के कतिपय क्षेत्र आवश्यक जरूरतों के लिए एक दूसरों से कट जाते हैं । इसके अलावा विकास खण्ड कृषि की दृष्टि से बहुत उर्वर नही है अतः जीविकोपार्जन हेतु लोग बाहर निकल जाते हैं । (3) विकास खण्ड में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक दोनों ही स्तरों पर अध्यापकों की भारी कमी है । अतः विद्यालयों में पठन - पाठन का वह माहौल नही बन पाता है जो बच्चों को आकृष्ट कर सकें ।

क्रम सं०	जनपद स्तर ब्लाक स्तर ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उसका संक्षिप्त विवरण
(4)	तुलसीपुर	24-10-2001	देवीपाटन	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक द्वय,ब्लाक समन्वयक,सहसमन्वयक खण्ड विकास अधिकारी तुलसीपुर	सुझाव :– विकास खण्ड में आर्थिक विषमता के कारण लोग अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के बजाय रोजगार कार्यों में प्रवृत्त कर देते हैं। ऐसे में यदि विद्यालयों में रोजगार परक शिक्षा यदि प्रदान किया जाय तो यह निचले तबके के बच्चों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करनें में ज्यादा मद्दगार साबित होगा। (2) विकास खण्ड में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए स्वीकृत शिक्षा मित्रों की अविलंब नियुक्ति प्रदान की जाये। (3) विकास खण्ड के ऐसे क्षेत्र जो दूर–दूर स्थिति है और बाढ़ के दिनों में जो मुख्य मार्गों व विद्यालयों से कट जाते है ऐसे स्थानों पर ई०जी०एस० केन्द्र व ए०आई०ई० केन्द्रों को खोला जाना चाहिए । (1) कक्षा वार अध्यापकों का अभाव (2) अध्यापकों का गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाना । (3) अच्छे छात्रों व अध्यापकों के लिए पुरस्कार की समुचित व्यवस्था का अभाव । (4) बच्चों के प्रगति सम्बन्धी नियमित रिपोर्ट का अभाव । (5) शिक्षकों एवं छात्रों का सतत मूल्यांकन का अभाव । (6) व्यवसायिक शिक्षा का.आभाव । <u>सुझाव :</u> (1) 40:1 के मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति की जाय । (2) शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त अध्यापकों से अन्य कार्य न लिया जाय। (3) डायट एवं बी०आर०सी० मे अध्यापकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाय उन्हें समसामयिक एवं शिक्षा की नवीनतम विद्या का ज्ञान कराया जाये। (4) अध्यापकों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने व प्रभावी शिक्षण दिये जाने हेतु प्रभावी निरीक्षण किया जाये। (5) छात्रों की प्रगति रिपोर्ट दिया जाये।

क्रम सं०	जनपद स्तर ब्लाक स्तर ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उसका संक्षिप्त विवरण
(5)	गैसड़ी	24-10-2001	गैसड़ी जू०हा०	खण्ड़ विकास अधिकारी गैसड़ी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रमुख-क्षेत्र पंचायत, मा० विधायक गैसड़ी,, ग्राम प्रधान गैसड़ी, जिलासमन्वयक प्रशिक्षण ,ब्लाक समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी गैसड़ी, न्याय पंचायत प्रभारी गैसड़ी जनकपुर	(1) अध्यापको की कमी। (2) अध्यापको का समय से ना आना। (3) अध्यापको को शिक्षण के अलावा अन्य कार्य में लगाया जाना । (4) रूचि पूर्ण शिक्षा का अभाव । (5) बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु प्रचुर मात्रा में जू० हा० स्कूल खोला जाना। (6) पोषाहार योजना को निरन्तर जारी रखना। (7) हर क्षेत्रों E.G.S केन्द्र खोलना। शिक्षा मित्रो की अविलम्ब तैनाती । <u>सुझाव-</u> (1) विकास खण्ड में अध्यापको की भारी कमी है चूंकि विकास खण्ड में 113 प्राथमिक विद्यालय में 110 में एकल अध्यापक है ऐसे में अध्यापको की कमी के चलते शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाना असम्भव है । ऐसे में उचित ये होगा कि जनपद के लिए जो 1200 शिक्षा मित्र के पद सृजित है इसके द्वारा प्रत्येक विद्यालय में लगभग 2-2 शिक्षामित्र तैनात किया जाये। (2) दूसरी समस्या का निदान प्रभावी निरिक्षण के माध्यम से किया जाना संम्भव है । (3) अध्यापकों को नियमित विद्यालय आने के लिए आवश्यक है कि उनसे गैर शिक्षणेत्तर कार्य कम से कम लिया जाय। (4) विकास खण्ड़ में निर्धारित मानक के अनुसार उचित मात्रा में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जायेगा।
(6)	विकास खण्ड़ पचपेड़वा	27-10-2001	जू०हा० पचपेड़वा	(1) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (2) सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पचपेड़वा (3) प्रमुख, क्षेत्र पंचायत पचपेड़वा (4) क्षेत्र पंचायत सदस्य (5) ब्लाक समन्वयक	

क्रम सं०	जनपद स्तर ब्लाक स्तर ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उसका संक्षिप्त विवरण
				(6) सहसमन्वयक (7) जिला समन्वयक (8) उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (9) ग्राम पंचायत सदस्यगण	(1) विकास खण्ड़ की भौगोलिक बनावट दुरूह व ऊबड़–खाबड़ है तथा पहाड़ी नाले इसे और दुरूह बना देते है। जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहते हैं। (2) विकास खण्ड़ में आबादी का बहुत बढ़ा हिस्सा अल्प संख्यक समुदाय का है जो अपने बच्चों को दीनी तालीम दिये जानें में रूचि रखता है जिससे बच्चे वैज्ञानिक व आधुनिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। (3) विकास खण्ड़ में थारू जनजाति की भी प्रचुर आबादी है जिसमें गरीबी एवं कुपोषण के चलते बच्चों को शिक्षा में प्रवृत्ति करने के बजाय जीविकोपार्जन में प्रवृत्ति करना ज्यादा उचित माना जाता है। (4) लड़कियों की शिक्षा के प्रति लोगों में अन्यमनसकता व अरूचि की स्थिति है महिला अध्यापकों न होना। (5) विकास खण्ड भी अध्यापकों की कमी की समस्या से प्रभावित है। सुझावः- चूंकि विकास खण्ड का बहुत बडा हिस्सा जंगल तथा पहाड़ी नालों आदि से प्रभावित है। ऐसे में बरसात के दिनों में यह शिक्षा व्यवस्था को और दुरूह बनाते हैं। अतएव विकास खण्ड में ऐसे स्थलों को चिन्हित किया जाना चाहिए जहाँ के बच्चे दूरी व भौगोलिक कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते है इन स्थानों पर निर्धारित मानक व जनसंख्या के दृष्टिकोंण से प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाय। (2) अल्प संख्यक समुदायों में यह प्रेरणा पैदा की जाये की वे अपनें बच्चों को दीनी तालीम के साथ वैज्ञानिक व आधुनिक शिक्षा के लिए बच्चों को प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में नामांकन करावें। (3) जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में अभिभावकों को आधुनिक शिक्षा के महत्व

क्रम सं०	जनपद स्तर ब्लाक स्तर ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उसका संक्षिप्त विवरण
					के सम्बन्ध में बताया जाय तथा व्यक्तिगत रूप से प्रयास किये जाये उनके बच्चों को वनोपज पर आधरित व्यवसायिक शिक्षा प्रदान किया जाय। (4) अध्यापकों की 1:40 के मानक के आधार पर नियुक्ति हो। (5) लड़कियों को शिक्षा के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े इसके लिए बालिका विद्यालयों की स्थापना हो तथा इसमे प्रति महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति हो।
(7)	उतरौला	29-10-2001	मधपुर	बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, क्षेत्र पंचायत सदस्य समन्वयक,सहसमन्वयक ,प्रधानाध्यापक प्रा०वि० मधपुर न्याय पंचायत प्रभारी अध्यक्ष – प्रा०शिक्षक संघ	(1) महिलाओं का निम्न स्तर । (2) जीवनोपयोगी शिक्षा का अभाव। (3) गुणात्मक शिक्षा का अभाव । (4) शिक्षण की वैज्ञानिक विधियों का अभाव। (5) अध्यापकों की कमी। सुझावः- विकास खण्ड अल्पसंख्यक बाहुल्य व आर्थिक रूप से समृद्ध है तथापि महिलाओं का स्तर निम्न है जिसे लिए आवश्यक है कि उनके स्तर में सुधार किया जाय उन्हें विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी जाय। (2) सिलाई कढ़ाई आदि हस्त कौशल में शिक्षा की व्यवस्था हो। (3) अध्यापकों को समय – समय पर बी०आर०सी० तथा डायट में प्रशिक्षण दिया जाय। (4) रूचि पूर्ण शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया जाय।
(8)	श्रीदत्तगंज	29-10-2001	चमरूपुर	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी , समन्वयक, सहसमन्वयक, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य , न्याय पंचायत प्रभारी	(1) रूचि पूर्ण शिक्षा पर बल दिया गया। (2) अध्यापक समय से विद्यालय उपस्थित नही होते। (3) स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नही होती। (4) समाज के निचले तबके में शिक्षा के प्रति रूचि का अभाव तथा जागरूकता की कमी। (5) शिक्षा सें कोई प्रत्यक्ष लाभ नही।

क्रम सं०	जनपद स्तर ब्लाक स्तर ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उसका संक्षिप्त विवरण
					सुझावः- शिक्षा के समग्र रूप में उसे सार्थक बनाने के लिए आवश्यक है कि उसे वैविध्य एवं रूचिपूर्ण बनाया जाय। इसके लिए शिक्षकों को समय-समय पर बी०आर०सी० तथा डायट में प्रशिक्षण पर भेजा जाना चाहिए। (2) बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय खोला जाये। (3) स्कूलों में पाठन – पठन का माहैल बनाया जाय इसके लिए अध्यापक विद्यालयों में नियमित रूप से उपस्थित हों। (4) लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाया जाये तथा इसके लिए स्वयं सेवी संस्थाओं की भी मदद ली जायें।
(9)	गैड़ा[redacted]ुजुर्ग	01-11-2001	विकासखण्ड मुख्यालय	खण्ड विकास अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक समन्वयक, जिला समन्वयक, सहसमन्वयक, ग्राम प्रधान, ग्रामपंचायत सदस्यगण, ग्राम विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख.	(1) गरीबी के कारण बालिकाओं व अनुसूचित जाति के बच्चें गृह कार्य में संलग्न। (2) अध्यापकों की कमी। (3) स्कूलों में बच्चों को नियमित पोषाहार व छात्र वृत्ति समय से न मिलना। (4) जन सहभागिता की कमी। (5) शौचालय व अतिरिक्त शिक्षा कक्ष की कमी। (6) भौतिक साज सज्जा व कक्षाओं में सहायक सामग्री के प्रयोग का आभाव। (7) विद्यालय का नीरस व उबाऊ वातावरण। (8) विद्यालय में खेलों का आयोजन न किया जाना । (9) बच्चों को मकतब व मदरसों में दीनी तालीम दिलाये जाने पर बल। (10) बाल सभाओं का आयोजन न किया जाना। (11) टाट पट्टी का आभाव। सुझाव :- (1) जो बच्चे गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित हों उनके लिए वैक टु स्कूल या स्कूल चलो अभियान जैसे आन्दोलनों को सक्रिय रूप से चलाया जाय।

क्रम सं०	जनपद स्तर ब्लाक स्तर ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उसका संक्षिप्त विवरण
					(2) उनके लिए छात्रवृत्ति व पोषाहार वितरण कराया जाना चाहिए छात्रवृत्ति ग्रामनिधि में जानें के कारण समय से छात्रवृत्ति नही बटती जिससे जरूरत मन्द बच्चे अपने शैक्षिक आवश्यकताओं के चलते विद्यालय से उदासीन हो जाते हैं। (3) शिक्षा के अर्न्तगत जन समुदाय को अनेक कार्यक्रमों के द्वारा जोड़ा जाना चाहिए। (4) पर्याप्त मात्रा में शौचालयों व जर्जर विद्यालयों का निर्माण कराया जाय तथा विद्यालयों को चाहर दीवारी से आवृत्त किया जाये। (5) विद्यालयों के नीरस व उबाऊ वातावरण को सरस बनाया जाय इसके लिए विद्यालय में खेलकूद, संगीत की सामग्री व कार्यक्रम प्रत्येक विद्यालय में आयोजित किया जाय बाल सभाऐं आयोजित की जाय। (6) मान्यता प्राप्त विद्यालय खोले जाने हेतु प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए इसके लिए मान्यता की शर्तों को सरल बनाया जाना चाहिए जिससे इस क्षेत्र के इच्छुक लोग अपनी सेवा दे सकें ।
(10)	रेहरा बजार	05-11-2001	रेहरा बजार	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी , खण्ड विकास अधिकारी,जिला समन्वयक, बेसिक शिक्षा अधिकारी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक समन्वयक,प्रधानाध्यापक प्र०वि०, न्याय पंचायत प्रभारी	रेहरा बजार विकास खण्ड शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक है तथापि विकास खण्ड में चर्चा के दौरान कतिपय समस्याए उभर कर आयी। (1) बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए बालिका विद्यालय खोले जाय। (2) बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का समावेश किया जाय। (3) अध्यापकों की कमी। (4) मलिन बस्तियों में शिक्षण की विशेष व्यवस्था का अभाव। (5) बालश्रम विद्यालयों का अभाव। (6) अल्प संख्यक संस्थाओं में वैज्ञानिक सोंच का अभाव।

स्कूल न जाने वाले वच्चे											
5 - 6+			7-10			11-14			सम्पूर्ण योग		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2	3		4	5		6	7	8			
16749	15325	32074	13433	14689	28122	12112	10356	22468	42294	40370	82664

विद्यालय न जाने वाले बच्चों का कारण

कारण	5-6+			7-10			11-14			कुलयोग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1-अपने घर के कार्यो मे लगे रहना	4694	2675	7369	2526	3436	5962	3759	5243	9102	10979	11454	22433
2-मजदूरी मे लगे रहना	332	534	866	1424	1298	2722	2226	1769	3995	3982	3601	7583
3-भाई बहनों की देखभाल	5238	6124	11362	3754	4179	7933	1448	2012	3460	10440	12315	22755
4-विद्यालय दूर होने के कारण	2000	2321	4321	2916	2392	5308	1541	993	2534	6457	5706	12163
5-अन्य	4485	3671	8156	2813	3384	6197	3138	239	3377	10436	7294	17730
योग	16749	15325	32074	13433	14689	28122	12112	10356	22468	42360	39085	82664

विभिन्न विकास खण्डों में ग्राम पंचायत वार भी इस संबधं में बैठकों का आयोजन किया गया इस हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों ब्लाक समन्वयक खाद पंचायत प्रभारियों तथा प्रधानाध्यापकों ने विद्यालय वाले ग्राम पंचायतों में इस तरह की बैठकों में प्रतिभाग किया।

क्रम० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत की कुल सं०	उन ग्रामों की संख्या जहाँ बैठके आयोजित की गयी
1	बलरामपुर	98	50
2	हरैय्या सतधरवा	91	45
3	तुलसीपुर	85	47
4	गैसड़ी	90	43
5	पचपेडवा	79	51
6	उतरौला	61	42
7	श्रीदत्तगंज	53	38
8	गैड़ास बुजुर्ग	38	15
9	रेहरा बजार	72	42
	योग	667	375

सोसल ऐसेसमेण्ट स्टडी :-

जनपद के समस्त नौ विकास खण्डों के विभिन्न ग्राम पंचायतो व ब्लाक लेवल पर जो फोकस ग्रुप डिस्कसन आयोजित किया गया उसमें जनपद के शैक्षिक एवं सामाजिक पिछड़ापन के लिए जिम्मेदार कतिपय कारक उभर कर आये ।

(1) जनपद की भौगोलिक संरचना दुरूह होने, जीविकार्पाजन के स्थायी साधन जैसे कृषि आदि से होने वाली आय में अनु०जति व जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए कोई विशेष अवसर न होने के कारण इस वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रभावी तथा प्रोत्साहन वर्धक कदम उठाना तथा इनको मिलने वाले विशेष अनुदानों जैसे बाल पोषाहार निःशुल्क पाठ्य पुस्तक – छात्र वृत्ति को समय परवितरित करवाना।

(2) पिछड़े हुए तथा अनु जा०, जनजाति बाहुल्य वाले क्षेत्रों में विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन ।

(3) विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति हो तथा उनकी विद्यालय में नियमित व कियाशील उपस्थिति बनी रहे।

(4) अध्यापकों को नये पाठ्यक्रमों से ज्ञान के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय क्योंकि प्रा० वि० में कार्यरत अधिकांश अध्यापक जू०हा० या हाईस्कूल उत्तीर्ण है।

(5) वी०आर०सी० / एन०पी०आर०सी० द्वारा प्रभावी माइक्रोप्लानिग किया जाय इनके पर्यवेक्षण को भी प्रभावी बनाया जाय ।

(6) पिछड़े तथा गरीब बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवथा की जाय।

(7) कक्षा का वातावरण एवं शिक्षण कार्य रोचक हो ।

(8) रूढिवादी परम्परा को समाप्त करनें में अभिभावक को प्रेरित कर बालिकाओं को विद्यालय लाया जाय।

(9) ड्राप आउट को समाप्त किया जाय ।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न ऐजन्सीज/विभागों में समन्वय

प्राथमिक शिक्षा के समुचित विकास को गति प्रदान करने के लिए कतिपय विभागों से सहयोग प्राप्त किया जाता है जो अपने ढंग से प्राथमिक शिक्षा को संबल प्रदान करते है। इनका विवरण निम्न लिखित है।

(1) समाज कल्यांण विभाग से समन्वय –

समाज कल्यांण विभाग का अनु जा० जनजात के बच्चों को विद्यालय तक लानें में महत्वपूर्ण योगदान है यह उक्त वर्ग के समस्त बच्चों को जो गरीबी रेखा से नीचे हो छात्र वृत्ति प्रदान करता है। प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को 300:0 प्रति वर्ष तथा उच्च प्रा०वि० के छात्रों को ४८० रू० प्रति छात्र की दर से समाज कल्यांण विभाग से छात्रवृत्ति प्राप्त होती है इसका मुख्य लक्ष्य गरीब तथा निर्बल परिवारों के बच्चों को आर्थिक प्रोत्साहन देकर प्राथमिक शिक्षा से अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित करना है।

(2) पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

समाज कल्यांण विभाग को तरह यह दोनो विभाग भी पिछड़े तथा अल्पसंख्यक वर्ग के उनदीन हीन छात्रों को आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति के रूप में मुहैया कराते है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पिछड़े वर्ग के तीन छात्रों को जो कक्षा 3, 4, 5 में(प्रत्येक कक्षा में एक) सर्वोतम अंक या अर्हता रखते हो तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर आठ पिछड़े वर्ग के छात्रों को जो उक्त मानक पूरे करते हों छात्र वृत्ति प्रदान की जाती है इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे जीवन वाले समस्त अल्प संख्यक बच्चों को छात्र वृत्ति प्रदान की जाती है। छात्र वृत्ति की दर प्राइमरी स्तर पर 300 रू० तथा जूनियर स्तर पर 480 रू० है।

(3) <u>आई०सी०डी० एस के साथ समन्वय</u> :

जिलाकार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा स्वास्थ कर्मी एन०जी०ओ० आदि का सम्मिलित कर जिला सन्दर्भ समूह तथा विकास खण्ड़ सन्दर्भ समूह का गठन किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित रूप से आई०सी०डी० एस के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है ।

1 आँगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है ।

2 आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उसके निकट की जाती है ।

3 आँगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है ।

4 केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।

5 केन्द्रों के संचलन के अतिरिक्त समस्या हेतु अनुपालनिक ढंग से अतिरिक्त मान दे दिया जाता है।

(4) <u>स्वास्थ विभाग से समन्वय</u> :

शिक्षा और स्वास्थ का परस्पर अनोन्याश्रित सम्बन्ध है स्वास्थ विभाग से समन्वय स्थापित कर परिषदीय विद्यालयों में प्रतिवर्ष बच्चों का स्वास्थ परीक्षण कराया जाता है जिससे चिन्हित रोगी छात्र – छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके । जिससे बच्चों के स्वास्थ की समुचित देख भाल हो सके । स्वास्थ परीक्षण हेतु राजकीय अथवा पंजीकृत चिकित्सक की सेवाएं ली जाती हैं।

(5) <u>ग्राम पंचायतो से समन्वय</u> :

ग्राम पंचायते कई रूपों में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करती है।

1- विद्यालयों की स्थापना में भूमि प्रबन्धक समितियो द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है जहाँ पर विद्यालयों को निर्मित कर संचालित किया जाता है ।

2- इसके अलावा ग्राम पंचायत की शिक्षा समितियां विद्यालयों के हित में ग्राम पं० की आवश्यक शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्राम शिक्षानिधि मद में प्रेषित घन राषि से घन आहरित कराकर आवश्यक कार्य का निस्पादन करती है तथा उसकी देख रेख करती है ।

(6) <u>खादय एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय</u> :

खादय एवं आपूर्ति विभाग के सहयोग से छात्रों की उपास्थिति एवं ठहराव को प्रोत्साहित करने हेतु प्रति छात्र तीन किलोग्राम प्रति माह खाद्यान्न (क्षेत्रानुसार) गेहूँ चावल उपलब्ध कराया जाता है यह पोषाहार केवल 80 % मासिक उपस्थिति वाले छात्रों को ही देय है ।

(7) <u>उत्तर प्रदेश जल निगम / यू०पी० एग्रो</u> :

इन दोनो विभागों का विद्यालयों को पेय जल सुविधा उपलब्ध करानें में महत्वपूर्ण योगदान है। इनके द्वारा विद्यालयों में छात्रों को स्वच्छ पानी पीने के लिए हैण्ड पम्पों की स्थापना की जाती है।

(8) <u>जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय</u> :

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग जिले की विकास का रीढ़ होता है ऐसे में उसका प्राथमिक शिक्षा के प्रति सहयोग को अनदेखा नही किया जा सकता सर्व प्रथम विद्यालय भवनों की स्थापना में शिक्षा विभाग केवल 40 % धन राशि ही प्रदान करता है शेष 60% धनराशि ग्राम विकास वभाग ही प्रदान करता है जिससे विद्यालयों का निर्माण पूरा हो पाता है।

(9) <u>विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय</u> :

विकलांग कल्यांण विभाग विकलांग छात्र – छात्राओं को उनके चलने में सहायता के लिए उपकरण आदि प्राप्त कराता है। शासन द्वारा इस सम्बन्ध में यह आदेश भी जारी किये गए हैं कि विकलांगों के सहायतार्थ उपकरणों /यन्त्रों के वितरण में छात्र – छात्राओं को प्राथमिकता दी जाय ।

(10) <u>युवा कल्यांण विभाग से समन्वय</u> :

छात्रों में खेल भावना का विकास करनें में युवा कल्याण विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते है चूंकि शिक्षा विभाग का उपरोक्त सभी विभागों से पूर्व से ही किसी न किसी रूप में सहयोग किया जाता रहा है सर्व शिक्षा अभियान में इस सम्बन्ध को और व्यापक रूप में रखा जायेगा।

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षा के सुदृढीकरण एवं सार्वजनिकीकरण हेतु राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान संचालित करने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र के द्वारा पूर्व निर्धारित इस योजना में नवी पंचवर्षिये योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार का अंशदान प्रतिशत 85:15 का होगा दशम पंचवर्षीय योजना का अंश दान का प्रतिशत 75:25 तथा आगामी अवधि के लिए 50:50 का अनुपात रहेगा । मुख्य रूप से सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य निम्न लिखित निर्धारित किया गया है।

1 – प्रथमतः समस्त बच्चों को 2003 तक प्राथमिक विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक विद्या केन्द्र, बैक टूस्कूल शिविर के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन

2 – 2007 तक समस्त बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना

3 – वर्ष 2010 तक समस्त बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा कोर्स कराना

4 – 2007 तक शाला त्यागी बच्चों का स्तर शून्य स्तर तक लाना

5 – 2010 तक समस्त बच्चों का नामांकन गुणवत्ता संप्राप्ति ठहराव को शत प्रतिशत करना।

जनपद बलरामपुर के लिए वर्ष 2010 तक के लक्ष्य एवं उद्देश्य

बिन्दु 1 से 5 तक के राष्ट्रीय लक्ष्यों का विवेचन किया गया है। उक्त लक्ष्य व्यापक स्वरूप में निर्धारित है अतः जनपद बलरामपुर के लिए भी इन्ही लक्ष्यों की प्राप्ति का निश्चय किया गया है। जिसका क्रमानुसार विवरण आगे के पृष्ठों में दिया गया है।

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्सन हेतु अपनाई गई विधा जनगणना 2001 से प्रदेश की जनपद वार जनसंख्या के आंकड़े प्राप्त हो गयें हैं जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2-2 हैं इस वार्षिक वृद्धि दर से 2002 से लेकर 2010 तक प्रत्येक वर्ष के लिए जनपद की जनसंख्या का आंगणन किया गया है।

जनगणना की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुऐ 2001 तथा इससे आगे की जनसंख्या 6-11 वय वर्ग की बाल संख्या ज्ञात करने के लिए 14-9 प्रतिशत तथा 11-14 वय वर्ग की बाल संख्या के लिए 6-2 अनुपात लिया गया है।

नामांकन के आंकलन हेतु वर्तमान जी०ई०आर० को आधार मानत हुए इनरोलमेण्ट रेशियो मेथड से 2002 से 2010 तक का जी०ई०आर० आगणन किया गया प्राथमिक स्तर 6-11 वय वर्ग के लिए वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर 11-14 के लिए वर्ष 2004 तक शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है इसी सन्दर्भ में सूच्य है कि कुल नामांकन में कुछ बच्चे निश्चित वय वर्ग से अधिक आयु के तथा कुछ कम आयु के बच्चे भी होगे अतः जी०ई०आर० को 100 से ऊपर रखा गया है यह भी महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक स्तर पर 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 2007 के बाद जी०ई०आर० में वृद्धि कम होगी ।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्ष वार आगणित जनपद बलरामपुर की 6-11 वय वर्ग की बाल संख्या व नामांकन तथा 11-14 वय वर्ग की बाल संख्या वा नामांकन निम्नतः है।

सारणी नं० – 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य जनपद बलरामपुर

वर्ष	6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			NER
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2001-02	140059	119309	259368	130255	110958	241213	93%
2002-03	142860	121695	264555	138574	118044	256618	97%
2003-04	145717	124129	269846	145717	124129	269846	100%
2004-05	148631	126612	275213	148631	126612	275212	100%
2005-06	151604	129144	280748	151604	129144	280748	100%
2006-07	154636	131727	286363	154636	131727	286363	100%
2007-08	157728	134362	292090	157728	134362	292090	100%
2008-09	160883	137049	297932	160883	137049	297932	100%
2009-2010	164101	139790	303891	164101	139790	303891	100%

सारणी नं० – 4-2

उच्चप्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य जनपद बलरामपुर

वर्ष	11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2001-02	53180	45302	98483	41363	17727	59090	60%
2002-03	540244	660209	100453	48217	32145	80362	80%
2003-04	55329	43133	102462	54509	42830	97339	95%
2004-05	56436	48075	104511	56436	48075	104511	100%
2005-06	57565	4909036	106601	57565	49036	106601	100%
2006-07	58716	50017	108733	58716	50017	108733	100%
2007-08	59890	51018	110908	59890	51018	110908	100%
2008-09	61088	52038	113126	61088	52038	61088	100%
2009-2010	62310	53079	115389	62310	53079	115389	100%

ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत जिले की प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर सत् प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है इसी के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये है जो निम्नलिखित है। उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट सात करने के लिए जनपद के तीन बलाकों - तुलसीपुर गैसडी तथा उतरौला के 5-5 विद्यालयों का कोहर्ट ड्राप आउट ज्ञात किया गया जिससें ड्राप 31% ज्ञात हुआ जिसको 2010 तक शून्य किया जायेगा।

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर	उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट
2001-02	67.3%	31%
2002-03	50%	27%
2003-04	25%	22%
2004-05	10%	16%
2005-06	2.5%	11%
2006-07	0%	8%
2007-08	0%	4%
2008-09	0%	1%
2009-2010	0%	0%

अध्याय – 5

समस्याएं एवं रणनीतियां

सर्व शिक्षा अभियान में क्रमिक व स्तरीय नियोजन की प्रक्रिया अपनाई गई है जो पूर्णतया विकेन्द्रित है। इसमें ग्राम व बस्तियों को आधार बनाया गया है। फोकस ग्रुप डिस्कसन के द्वारा जो बिन्दु व समस्याऐं उभर कर आयी है उसका स्थानिय स्तर पर सामन्जस्य व सहयोग से हल ढूढनें का प्रयास किया गया है इस प्रक्रिया में शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों, समुदाय के विभिन्न वर्गों, शिक्षकों, ग्राम प्रधानों, अभिभावकों आदि को भी भागीदार बनाया गया है तदुप्रान्त सर्वानुमति द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत समस्याओं के समाधान हेतु रणनीतियां बनाई गई है।

समस्याएं	निदान की रणनीति
(क) शिक्षा की पहुँच सम्बन्धी (1) असेवित मलिन बस्तियों में विद्यालय सुविधा का आभाव	ऐसी प्रत्येक बस्ती जिसकी आबादी 300 तथा उसके 1-5 किलोमीटर की परिधि मे विद्यालय न हो विद्यालय खोलने की व्यवस्था करना । ऐसी 186 बस्तियां जो 300 से अधिक आबादी की है 80 प्राथमिक विद्यालय खोले जायेगें तथा 2:1 के मानक पर आवश्यकतानुसार 225 उ०प्रा०वि० खोले जायेगें।
(2) 300 से कम आबादी वाले बिखरे बस्तियों में 1.5 किमी० के अन्दर जहाँ कोई शैक्षिक सुविधा न हो तथा भौगोलिक रूप से शिक्षा से वंचित बस्तियों में शिक्षा की व्यवस्था करना।	इस परिस्थितियों से निपटने के लिए 6-8 वय वर्ग के 30 बच्चों में 1 किलोमीटर विद्यालय से दूरी के मानक पर ई० 100 ई०जी०एस० केन्द्र खोला जायेगा तथा 9-14 वयवर्ग के बच्चों के लिए ए०आई०ई० की व्यवस्था की जायेगी मानक के अनुसार शिक्षा गारंटी योजना एवं वैकल्पिक नवाचार शिक्षा केन्द्र खोले जाने का प्रयास किया जाय।
(3) समाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन	जनपद की साक्षरता दर कम होने का मुख्य कारण समाजिक व आर्थिक रूप से पिछडा पन होना है । इसके उन्नयन होने के लिए नहरू युवक मंगलदल, महिला समाख्या, बाल विकास, परियोजना कार्य कत्री , महिला मंगलदल एवं ग्रामशिक्षा समितियों का समुचित सहयोग ।

समस्याएं	निदान की रणनीति
(4) कामकाजी के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था करना	समस्त कामकाजी बच्चों को शिक्षा से जोड़ते हुए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी विभिन्न कार्यों में लगे ६.११ वय वर्ग के ऐसे बच्चे जो ईट भटठे दुकानों आदि में लगे हुए हं उनके लिए शिक्षा धर की व्यवस्था है तथा जो बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके है उनके लिए ग्रीष्म कालीन शिविरों का आयोजन किया जायेगा।
(ख) नामांकन सम्बन्धी (5) जागरूकता का आभाव विशेष व्यवस्था करना	जागरूकता के आभाव के कारण पिछड़े पन के चलते ६–११ वय वर्ग के बच्चों का विद्यालय में न पहुँचने व न जा पाने की समस्या के निदान के लिए जन सामान्य को शिक्षित बनने से होने वाला प्रत्यक्ष रंग परोक्ष लाभ के सम्बन्ध में जनजागरण को जागरूक बनाने का प्रयास किया जायेगा जिससे उन्हें अपने अधिकार व कर्तव्यों का अपने हित या अहित ज्ञान हो सके।
(6) गरीबी व भुखमरी से प्रभावित लोगों के बच्चों के लिए	सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े अभिभावकों को उनके बच्चों से कार्य न लेने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा तथा ऐसे बच्चे जो आर्थिक कारणों के चलते विद्यालय बीच में ही छोड़ देते है उनको विद्यालय तक लाने के लिए क्षेत्रिय आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष समाजोप्योगी उत्पादक कार्यों की शिक्षा पर बल दिया जायेगा। जैसे बाँस की टोकरी बनाना, पंखा बनाना, गुड़िया, खिलौना मिटटी का कार्य सिलाई, कताई चित्रकारी पेन्टिग आदि।
(6) छात्रों को दी जाने वाली सुविधाएं	विद्यालय में छात्रों का नामांकन बढाने एवं ठहराव को बनाये रखने के लिए अभिभावकों की आर्थिक मदद को दृष्टिगत रखते हुए दिया जाने वाला मध्यान्ह पोषाहार, छात्र वृत्ति तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की प्रक्रिया को और प्रभावशाली बनाया जाय जिससे छात्रों को अधिकाधिक लाभ मिले ।
(ग) ठहराव एवं धारण सम्बन्धी (7) जन सहयोग एवं सर्मथन की कमी।	सामाजिक रूढ़ियों तथा अभिभावकों की उदासीनता को समाप्त करते हुए जन सहयोग प्राप्त करके बच्चों का ठहराव विद्यालयों में सुनिश्चित किया जायेगा।
(8) विद्यालय का सौन्दर्यीकरण तथा आकर्षक वातावरण का आभाव ।	विद्यालयों के सौन्दर्यीकरण एवं वातावरण को आकर्षक बनाने के लिए विद्यालयों में बागवानी तथा सांस्कृति कार्यक्रमों के निर्माण हेतु विशेष प्रयास किये जायेगें ।

समस्याएं	निदान की रणनीति
(9) शौचालयों तथा चाहरदीवारी का अभाव	विद्यालय में छात्रों की सुरक्षा हेतु ६३२ प्रायमरी तथा ३५ उच्च प्राइमरी विद्यालयों में चाहरदीवारी की व्यवस्था की जायेगी इसी प्रकार ५१८ प्रा०वि० तथा ६० उच्च प्रा०वि० में शौचालय व्यवस्था की जायेगी। जिससे ठहराव को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
(5) उपयुक्त भवन कक्षा कक्ष, साज सज्जा तथा शिक्षकों की कमी	प्राथमिक स्तर पर ७५२ कक्षा कक्ष, १५५६ शिक्षकों की कमी तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर ६० कक्षा कक्ष तथा शिक्षकों की कमी को दूर किया जायेगा तथा समस्त विद्यालयों में पर्याप्त साजसज्जा की व्यवस्था की जायेगी।
(5) शिक्षकों को अन्य शिक्षणोत्तर कार्य में लगाया जाना।	शिक्षकों को उनके शैक्षणिक कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में लगाये जाने से वे बच्चों के लिए कम समय दे पाते हैं। जिससे बच्चे आवश्यक विषय ज्ञान का कम अर्जन कर पाते है। इसके लिए शिक्षकों को उनके मूल कार्यों से अधिक से अधिक जोड़े जा सकेगें जिससे वह बच्चों को अधिक से अधिक समय दे सकें।
(6) शिक्षक की व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व में ह्रास	शिक्षक को छात्र – छात्रा के प्रति मृदु व्यवहार होना चाहिए। जिससे छात्र और अध्यापक के मध्य निकटता बनी रहे इससे बनने के लिए अध्यापकों को अभिप्रेरित करने का प्रयास किया जायेगा।

(घ) गुणवत्ता सम्बंधी

(1) नवीन पाठ्यक्रमानुसार शिक्षको के ज्ञान में कमी	नवीन पाठ्यक्रमानुसार शिक्षको के ज्ञान को आधुनिक बनाने हेतु उन्हे भाषा गणित तथा विज्ञान विषयो में प्राथमिक स्तर पर एंव गणित अंग्रेजी संस्कृत एंव विज्ञान विषयों में उ०प्र० स्तर पर सेवारत प्रभावी प्रशिक्षण प्रति वर्ष दिया जायेगा।
(2) निरीक्षण अधिकारियों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण का न होना।	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करनें के उपायों का क्रियान्यवयन तथा स्थानिये परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षकों को टालनें के साथ – साथ शिक्षकों की गुणवत्ता संर्वधन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने की दृष्टि से निरीक्षकों का पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण कराया जायेगा।
(3) शिक्षकों में सहायक शिक्षण सामग्री के निर्माण एंव उपयोग कौशल का अर्पयाप्त होना।	१पाठों के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक अध्यापक को अध्यापक अनुदान किया जायेगा जिससे वह छात्रों के समझनें एवं प्रभावी शिक्षण हेतु सहायक सामग्री का निर्माण कर सकें तथा शिक्षा को रूचिकर बना सकें।
(4) शिक्षको का गैरशैक्षिक कार्यो में व्यस्त होना।	विद्यालय स्तर से लेकर विकास खण्ड स्तर पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संकलन भवन निर्माण, पोषहार वितरण तथा अन्य गैर विभागीय कार्यों के निस्तारण में शिक्षकों की व्यवस्था को कम किया जायेगा तथा उनका अधिक से अधिक समय शिक्षण तथा छात्रों के हितों में व्यतीत हो ऐसा क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा समय प्रबन्धन की क्षमता विकसित की जायेगी।
(5) विद्यालय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षण प्रशिक्षण का आभाव ।	सामाजिक रीत रिवाज स्थानिये रीतियों तथा विद्यालयों में शिक्षक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को उनके अनुरूप ढ़ालनें की क्षमता का विकास विशेष पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से कराया जायेगा।

<u>सस्थागत क्षमताओ सबन्धी</u>

(1) न्याय पंचायत एवं ब्लाक संसाधन केन्द्र पर विद्यालयों के पर्यवेक्षण हेतु अपर्याप्त क्षमता होना विद्यालय को सतत रूप से अकादमिक सपोर्ट न मिल पाना।	न्याय पंचायत व ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समन्वयको का मुख्य दायित्व शिक्षकों के गुणवत्ता दक्षता विकास हेतु निर्धारित किया जायेगा न्याय पंचायत तथा विकास खण्ड स्तर पर सूचना संकलन में बिताये जा रहे समय के अपव्यय को कम किया जायेगा तथा उनके शिक्षण कार्यों में अभिरूचि उत्पन्न करने विद्यालय प्रबन्धन के प्रतिदक्ष बनने का कार्य किया जायेगा ब्लाक संसाधन केन्द्रों को शैक्षिक पर्यवेक्षक निरीक्षण व अकादमिक सपोर्ट देने के लिए क्षमतावार बनाया जायेगा ताकि विद्यालय व शिक्षकों को नियमित रूप से मार्ग दर्शन व अकादमिक सपोर्ट प्राप्त हो सके ।
(2) प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य में कमी	प्राथमिक शिक्षा प्रगति तथा विभिन्न क्रिया कलापों के क्रियान्वयन सम्बन्धी शोध कार्यो की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी तथा सुझाये गये तरीकों का उपयोग करते हुए लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त निष्कर्षो का उपयोग कार्यक्रमों के संचालन किया जायेगा।
(3) विद्यालय सांख्यकी तथा इण्डिकेटर्स का अपर्याप्त उपयोग	ई०एम०आई०एस० को सुदृढ बनाया जायेगा और आँकड़ें नियमित रूप से संकलित कर विश्लेषण कराकर प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग वार्षिक कार्य योजना निर्माण में किया जायेगा।
(4) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कक्षा कक्ष परिस्थितियों के अनुरूप प्रशिक्षण न दिया जाय।	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में यह अनुसूचित किया जायेगा कि वे शिक्षकों को स्थानिये परिस्थितियों तथा कक्षाओं की स्थितियों के अनुरूप प्रशिक्षित करें विद्यालयों में छात्र शिक्षकों की कमी की स्थिती में बाहु कक्षा शिक्षण की विद्या से परिचित कराया जायेगा।

अध्याय – 6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार

नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना :

इस तथ्य से सभी अवगत हैं कि 6.11 वय वर्ग के बच्चों के छोटे होनें के कारण उनके अभिभावक दूरस्थ विद्यालयों में प्रवेश नही दिलाते है यदि किसी माध्यम से प्रेरित कराकर उनका प्रवेश करा भी दिया जाय तो वे कुछ दिनों बाद ही विद्यालय बीच में ही छोड़ देते है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा 300 की आबादी तथा 1.5 किमी० की दूरी पर विद्यालय स्थापना का संकल्प लिया गया है इसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जनपद में कुल 196 ऐसी बस्तियां है जिनसे 1.5 किमी० से अधिक दूरी पर विद्यालय स्थित है। मानकानुसार विद्यालय की व्यवस्था करने के लिए 80 प्राथमिक विद्यालय खोले जायेगे।

इन सभी नये खुलने वाले विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ एवं गुणवत्तापरक बनाने हेतु शौचालय, पेयजल, चाहरदिवारी, शिक्षण सामग्री उपकरण एवं शिक्षकों की आवश्यकता होगी जिनकी व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव किया है।

विद्यालय साज सज्जा :

प्रत्येक नवीन विद्यालय को सुसज्जित करने के लिए निर्धारित धनराशि की व्यवस्था की जायेगी जिसका उपभोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से किया जायेगा जिसमें निम्न सामग्री क्रय की जायेगी मेज, कुर्सी, बाल्टी, लोटा, घन्टा, गिलास, टाटपट्टी, अलमारी, श्यामपट्ट, म्यूजिकल इन्सट्रूमेंन्ट (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बासुरी आदि) क्रीड़ा सामग्री जैसे फुटबाल, वालीबाल, हवा भरने का पम्प, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, क्लास रूम, टीचिग मैटीरियल जैसे – गणित, विज्ञान किट, मानचित्र, शब्द कोष, आदि।

प्रत्येक नवीन प्रा०वि० में 1 प्रा०अ० तथा 1 स०अ०/शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी।

विकास खण्ड वार प्रस्तावित प्रा० वि० की संख्या तथा उनमें आवश्यक सुविधाए

सारणी नं० 6.1

नवीन प्रा० वि० की स्थापना

क्र० सं०	विकास खण्ड नाम	नवीन प्रा० वि०	विद्यालय भवन	शौचालय	हैण्डपंप	बाहर दीवारी	शिक्षण सामग्री	शिक्षकों की व्यवस्था		काष्णेपकरण
								प्र० अ०	स०अ० / शिक्षा	
1	बलरामपुर	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	हरेया सतधरवा	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3	तुलसीपुर	11	11	11	11	11	11	11	11	11
4	गैसडी	14	14	14	14	14	14	14	14	14
5	पचपेडवा	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6	उतरौला	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	श्रीदत्तगंज	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	गैड़ास बुजुर्ग	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	रेहरा बजार	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	योग ग्रमिण	80	80	80	80	80	80	80	80	80
10	नगर	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	महायोग	80	80	80	80	80	80	80	80	80

सारणी नं० 6.2

वर्ष वार नवीन खुलने वाले प्राथमिक विद्यालय

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	[illegible]
प्राथमिक SSA	–	[illegible]	50	-	-	-	-	-	-	[illegible]

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

जनपद बलरामपुर के सुदूर स्थित ग्रामीण विकास खण्डों में उच्च प्राथमिक नगर क्षेत्र के 11-14 वय वर्ग के बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा सुविधा सुलभ है यद्धपि नगर क्षेत्र में 20 प्राथमिक विद्यालय हैं । तथा 2:1 के अनुपात से 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता पड़ेगी परन्तु 5 उच्च प्राथमिक विद्यालय होने तथा कई अर्ध शासकीय कालेज होने और जमीन की अनुपलब्धता के कारण कोई नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित नही किया गया है। ग्रामीण अंचलों में कुल 935 प्राथमिक विद्यालय है। तथा 50 प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित है। उसके सापेक्ष 170 उच्च प्राथमिक विद्यालय है। शासकीय मानक के अनुसार 2:1 के अनुपात में इस प्रकार 337 उच्च प्राथमिक विद्यालय आता है परन्तु आवश्यकतानुसार केवल 225 उच्च प्रा०वि० खोलने का प्रस्ताव है।

कुल प्राथमिक विद्यालय	–	935
नवीन प्रस्तावित विद्यालय	–	50
योग	–	985

2:1 में आवश्यक उ०प्रा०वि०	–	492
वर्तमान उ०प्रा०वि०	–	175
अगणित उ०प्रा०वि०	–	317
मूल आवश्यक उ०प्रा०वि०	–	225

इन प्रस्तावित विद्यालयों में विद्यालय भवन की व्यवस्था के साथ – साथ शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी, शिक्षण सामग्री, काष्ठों प्रकरण एवं शिक्षकों की भी आवश्यकता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन उ०प्रा०वि० में साज सज्जा एवं शिक्षण सामग्री की व्यवस्था भी प्रस्तावित है जो निम्न हैं ।

कुर्सी, मेज, टाट पट्टी, लोटा, बाल्टी, गिलास, फुटबाल, बाली बाल, मानचित्र, ग्लोब, विज्ञान किट, गणित किट, टू इन,वन, इत्यादि।

<u>पेयजल – शौचालय एवं चाहरदीवारी</u>

बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु इण्डिया मार्का टू हैण्ड़पम्प की व्यवस्था की जायेगी। छात्र छात्राओं के खुले मैदान में शौच करनें तथा ग्रामीणों द्वारा विद्यालय की जमीन पर किये जा रहे अतिक्रमणों से बचने हेतु दो कक्षीय शौचालय तथा सुरक्षा की दृष्टि समस्त नवीन विद्यालयों में चाहरदीवारी प्रस्तावित है। जिसकी लागत प्रत्येक विद्यालय की यूनिट लागत में सम्मिलित है।

<u>निर्माण कार्यदायी संस्था</u> :–

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत यह निर्णय लिया गया है कि विद्यालय भवनों य अन्य निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा।

उ०प्रा०वि० में कक्षा वार एवं विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता होती हैं अतः प्रत्येक उ०प्रा०वि० के लिए एक प्रा०अध्यापक एवं चार सहायक अध्यापक की व्यवस्था करने का प्रस्ताव हैं विकास खण्डवार विस्तृत विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गयी है जिसे सेवारत प्रशिक्षण देकर शिक्षण कार्य में दक्ष बनाया जायेगा।

सारणी नं० **6.3**

क्र० स०	विकास खण्ड नाम	नवीन प्रा० वि०	विद्यालय भवन	शौचालय	हैण्डपंप	बाहर दीवारी	शिक्षकों की व्यवस्था प्र० अ०	स०अ० / शिक्षा	शिक्षण सामाग्री	काष्ठोप करण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बलरामपुर	33	33	33	33	33	33	132	33	33
2	हरैया सतधरवा	31	31	31	31	31	31	124	31	31
3	तुलसीपुर	35	35	35	35	35	35	140	35	35
4	गैसड़ी	31	31	31	31	31	31	124	31	31
5	पचपेडवा	31	31	31	31	31	31	124	31	31
6	उतरौला	22	22	22	22	22	22	88	22	22
7	श्रीदत्तगंज	18	18	18	18	18	18	72	18	18
8	गैंड़ास बुजुर्ग	9	9	9	9	9	9	36	9	9
9	रेहरा बजार	15	15	15	15	15	15	60	15	15
	योग	225	225	225	225	225	225	900	225	225

सारणी नं० **6.4**

वर्ष वार नवीन खुलने वाले उ० प्रा० वि०

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	[illegible]
उ०प्रा०वि० SSA के अन्तर्गत	-	13	75	50	25	-	-	-	-	16[illegible]

नवीन प्रा० तथा उच्च प्रा० वि० का वर्ष वार आवश्यकता तथा शिक्षक आवश्यकता–

सारणी नं० 6.5

वर्ष वार खोले जाने वाले विद्यालयों की संख्या एवं शिक्षकों का विवरण

क्र०सं०	वर्ष	नवीन प्रा०	प्र०अ०	स०अ०/शिक्षामित्र के अन्तर्गत प्रस्ताव	नवीन उ०प्रा०वि०	प्र०अ० के अन्तर्गत प्रस्तावित	स०अध्यापक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2001–02	–	–	–	–	–	–
2.	2002–03				22	22	44
3.	2003–04		50	150	141	163	326
4.	2004–05			150	62	225	450
5.	2005–06	–	–	–		225	–
6.	2006–07	–	–	–	–	–	–

नवीन उच्च विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक दो प्रा० विद्यालय पर एक उच्च प्रा० विद्यालय की संकलपना की गयी है। वर्तमान में संचालित लगभग सभी प्रा० विद्यालय में आवश्यक भूमि भवन हैण्डपंप आदि सुविधाएं है। सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उच्च प्रा० विद्यालयों को प्रा० विद्यालय परिषद में ही निर्माण कराया जाये। जिससे चाहर दीवारी शौचालय हैण्ड़पंप आदि व्यवस्थाएं उभयनिठ रहेगी। जिसके फलस्वरूप सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग एवं लागत में कमी लायी जा सकेगी।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकि पर्यवेक्षण

विद्यालय भवन, शौचालय हैण्डपम्प चाहर दीवारी आदि का निर्माण ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेगें इनके तकनीकि पर्यवेक्षण हेतु विकास खण्ड के अवंर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/लधु सिचाई से कराया जायेगा।

अध्याय - 07

शिक्षा गारन्टी योजना / वैकल्पिक शिक्षा एंव नवाचार

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत शिक्षा के सार्वभैमिकीकरण एवं इसको ग्रास रूट लेविल तक ले जाने एंव सभी की पहुँच शिक्षा तक सुगम बनाने के लिए शिक्षा गारन्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा एंव नवाचार शिक्षा को संचालित किया जा रहा है।

अनौपचारिक शिक्षा :–

प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण करने के लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त करने के लिए पिछले विगत वर्षो में सरकार ने कुछ अतिरिक्त प्रयास किये थे। देश में बढ़ती जनसंख्या को आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तथा गरीब एंव उपेक्षित बच्चों को स्कूल तक पहुचाने संबधी आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए औपचारिक शिक्षा के साथ साथ 1979-80 से देश के कुछ प्रान्तों में अनौपचारिक शिक्षा का सूत्र पात किया गया। इसके अर्न्तगत 6-11 वय वर्ग के वे बच्चे जो किन्ही कारण वश विद्यालय नहीं जा पाते है चाहे वह आर्थिक कारणों, भौगोलिक कारण, जैसे प्राकृतिक बाधा या ड्राप आउट होनें के कारण स्कूल ना जा सकने वाली बालिकाओं और कामकाजी बच्चों को औपचारिक शिक्षा के समकक्ष इस शिक्षा योजना का शुभारम्भ हुआ था इसके अर्न्तगत सह शिक्षा वाले अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों हेतु 60:40 तथा बालिकाओं के लिए केन्द्र संचालित करने हेतु 10:10 के अनुपात में केन्द्र और संबंधित राज्य द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। परन्तु ग्राउन्ड लेवेल पर यह योजना समुचित नियोजन देख रेख व कार्यान्वयन के अभाव में अपने अभीष्ट लक्ष्य को शत प्रतिशत नहीं प्राप्त कर पाई तथापि इस योजना से साक्षरता के प्रसार में गुणात्मक अभिवृद्धि हुई। इस योजना के अर्न्तगत जुलाई 1999 में जनपद

बलरामपुर के समस्त विकास खण्डों में 100-100 केन्द्र खोले गए इसका पाठयक्रम द्विवर्षीय था। जिसको पूरा करने के पश्चात बच्चा कक्षा-5 की परीक्षा उर्त्तीण करके कक्षा-06 में प्रवेश लेकर शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ जाता प्रत्येक केन्द्र पर *25* बच्चे नामांकित किये गए। जिसमें बालिकाओं के पंजीकरण पर अधिक बल दिया गया । मार्च 2001 में भारत सरकार द्वारा यह योजना समाप्त धोषित कर दी गई। इसके उद्देश्य की शत् प्रतिशत प्राप्ति के लिए शासन द्वारा सर्व शिक्षा अभियान योजना का सूत्र पात किया गया है।

<u>उपलब्धि</u> :–

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक कारण की दृष्टि से इस योजना की अपनी उपलब्धियां रही हैं परन्तु जिन उद्देश्यों को लेकर यह योजना चलायी गयी थी उतनी यह कारगर नही रही और अंतत: यह योजना मार्च 2001 में समाप्त घोषित कर दी गई।

<u>विश्लेषण</u> :–

अपने उद्भव वर्षों से लेकर मार्च 2001 तक संचालित यह योजना अपने अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही इसका मुख्य कारण अनुदेशकों की दिया जाने वाला अतयन्त न्यून मानदेय था। साथ ही इसका प्रभावी निरीक्षण ना होने से इस योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति न हो सकी योजनान्तर्गत ऐसे अनुदेशकों का चयन करना चाहिए था जो समाज सेवा की अभिरूचि वाले हो तथा उनको दिया जाने वाला मानदेय की धनराशि सम्मानजनक हो परन्तु दोनों ही स्तरो पर इस तथ्य की उपेंक्षा की गई । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ड्राप आउट हुए बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना था जिसे इतने व्यय के पश्चात भी प्राप्त नहीं किया जा सका। साथ ही इन केन्द्रों का प्रभावी निरीक्षण जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नही किया गया।

परिवार सर्वे के अुनसार 82664 बच्चें विभिन्न कारणों से विद्यालय नहीं जा रहे है। सर्वे के अनुसार मुख्य रूप से घरेलू कार्य में लगा रहना भाई-बहनों **की** देखभाल में लगे रहने के कारण विद्यालय नहीं आ रहे हैं। यह निम्न सारणी से स्पष्ट है।

विद्यालय ने आने वाले बच्चों का विवरण-

क्रमांक	कारण	बालक	बालिका	योग
1.	घरेलू कार्य	10979	11454	22433
2.	मजदूरी	3862	3601	7583
3.	भाइ-बहनों की देखभाल	10440	12315	22755
4.	विद्यालय दूर होना	6457	5706	12136
5.	अन्य	10436	7294	17730
	योग	42294	40370	82664

विद्यालय से बाहर इन बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु विभिन्न रणनिति यों जिला परियोजना समिति द्वारा प्रस्तावित की गयी है।

घरेलू कार्य में लगे बच्चे: ऐसे बच्चे जो अपने घर के कार्य में लगे रहते है को विद्यालय से लाने हेतु ब्रिज कोर्स तथा समर कैम्प चलाने जैसी व्यवस्था की गयी है।

क्रमांक	ब्रिज कोर्स	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें
1.	एनपीआरसी स्तरीय	101	3030	101	3030	101	3030	101	3030
2.	वैकल्पिक केन्द्र			95	2850	95	2850	95	2850
3.	ब्रिज कोर्स कैम्प	10	400	12	480	12	180	10	403

यह कोर्स इन बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए इनके घरों के पास तथा इनकी सुविधा के अनुसार समय निर्धारित करके इन्हीं के गाम निवासी अनुदेशक /आचार्य द्वारा संचालित किये जायेंगे।

<u>मजदूरी:</u> कुछ बच्चें मजदूरी कार्य में लगे होने के कारण विद्यालय नहीं आ पाते। ऐसी समस्या 11 से 14 आयु वर्ग के बीच अधिक पायी गयी है। इन बच्चों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर ए0आई0ई0 खोले जा रहे है। जिनका समय इनके कार्य समय के बाद संध्या में रखे जाने का प्रस्ताव है। जिससे ये बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे।

क्रमांक	कोर्स	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें
1.	ए0आई0ई0	28	3030	95	2850	95	2850	95	1883
2.	आवासीय ब्रिज कोर्स	---	---	---	---	---	---	---	---
3.	विद्या केन्द्र	---	---	---	---	---	---	---	---

<u>भाई-बहनों की देखभाल</u>: छोटे भाई बहनों की देखभाल में लगे होने से ~~[illegible]~~ 22755 बच्चें विद्यालय नहीं जा पा रहे है, ऐसे बच्चों को विद्यालय लाने हेतु इनके छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए विशेष रूप से इसीसीई केन्द्र की व्यवस्था की गयी है।

क्रमांक	कोर्स	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें
1.	एसीसीई केन्द्र	12	480	12	480	12	480	12	480
2.	समर कैम्प	90	3600	90	3600	90	3600	90	3600

विद्यालय दूर होना: जनपद में 6457 बालक तथा 5706 बालिकाओं कुल 12163 बच्चें विद्यालय दूर होने के कारण विद्यालय नहीं आ पा रहें है। इसके लिए ऐसे असेवित क्षेत्रों में जहां मानक रूप विद्यालय खोले जा सकते हैं वहां विद्यालय खोजे जा रहे है तथा अन्य स्थानों पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

विद्यालय	वर्ष	खोले जा रहे विद्यालयों की संख्या
प्राथमिक विद्यालय	2003-2004	50
उच्च प्राथमिक विद्यालय	2003-2004	140

अन्य कारण: उक्त के अतिरिक्त गरीबी धार्मिक कारणों तथा रूढीवादिता के कारण भी कुछ बच्चें विद्यालय नहीं जा रहे है। इसके लिए 30 मकतब/मदरसों को सहायता देकर तथा स्कूल चलो अभियान चला कर तथा ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित कर तथा विद्यालयों को आकर्षण बना कर तथा नि:शुल्क पाठय पुस्तक तथा मिड डे मिल आदि का वितरण कर अभिभावकों को अपने बच्चें विद्यालय भेजने हेतु प्रोतसाहित किया जा रहा है।

इस प्रकार सभी बच्चों का नामांकन विद्यालयों में करा लिया जायेगा ।

सर्वेक्षण :-

सारणी -7.1

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6- 8 वय वर्ग की बालगणना सितम्बर 2001

क्र०स०	विकास खण्ड का नाम	6- 8 वय वर्ग के बच्चे								
		कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	बलरामपुर	23366	19568	42934	22255	18587	40842	1111	981	2092
2	हरैया सतघरवा	166456	14571	31116	15409	13645	29054	1036	826	1862
3	तुलसीपुर	16839	13541	30380	15693	12671	28364	1146	870	2016
4	कैसडी	18908	13731	32659	17896	12853	30749	1012	898	1910
5	पचपेडवा	14287	11238	25525	13225	10495	23720	1062	743	1805
6	उतरौला	8872	8874	17746	7879	8064	15943	993	810	1803
7	श्रीदत्तगंज	9344	8943	18287	8518	8117	16635	826	826	1652
8	गैडास बुजुर्ग	8544	8188	16732	7798	7452	15250	746	736	1482
9	रहरा बजार	13182	10821	24003	17257	9939	27196	925	882	1807
10	नगर क्षेत्र	10072	9914	19986	9125	9135	18260	947	779	1726
11	महायोग	140059	119309	3E+05	130225	110958	241213	9804	8351	18155

स्रोत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

उपरोक्त विद्यालय न जाने वाले 6 से 11 आय वर्ग के बच्चों मे से 6 से 8 आय वर्ग के बच्चों को शिक्षा गारंटी योजना के अन्तंगत कक्षा तक की शिक्षा देकर प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जायेगा 1 व 2

ई०जी०एस० केन्द्र का यह स्वरूप औपचारिक विद्यालय की भाँति होगा

प्रथम चरण में 60 ई०जी०एस० केन्द्र खोलने प्रस्तावित है द्वितीय चरण मे 40 केन्द्र प्रस्तावित है। जिसका विवरण इस अध्याय के अन्त मे दिया गया है।

सारणी -7.2

9-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या

9-14 वय वर्ग के बच्चे								
विद्यालय न जाने वाले बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
7796	6590	14386	6003	2570	8573	1793	4020	5813
6494	5311	11805	4870	1565	6435	1624	3746	5370
6388	5408	11796	4919	2109	7028	1469	3299	4768
6033	5146	11179	3921	1301	5222	2112	3845	5957
5166	4453	9619	3978	1737	5715	1188	2716	3904
3863	3343	2706	3211	1504	4715	652	1839	2491
4126	3567	7693	3136	1148	4284	990	2419	3409
3657	3167	6824	2779	1203	3982	878	1964	2842
5256	4529	9785	4305	1811	6116	951	2718	3669
4401	3808	8209	4241	2779	7020	160	1029	1189
53181	45302	98483	41363	17727	59090	11817	27575	39392

जनपद बलरामपुर में 9-14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की बढ़ी संख्या है जिनको शिक्षा की मुख्य धारा से ज़ोड़ने के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता है। जिसकी प्रति पूर्ति प्राथमिक विद्यालय व जु०हा० खोलकर की जायेगी।

स्रोत- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यलय 6-8 वय वर्ग स्कूल न जाने वाले बालक बालिकाओं की शिक्षा गारन्टी योजना के अर्न्तगत कक्षा 1 व 2 तक की शिक्षा देकर प्राथमिक विघालय में कक्षा 3 में प्रवेश दिला कर शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जायगा। (ई०जी०सी०) केन्द्र का यह स्वरूप औपचारिक विद्यालय के भांति होगा।

प्रथम चरण में 60 (ई०जी०सी०) केन्द्र खोलने प्रस्तावित है द्वितीय चरण में 40 केन्द्र प्रस्तावित है । जिसका विवरण इस अध्याय के अन्त में दिया गया है।

<u>जनपद</u> :–

बलरामपुर में शैक्षिक संस्थाओं की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है । अनौपचारिक शिक्षा डी० ची० ई० पी० के द्वारा संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के संचालन के बावजूद 11-14 वय वर्ग के स्कूल से बाहर बच्चों की पर्याप्त संख्या है जिनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

स्कूल के बाहर के बच्चों हेतु वैकल्पिक शिक्षा द्वारा ब्रिज कोर्स करने के लिए श्रेणीवार नियोजन किया जा रहा है। समाजिक आर्थिक भौगोलिक परिदृष्टि जिससे विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र विशिष्ट समाजिक वर्गो की पहचान हो सके।

जनपद बलरामपुर का क्षेत्र विशेष के हिसाब से उन परिस्थितयों का उल्लेख किया जा रहा है। जिसके आधार पर शिक्षा गारन्टी योजना एंव वैकल्पिक नवाचार शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है।

निरीक्षण की प्रभावी व्यवस्था - जनपद की तुलसीपुर व बलरामपुर तहसील का सर्वाधिक हिस्सा तराई क्षेत्र है तुलसीपुर के 03 विकास खण्ड तुलसीपुर गैसड़ी व पचपेड़वा में स्थित विद्यालय पहाड़ी नालों से घिरे होने के कारण शैक्षिक उन्नयन में बाधक है अत एंव सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहाँ विद्यालय

नवाचार शिक्षा एंव गारन्टी योजना का क्रियान्वयन करना आवश्यक है।

डी०पी०ई०पी० योजना की प्रगति

डी०पी०ई०पी० योजना के अन्तर्गत ऐसे बच्चे जो विद्यालय नहीं जा रहे या किन्हीं कारणों से उन्हें विद्यालय सुविधा उपलब्ध नहीं है या धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। इनके लिये वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी जिसके अन्तर्गत निम्न लक्ष्य प्राप्त किये गये।

क्र०सं०	केन्द्र का नाम	संचालित संख्या
1..	शिक्षा पर	65
2.	बाल शाला	25
3.	प्रहर पाठशाला	10
4.	मकतब/मदरसा	40

डी०पी०ई०पी० योजना समाप्त होने के बाद इन केन्द्रों को सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित किया जायेगा।

EGS / AIE -

जनपद की भौगोलिक स्थिति के कारण विद्यालय जाने के मार्ग में तालाब नहरें आदि होने के कारण बरसात के मौसम में बच्चे विद्यालय नही जा पाते अधिकतर ग्राम सभाओं में एक प्राथमिक विद्यालय लेकिन ग्राम सभाओं में कई मजरे हैं जिनकी विद्यालय से दूरी 2 से 3 कि०मी० तक है जिसके कारण अभिभावक छोटे बच्चो को विघालय नहीं भेजते हैं।

विकास खण्ड की समय समय पर ज्ञात की गई शैक्षिक समस्याओं से यह बात बार बार उभर कर आती है की वर्षा ऋितु में आवागमन बाधित होने से विद्यालय नही खुल पाते हैं। एकल विद्यालयों की संख्या विकास खण्ड गैसड़ी व शिवपुरा से सर्वाधिक है ।

EGS / AIE ब्रिज कोर्स आवासिये शिविर :-

शिवपुरा विकास खण्ड भैगोलिक विस्मताओं का विकास खण्ड है वर्षा राप्ती नदी व बड़े बड़े नालो में बाढ आ जाने से निकास खण्ड का कई भाग जनपद से सम्पर्क विच्छेद हो जाता है विकास खण्ड में अनुसूचित जाति में बाल विवाह की प्रथा अब भी प्रचलित है जिससे वे अपनी लड़कियो का विवाह छोटी उम्र में कर देते है और विवाह के पश्चात् इन लड़कियो को स्कूल नही भेजा जाता है इस प्रकार की समस्या शिवपुरा व अन्य कई विकास खण्ड में देखने को मिलती है। उपरोक्त कारणो को मद्देनजर रखते हुए जनपद में बालिका शिक्षा की व्यवस्था हेतु ब्रिज कोर्स व आवासिय शिविर जैसे कार्यक्रम चलाने की जरूरत है।

वन गाँवों की शिक्षा -

वन क्षेत्र के अर्न्तगत विकासखण्ड गैसड़ी, पचपेड़वा व शिवपुरा का अधिकाश क्षेत्र वनाच्छादित है। प्रकृतिक सौन्दर्य, सुरम वन क्षेत्र, प्रकृतिक झीलें व तालाब पुरातात्विक, बाँध पहाड़ी नहर दर्शनीय है। वन क्षेत्र के अर्न्तगत बनकटवा, सुहैलवा तथा कुवानां रेन्ज है जो कई वर्ग कि०मी० फैला है। प्रचुर मात्रा में वन्य पशु वनौधिया यहाँ मिलती है कुछ लोग वनों के बीच–बीच में बस गये जिन्हे वनगाँव कहते है। इन वन गावों में बसे समुदाय के बच्चों के लिए शिक्षा की आवश्यकता है।

जन जाति बालिका शिक्षा -

विकासखण्ड पचपेड़वा व गैसड़ी के जंगली इलाको में थारू जन जाति रहती है। जनपद में जन जाति के शिक्षा के लिए सरकार व स्वंय सेवी संगठन द्वारा भी शिल्प, हस्तकला, टाइपिग, सिलाई कढ़ाई व अन्य व्यवासायिक शिक्षा के प्रयास किया जा रहा है परन्तु फिर भी जन जाति के बालिका शिक्षा के लिए कोई कारगर प्रयास न होने के कारण इस समुदाय में बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष कार्य किये जाने की आवश्यकता है थारू लोग लड़कियो को विद्यालय में नहीं भेजते यदि भेजते भी है तो बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव नहीं हो पाता । सर्व शिक्षा अभियान में विकासखण्ड पचपेड़वा को प्राथमिकता दी गई है।

बाल श्रमिक स्ट्रीट चिल्ड्रेन -

विकासखण्ड उतरौला व श्रीदत्तगंज व्यापार के क्षेत्र में जनपद में अग्रगण्य है। उतरौला में उच्च शिक्षा के लिए कई शिक्षण सस्थांए है परन्तु प्राथमिक शिक्षा के लिए अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। कृषि समुन्नत है। इन विकासखण्ड के ग्राम सभायें क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से बृहद् है। उतरौला क्षेत्र व्यवासायिक होने के कारण यहाँ के छोटे बच्चे दुकानो, कुटीर लघु उघोगों पर कार्य करते है। कुछ छोटे बच्चे ईट भट्टी पर भी कार्य करते है। जिन्हे शिक्षा की आवश्यकता है। श्रीदत्तगंज व गैण्डासवुजूग विकासखण्ड मुस्लिम बालुल्य होने के कारण मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रो में पर्दा प्रथा बहुत है वहाँ की बालिकाओं की शिक्षा पर बल देने की आवश्यकता है। इनके लिए स्कूल में भेजने हेतु उत्प्रेरित करने के लिए दस दिन का कैम्प चलाने की आवश्यकता है।

शिक्षा गारन्टी योजना (EGS) -

इस योजना के अर्न्तगत 6-8 वय वर्ग में पंजीकृत कराया जायेगा । ऐसे ग्राम/ बस्ती/ टोल/ मुहल्ले जो विघालय से 1 कि०मी० की परिधि के बाहर है तथा 6-8 वय वर्ग के 30 बच्चे

उपलब्ध है। जहाँ पर इस प्रकार के केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। इन केन्द्रो में कक्षा 01 से कखा 02 तक पढ़ाई होगी। इन केन्द्रो का संचालन "सर्वशिक्षा अभियान" के अन्दर चिन्हित " स्टटे सोसाइटी " उ०प्र० सभी कें लिए शिक्षा परियोजना परिषद निशातगंज लखनऊ द्वारा कियाउ जायेगा। इन केन्द्रों पर शिक्षण कार्य हेतू एक अनुदेशक की व्यवस्था है।

वैकल्पिक एंव नवाचार (AIE) कार्यक्रम -

ड्राप आउट हाले के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने के कारण झेंप/ मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चे विशेषकर कामकाजी तथा बालश्रमिक एंव नवाचार शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एंव नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जिन ग्राम/ बस्ती/ टोले/ मुहल्ले/ मजरे में 20 बालक / बालिका शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित होगे वहीं पर ए०आई०ई केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। ये प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक दोनो स्तरों पर चलायें जायेगें। प्राथमिक स्तर के केन्द्र में 01 अनुदेशक एंव उच्च प्राथमिक स्तर पर 02 अनुदेशक की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्राथमिक स्तर पर यह केन्द्र 2002-03 में 20,03-04 में 40 खोले जायेगें।

माइक्रोप्लानिंग के आधार पर नियोजन की प्राथमिकता -

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जहाँ बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत कम हो।

ऐसे क्षेत्र जहाँ ड्राप आउट के कारण विघालय न जाने वाले बच्चो की संख्या अधिक हो।

ऐसे क्षेत्र जहाँ स्ट्रीट चिल्ड्रन, बालश्रमिक, घुमन्तू, एंव खतरनाक/गैर खतरनाक उघोगो में संलग्न बच्चों की शिक्षा अधिक हो।

शिक्षा ग्रारन्टी केन्द्र (EGS) -

वैकल्पिक एंव नवाचार केन्द्रों का स्वरूप - उपरोक्त असेवित बस्तियां एंव शालात्यागी छात्र/ छात्राओं के लिए शिक्षा ग्रारन्टी केन्द्र वैकल्पिक एंव नवाचार केन्द्र चरण बद्ध रूप से खोले जाने प्रस्तावित है।

शिक्षा गारन्टी योजना वैकल्पिक एंव नवाचार केन्द्रो का संचालन समय विशेष परिस्थितयों को छोड़कर केन्द्रों का संचालन का समय देर शाम एंव रात्रि में नहीं रखा जायेगा। ये केन्द्र प्रतिदिन 04 घंटे संचालित किये जायेगे।

अनुदेशक चयन - अनुदेशक यथा सम्भव उसी स्थान एंव समुदाय का होगा जहाँ पर शिक्षा ग्रारन्टी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना है। उसी ग्राम का अर्द्ध व्यक्ति न मिलने पर बिलकुल निकट के गांव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुदेशक के न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन पत्र करके हाईस्कूल परीक्षा के अंको के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। तत्पश्चात् अनुदेशक को आमन्त्रण पत्र आदेश ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। किसी अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटाया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशक का चयनजिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र, सभासद सम्बन्धित वार्ड , नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक/ शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

आवश्यकतानुसार मकतब / मदरसो में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज

द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने वाले तथा शिक्षक कार्य करने के इच्छुक होने की स्थिति में मकतबों मदरसें में संचालित होने वाले केन्द्रो को प्राथमिकता दी जायेगी अन्यथा सम्बन्धि मकतब की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्द्ध व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम होकर मकतबों में संचालित होने काले केन्द्रो में अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षा कार्य हेत आमत्रिंत किया जाएगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानिय जन समुदाय की आवश्यकता एंव उसके चयन के सम्बध में जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति समबंधित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनाई जायेगी। चयन प्रकिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को भी यदि आवश्यक हुआ तो सम्मिलित किया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्र के लिए अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होगी। जहाँ पर स्नातक अभ्यार्थी उपलब्ध न हों वहाँ पर इण्टरमीडियट उर्त्तीण महिला अभ्यार्थी का चयन किया जा सकता है। अनुदेशक के चयन के सम्बंध में अनुदेशक एंव ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक संविदा प्रपत्र भरा जायेगा जो निधार्रित प्रारूप पर एनेक्जर के साथ सलग्न किया जायेगा।

अनुदेशक का प्रशिक्षण -

अनुदेशक का तीस दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक रिसोर्स सेन्टर पर आयोजित किया जायेगा । प्रत्येक चयनित अनुदेशक की एक माह का प्रशिक्षण जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा डायट के प्रवक्ताओं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ एस०डीण्आई० / ब्लाक प्रोग्राम अफिसर ब्लाक रिसोर्स पर्सन तथा योग अध्यापक सन्दर्भ व्यक्तियों के माध्यम से कराया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा रू० 1500 प्रति अनुदेशक की दर से धन राशि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण को उपलब्ध कराया जायेगा प्रशिक्षण अवधि में अनुदेशक को मानदेय के रूप में कोई धन राशि देय नहीं होगी।

अनुदेशक मानदेय वितरण -

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो के प्रारम्भ होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालये द्वारा अनुदेशक के मानदेय की राशि रू० 1000/- अनुदेशक की दर से सम्बधित ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में स्थानांन्तरित कर दी जायेगी।

जिसके अध्यक्ष एंव सचिव ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अनुदेशक को चेक के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा। मानदेय की एक बार में 6 माह की अगिम्र धन राशि ग्राम शिक्षा समिति के खातो में स्थानान्तरित बार दर जायेगी।

नगर क्षेत्र में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के अनुदेशक को मानदेय का भुगतान शिक्षा अधिक्षक नगर/ प्रोग्राम आफिसर/ प्रोग्राम पर्सन एंव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अनुदेशक के संतोषजनक कार्य किये जाने पर किया जायेगा इस प्रकार की धन राशि कार्यक्रम से संम्बधित अधिकारी को उपलब्ध कर दर जायेगी यह धन राशि नगर क्षेत्र के संम्बधित सभासद/ प्रधानाध्यापक संयुक्त के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी। तत्पश्चात् चेक द्वारा अनुदेशक को भुगतान किया जायेगा ।

पर्यवेक्षण -

शिक्षा ग्रारन्टी एंव वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के सफल संचालन हेतू अकादमिक सहयोग एंव नियमित पर्यवेक्षण का कार्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / एस०डी०आई/ ब्लाक रिसोर्स पर्सन, ब्लाक रिसोर्स सेक्टर/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के प्रभारियो द्वारा किया जायेगा नगर क्षेत्र में यह कार्य शिक्षा / अधिक्षक नगर प्रोग्राम आफिसर/ नगर रिसोर्स पर्सन सहायक शिक्षा अधिक्षक/ जनपद नगरियें अधिकारियों द्वारा किया जायेगा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी/ बी०आर०सी० प्रभारी द्वारा अनुदेशको की वार्षिक बैठके भी ली जायेगी जिसमें ब्लाक आफिसर/ रिसोर्स पर्सन सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ उप बेसिक शिक्षा अधिकारी भी समय समय पर इन बैठको में अनुश्रवण करेगे निकटस्थ प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयो के प्रधानाध्यापको एंव अध्यापको का भी यह कर्तव्य होगा की वे लगातार उन केन्द्रों का पर्यवेक्षण करते रहेगे न केवल ग्राम शिक्षा समिति अपितु विकास खण्ड स्तरीय समिति के पदाधिकारियों को अपनी आख्याओं से अवगत कराते रहेगे । ग्राम शिक्षा समिति भी नियार्प्त रूप से इन केन्द्रों के संचालन पर नजर रखेगी और समय समय पर अपने सुझांव अनुदेशक/ अनुदेशक को देगी। डायट में डी०आर०यू० प्रभारी एंव उसके अधिनस्थ सभी अभिक्रर्मी भी इन केन्द्रों का नियमित प्रवेक्षण करेगे

पर्यवेक्षण का कार्य उपरोक्त सभी अधिकारियों द्वारा एक रोस्टर प्रणाली के द्वारा किया जायेगा ताकि सर्व भौखिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो सके ।

नि:शुल्क शिक्षण सामाग्री -

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज सज्जा एंव शिक्षा सामाग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यार्ल द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में सीधे स्थानान्तरित की जायेगी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निधार्रित सामाग्री बा़जार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके सीधे अनुदेशको को उपलब्ध करायी जायेगी । शिक्षा केन्दों पंर नांमांकित सभी बच्चों को नि:शुल्क पाठ् पुस्तके भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी । तथा इस ध नराशि का समायोजन शिक्षा सामग्री मद रू० 845/– प्राथमिक तथा रू० 1200/– उच्च प्राथमिक से किया जायेगा। शिक्षण सामग्री मद का 5 प्रतिशत राज्य जनस्तरीय प्रबन्धन हेतु क्रय किया जायेगा। शिक्षण गारण्टी वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित औपचारिक शिक्षा का पाठय पुस्तकें ही सम्प्रति में लायी जायेगी।

छात्र– छात्राओं का मूल्यांकन -

अनुदेशक द्वारा वैकल्पिक एवं शिक्षा गारण्टी केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का सत् एवं नियमित मूल्यांकन किया जायेगा इसके लिए अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायगी। बच्चों का तिमाही , छमाही, तथा वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आध ार पर किया जायेगा तथा यह प्रयास किया जाय कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों मे पढने वाला प्रत्येक बच्चा शीध्र औपचारिक विधालय की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिए वह योग्य हो, किसी भी समय प्रवेश पा जाय। अनुदेशक का यह दायित्व होगा कि उनके केन्द्र पर पढ़ने वाले बच्चे शीध्र अतिशीध्र एवं अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाते रहें इसी परिपेक्ष में अनुदेश,क का मूल्यांकन भी ग्राम शिक्षा समिति विकास खण्ड स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। अनुदेशको द्वारा बच्चों के अध्ययनरत अवधि ा में उनके व्यावहारिक स्तर में आये सुधार से अभिभावकों को एवं ग्राम शिक्षा समिति को लगातार अवगत कराया जायेगा।

केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चे जो कक्षा –5 हेतु निर्धरित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेगे उनकी वार्षिक परिक्षा बेसिक शिक्षा परिषद उ०प्र० द्वारा र्निधारित परिक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विघालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी।

प्रबन्धंन लागत -

उक्त केन्द्रों की अधिकतम लागत में 5 प्रतिशत राज्य एंव जिला / विकासखण्ड स्तर पर प्रशासनिक प्रबन्धन पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है। विकासखण्ड स्तर पर प्रबन्धन की अधिकतम लागत निम्नवत् रखी जायेंगी।

80-100 केन्द्रों के मध्य - 2.50 लाख रू० प्रति वर्ष

50-80 केन्द्रों के मध्य - 2 लाख रू० प्रति वर्ष

25-50 केन्द्रों के मध्य - 1.5 लाख रू० प्रति वर्ष

25 केन्द्रों से कम - रू० 100 प्रति छात्र / छात्रा प्रति वष

प्रत्येक केन्द्र की लागत इस बात पर निर्भर करेगी की उसमें कितने बच्चे अध्ययनरत है । प्राइमरी स्तर के केन्दे के लिए रू० 845.00 प्रति वर्ष छात्र/ छात्रा प्रति वर्ष और अपर प्राइमरी स्तर के लिए 1200.00 रू० प्रति छात्र/ छात्रा प्रति वर्ष की अधिकतम धनराशि की व्यवस्था इस योजना अर्न्तगत की जा सकती है। अधिकतम सीमा तक केन्द्र लागत निम्नवत् रखी जा सकती है।

1 क०स०	2 आइटम	3 प्राथमिक केन्द्र	4 अपर प्राथमिक केन्द्र
1-	अनुदेशक का मानदेय	रू० 1000.00 प्रति माह प्रति केन्द्र	रू० 2000.00 प्रति माह दो अनुदेशको के लिए रू० 1000 प्रति अनुदेशक
2-	अनुदेशक प्रशिक्षण	रू० 1500 प्रति वर्ष 30 दिन के लिए रू० 50 प्रति दिन की दर से	रू० 4000 प्रति वर्ष 2 अनुदेशकों के लिए ५० रू० प्रति दिन 40 दिनें के लिए
3-	बच्चो के लिए शिक्षण सामाग्री	रू० 100 प्रति छात्र/ छात्रा	रू० 150 प्रति छात्र/ छात्रा
4-	केन्द्र के शिक्षण सामाग्री	रू० 1100 प्रति केन्द्र	रू० 1200 प्रति केन्द्र
5-	केन्द्र कन्टी जेन्सी	रू० 468-75 प्रति केन्द्र	रू० 500-00 प्रति केन्द्र

ब्रिज कोर्स ग्रीष्म कालीन/ क्षेत्र आधारित कोर्स -ब्रिज कोर्स/ ग्रीष्म कालीन/ क्षेत्र आधारित शिविर - सड़क / प्लेट फार्म , मलिन बस्तियो, दुकानो , घुमन्तू बच्चो , नौकरी पेशा ,कुली गिरि करने वाले बच्चो तथा ऐंसें बच्चो जिनके अभिभावक जेल में है अथवा बाल श्रमिको/ खतरे के उघोगे में लगे बच्चे जिनका वय वर्ग 9-14 है को ब्रिज कोर्स/ ग्रीष्म कालीन/ क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविर संचालित किये जायेगे/ ब्लाक पचपेड़वा के जंगल गाँव पर जन जाति (थारू) बाहुल्य क्षेत्र में एक ब्रिज कोर्स चलाया जाना प्रस्तावित है विकास खण्ड गैसड़ी के जंगल गाँव जहाँ पर जन जाति (थारू) बाहुल्य क्षेत्र है में भी एक ब्रिज कोर्स खोला जाना प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त विकास खण्ड श्रीदत्तगंज के सूदूर जनपद गोण्डा से सटे क्षेत्र में बाल श्रमिक/ घूमन्तु बच्चो हेतु भी एक ब्रिज

कोर्स खोला जाना प्रस्तावित है।

इन ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन/ क्षेत्र विशिष्ट शिविर का उद्देश्य औपचारिक विघालयो से वंचित रहे इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। प्रत्येक ब्रिज कोर्स/ ग्रीष्म कालीन/ क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविरों में 9 से 14 वय वर्ग के न्यूनतम 50 बच्चों को सम्मिलित किया जायेगा तथा यह शिविर पूर्णतया आवासीय होगे इन शिविरों में बच्चो के रहने खाने पीने एंव शिक्षण आदि की व्यवस्था नि:शुल्क होगी। निर्धारित मानको के अर्न्तगत ब्रिज कोर्स/ शिविरो के लिए (01) एक केयर रेकर दो (02) पैरा टीचर एक (01) कुक (रसोइया) तथा एक (01) चौकीदार की आवश्यकता होगी ओर इस पर चयन मानक प्रकिया के अनुसार किया जायेगा। जिसके लिए जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अल्प कालीन अवधि हेतु संविधा के अर्न्तगत व्यवस्था की जायेगी। केयर रेकर अनुदेशको के प्रशिक्षण की व्यवस्था छात्र / छात्राओं के लिए नि:शुल्क शिक्षण सामग्री आदि के लिए वित्तीय मानक प्राइमरी एंव अपर प्राइमरी की भाति रखी जायेगी। केवल आवासी व्यवस्था खाने पीने की नि:शुल्क व्यवस्था एंव साज सज्जा आदि के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जायेगी अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था में ग्राम पंचायत/ ग्राम शिक्षा समिति/ जन समुदाय का सहयोग कुछ अंश दान प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

ब्रिज कोस खेालने हेतु उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी जँहा पर नि:शुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध हो सके यह भी ध्यान रखा जायेगा की ब्रिज कोर्स विकास खण्ड जनपद मुख्यालय में स्थापित हो।

ब्रिज कोस का संचालन ग्रामीण/ नगर क्षेत्र के मुख्यालयो में किया जायेगा जँहा आवासीय व्यवस्था यदि नि:शुल्क प्राप्त हो जायेगी उस क्षेत्र स्थान को प्राथमिकता दी जायेगी।

ब्रिज कोर्स/ शविरों की अवधि 4 माह से 18 माह तक रखी जायेगी इस हेतु रू० 1500 प्रति छात्र /छात्रा अनुमन्य होगी और उसी मानक धनराशि से सम्पूर्ण व्यवस्था की जायेगी। वर्ष 2003-04 में 2 तथा 2004-05, 05-06, 06-07 में एक–एक ब्रिज कोर्स चजाए जायेगें।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन -

जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा जो कालान्तर में सर्व शिक्षा के अभियान को संचालित करने वाली समिति भी कही जायेगी जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन जिला अधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा जिसमें निम्न सदस्य होगे।

1- जिला अधिकारी - अध्यक्ष

2- मुख्य विकास अधिकारी - उपाध्यक्ष

3- विशेषज्ञ बे०शि०अ०/ जि०बे०शि०अ०- - सदस्य सचिव

4- डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आफिसर (E.G.S) - सदस्य

5- प्राचार्य जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान - सदस्य

6- जिला स्तरीय श्रम विभाग का अधिकारी - सदस्य

7- जिला पंचायत राज्य अधिकारी - सदस्य

8- वित्त एंव लेखा अधिकारी (का०बे०शि०अ०)- सदस्य

(स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों का नामांकन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा)

जनपद के योजना के अर्न्तगत प्रस्तावों को तैयार करने एंव कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त समिति का होगा।

ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका

प्रास्तावित शिक्षा गारेन्टी/वैकल्पिक शिक्षा योजना (EGS/AIE) के लिए ग्राम शिक्षा समिति के निम्न लिखित कर्तव्य एवं दायित्व प्रस्तावित है।

– 6–14 वय वर्ग के विधालय न जाने वाले बच्चो को माइक्रोप्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षण कर उन्हें चिन्हित करना।

– कार्यक्रमों के संचालन हेतु वातावरण सृजन करना अनुदेशको का चयन करना।

– केन्द्रों का समय निर्धारित करना।

– केन्द्रों की साज सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का बाजार मूल्यो पर नियामंनुसार क्रय कर केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदेशको को उपलब्ध करना।

– अनुदेशको को प्रशिक्षणोपरान्त ही केन्द्र का दायित्व सौपना।

– अनुदेशको की उपस्थिति बच्चो की उपस्थिति एवं केन्द्र का प्रबन्धन एवं प्रतिदिन निरीक्षण करना।

– केन्द्रो में पढ़ने वाले बच्चो को औपचारिक विधालय में प्रवेश करने के लिए लागातार प्रोत्साहित करना।

– नियमित रूप से अनुदेशको के मानदेय का भुगतान करना।

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विकास खण्ड स्तर पर समिति की निम्न भूमिका प्रस्तावित है।

– ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावो को संकलित करना।

– ग्रामीण क्षेत्र को माइक्रोप्लानिंग करना, समीक्षा करना तथा प्रस्तावों को तैयार करना।

– कलस्तर रिर्सोस पर्सन/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक की सहायता से केन्द्रो/शिविरो का भ्रमण एवं पर्याप्त भ्रमण एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण/अनुक्षण की व्यवस्था करना।

– जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध सन्दर्भ दाताओं की सहायता से प्रशिक्षण केन्द्र आयोजित करना।

<u>जिला प्राथमिक शिक्षा सलाह कार समिति के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्वः</u>

जनपद में सफल EGS & AIE हेतु जिला शिक्षा सलाहाकार समिति को निम्नांकित दायित्व प्रस्तावित है।

– शिक्षा गारंटी/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र एवं नवाचार शिक्षा हेतु सम्पूर्ण जनपद में माइक्रोप्लानिंग कर आवश्यकता अनुसार अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओ के प्रस्तावों को ग्राम स्तर विकास खण्ड स्तर से तैयार कर जिला स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा करना।

– केन्द्र/ब्रिज कोस/ग्रष्मि कालीन क्षेत्र विशिष्ठ सेमिनार। शिविर के प्रस्ताव को स्टेट सोसायटी को प्रस्तुत करना। कार्यक्रमों का कार्यन्वयन करना।

– अन्य विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियो के साथ कर Convergence कार्यक्रम का संचालन करना।

– कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यशालाओं का आयोजन करना।

– स्टेट सोसायटी द्वारा उपलब्ध करायी गयी मदवार धनराशियों को विकास खण्ड स्तरीय समिति के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति अथवा स्वैच्छिक संगठनो के कार्यक्रमों से संचालनार्थ अग्रिम रूप से उपलब्ध करना।

विकलांग बच्चो के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :–

जनपद बलरामपुर में पढ़ने वाले विकलांग बच्चो की संख्या 409 है। इन बच्चो का विकास खण्ड वार चिन्हाकन कर प्राथमिकता के आधार पर ई०जी०एस० एवं ए०आई०ई० केन्द्र की

स्थपना की जायेगी।

विकलांग बच्चो के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र पर अधिक तम 14 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष की आयु तक रखने का प्रावधान है। इस में न्यूनतम छात्र संख्या को 15 से कम किया जाने का प्रस्ताव है। जिस ग्राम/बस्ती/मजरे/टोले/मुहल्ले में विकलांग बच्चे है उनकी अवश्यकता को ध्यान में रखकर छात्र संख्या एवं उम्र में पूरी छूट दिया जाना प्रस्तावित है। कोई भी विकलांग शिक्षा से वंचित न रह जाए इस बात का पूर्ण प्रयास किया जायेगा। चलने में यादि असमर्थ है तो उसके घर के निकट केन्द्र खोला जायगा अथवा साइकिल अथवा बैसाखी उपकरणों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करना प्रस्तावित है।

बालिकाओं के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :–

जिन गावों/मजरो/पुरवो में बालिका साक्षरतादर न्यूनतम है। एसे ग्रामो में बालिका वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जाये तथा महिला अनुदेशिका की व्यवस्था की जायेगी। इस में सामुदायिक सहभागिता वाला जत्था, महिला मंगल दल, माँ बेटी मेला, किशोरी संध आदि के सहयोग से चेतना जागृति एवं बालिका शिक्षा में रूचि को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। महिला साक्षरता दर में न्यूनता के आधार पर विकास खण्ड रेहरा एवं पचपेड़वा में बालिका शिक्षा केन्द्र प्राथमिकता के आधार पर खोले जाना प्रस्तावित है।

अल्पसंख्को के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रः–

जनपद का अधिकाश 6 से 14 आयु वर्ग का निरक्षर अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित है। जिनका उद्देश्य केवल मकतब में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करता है। इन कार्यक्रम में मकतबो मदरसो में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव फोकस ग्रुप डिस्कसन के अन्दर आया। मकतबो में इसी धर्म समुदाय का व्यक्ति यदि हाईस्कूल उत्तीर्ण है तो उसे अनुदेशक के रूप में चिन्हित किया जाये और वहाँ पर बेसिक शिक्षा की पाढ़य पुस्तके उपलब्ध करा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।

3. <u>रणनीति</u> :–

जनपद बलरामपुर में प्रस्तावित शिक्षा गारंटी योजना केन्द्रो की संख्या

विद्यालय वापस चलो शिविर (समर कैम्प)

इस प्रकार के शिविरों का प्रमुख उद्देश्य शालात्यागी बच्चों विशेषकर अनुसूचित जाति बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है यह शिविर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनो के ही लिए चलाऐ जाने है शिविरों का संचालन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होगा इन शिविरों के उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से सभी बच्चों को जो शालात्याग कर चुके है और इसके कारण शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ गये है, शिक्षित करके उनके स्तर के अनुसार औपाचारिक प्राथकमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा । शिविर की अवधि 10 दिन की होगी । इन शिविरों में ऐसे बच्चों को भी प्रवेश दिया जायेगा जो विद्यालय से बाहर रहे है और अभिप्रेरणा के अभाव में शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित रहे है इन शिविरों में बालक बालिकाओं के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जायेगा और साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जायेगा इन केन्द्रों का वर्षावार विवरण निम्न है।

वर्ष	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
शिवरों की संख्या	-	-	60	60-	40	45	-	-	-

क्र०स०	विकास खण्ड	प्रस्तावित ई०जी०ए केन्द्र
1.	बलरामपुर	12
2.	हरैया सतघरवा	14
3.	गैसड़ी	12
4.	तुलसीपुर	11
5.	पचपेड़वा	12
6.	उतरौला	11
7.	रेहरा बाजार	12
8.	गैड़ास बुजुर्ग	08
9.	श्री दत्तगंज	08
	योग	100

ई० जी० एस० केन्द्र खोलने हेतु चयनित असेवित बस्ती का नाम

1. विकास खण्ड – बलरामपुर

न्याय पंचायत	ग्राम पंचायत	पुरवा / मजरा
1. रछौड़ा	घुघुरपुर	नथईपुरवा
2. रछौड़ा	टेगनहिया मानकोट	मोहम्मदपुर
3. हसुआडोल	रघवापुर	गोपियापुर
4. भीखपुर	भीखपुर	पसियनपुरवा
5. शंकरपुर	शंकरपुर	सेरूपुर
6. अमरहवा	फरेन्दा	लालपुर जंगल
7. हसुवाड़ोल	कलन्दरपुर	विश्रामपुर
8. भगवानपुर	बलुआ बलुई	साधोपुर
9. नन्दनगर खजुरिया	खजुरिया	जम्मूदीप
10. सेखुईकला	बरांव	छितौनी
11. शंकरपुर	बालपुर	बसावनपुर
12. बिशुनीपुर	बिशुनीपुर	बिशुनीपुर

2. <u>विकास खण्ड – हरैया सतघरवा</u>

13.	मथुरा बाजार	मथुरा	वनकसिया
14.	"	शिवानगर	पम्पापुर
15.	"	वीरपुर	गोकुली
16.	सिहंपुर	मदारगढ़	परसहवा
17.	शिवपुरा	शिवपुरा	नोहरडीह
18.	गोडवा	कुदगोडवा	अकबरपुर
19.	मोतीपुर	धामाचौरी	दर्दहवा
20.	हरैया	हरैया	हज्जीपुरवा
21.	कोहडौरा	बरदौलिया	कुसमौरा
22.	चौधरीडीह	चौधरीडीह	माधवडीह
23.	सिंहपुर	सिंहपुर	अन्धेरीजोत
24.	देवपुरा	गुगौलीखुर्द	लवेदपुर
25.	बनद्युसरी	हाथीगर्दा	लक्ष्मनपुर–धर्मपुर
26.	शिवपुरा	भगता	भगता

3.<u>विकास खण्ड</u> – गैसड़ी

27.	नगई	लैवड़वा भोजपुर	मेहदिया
28.	जरवा बनगाई	मोहकमपुर	कुशहवा
29.	बिशुनपुर कला	लुधौरी	मंसुरवा
30.	महुआ	महुआ	परसा
31.	गैसड़ी	मटेहना	लालपुर
32.	शिवपुर महादेव	जिगनिहवा	कन्हईडीह
33.	पिपरा	गनवरिया	करमहिया
34.	चरनगहिया	दुलहिनडीह	चतुरनगर
35.	चरनगहिया	छपिया सुखरामपुर	छपिया
36.	मोतीपुर कुड़ोहा	चौकिया	लालपुर
37.	मोतीपुर कुड़ोहा	नथईडीह	ओरसिहंडीह
38.	कोल्हुइया भोजपुर	भोजपुर कोल्हुइया	महरी

4.<u>विकास खण्ड – तुलसीपुर</u>

39.	लौकहवा	विशनपुरखैरहनीया	लालजोत
40.	लौकहवा	जद्दापुर	गुदरा
41.	मोहनपुर	सेखुइनिया	खैतारडीह
42.	महराजगंजतराई	महराजगंजतराई	निरंजनगाँव
43.	बालापुर	मुड़िला	धनुहिया
44.	लालपुर लैवुडडी	कनहरा	बनकटवा सुखरामपुर
45.	गढ़वाकला	प्रेमनगर	जुमाईडीह
46.	गढ़वाकला	गनेशपुर	इमिलिया
47.	गढ़वाकला	भगहाकला	भचकहिया
48.	देवीपाटन	चैयनपुर बड़ेरिया	बड़ेरिया
49.	बेलीखुर्द	बेलीखुर्द	गदाखडवा

5.<u>विकास खण्ड</u> – पचपड़ेवा

50.	लक्ष्मीनगर	गोबरी	पैकी
51.	लक्ष्मीनगर	बिजुवाकला	परसा
52.	भगवानपुर	मल्दा	मल्दाडीह
53.	धमौली	कुशमहर	गौरडीह
54.	पोखरभिटवा	मिश्रौलिया	वनकटवा
55.	हरखडी	सिसहनिया धोपलापुर	धोपलापुर
56.	हरखडी	बेतहनिया	करैहिया
57.	हरखडी	हरखडी	हिसामपुर
58.	मनकापुर	मनकापुर	सुखरामपुर
59.	मनकापुर	शिवपुर भगवानपुर	भगवानपुर
60.	विशुनपुर टनटनवा	मदरहवा	बसन्तपुर
61.	मनोहरापुर	तिलकहना	तिलकहनी

6.विकास खण्ड – उतरौला

62.	रेडंवलिया	मोहम्मदनगर ग्रिन्ट	जुलाहनडीह
63.	रेडंवलिया	जाफराबाद	ढांढ़ीडीह
64.	रेडंवलिया	मसीहाबाद	इस्लामीडीह
65.	रेडंवलिया	रेड़वलिया	रेड़वलियाखास
66.	मानापारबहेरिया	मानापारबेहरिया	तेलीयाजोत
67.	मानापारबहेरिया	रामपुरमुरार	केड़सर
68.	मानापारबहेरिया	समराइटईआदम	बैदोला
69.	मानापारबहेरिया	गनवरिया बुजुर्ग	इसरिकडीह
70.	इमलिया बनधुसरा	भैरमपुर	बड़हरा
71.	बढ़या–पकड़ी	वनकटवा	माधौमहुवा
72.	बढ़या–पकड़ी	नयानगर	मकसुदपुर

7.विकास खण्ड – रेहराबाजार

73.	सादुल्लाहनगर	रामपुर अरना	महादेवडीह
74.	सादुल्लाहनगर	भेलया मदनपुर	गद्दीपुर
75.	सादुल्लाहनगर	सादुल्लानगर	मथुरा
76.	वूधीपुर	बूधीपुर	बैसिया
77.	वूधीपुर	देवारीखेरा	महराजीपुर
78.	अधीनपुर	अचलपुररूप	खमहरिया नरायनपुर
79.	अधीनपुर	ग्वालियरग्रान्ट	पनवापुर
80.	रेहरा	केराडीह	इटिहनपुरवा
81.	अचलपुर चौधरी	दतलूपुर	बनकटवा छितलुपुरवा
82.	मुबारकपुर	सहजौरा	बसालतपुरवा
83.	सरायखास	अहिरौली बुजुर्ग	महरीपुर
84.	मुबारकपुर	पिपराग्रान्ट	बनकटवा

8.<u>विकास खण्ड</u> – गौड़ास बुजुर्ग

85.	इटईरामपुर	अमहवा	पल्टनडीह
86.	इटईरामपुर	नरायनपुर	चन्दनजोत
87.	गैण्डास बुजुर्ग	धौरहरा	गोलीजोत
88.	हुसैनाबादग्रान्ट	भरतपुर	ओरीडीह
89.	हुसैनाबादग्रान्ट	दौलताबाद	चिन्कूजोत
90.	हुसैनाबादग्रान्ट	पकड़ीभोआर	रेहरवा
91.	नगवा	छीटजोत	छीटजोत
92.	नगवा	परसौना	रेनुआ

9.<u>विकास खण्ड</u> – श्री दत्तगंज

93.	केरावगढ	मझारीबासिल	नवाडेहवा
94.	पिपराकोल्हुर्ड	पचौथा	लोनियनडीह
95.	महुआ बभनपुरवा	बभनपुरवा	महुआधाटम
96.	गिद्धौर	त्रिगुनाइटतपुर	सुरकुन्द पुरडीह
97.	पिपरायाकूब	पुरैना कानुनगो	रंम्कलीडीह
98.	पिपरायाकूब	पुरैना वाजिद	हलईडीह
99.	शाहपुर इटई	शाहपुर इटई	शहियापुर
100.	आदम प्रेम नगर	जिगना	वदबलिया

अध्याय – 8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

जनपद बलरामपुर जैसे पिछड़े जनपद व इसकी दुरूह भौगोलिक परिस्थितियों के चलते उत्पन्न प्रभाव का परिणाम यह हुआ कि जनपद आज तक शैक्षिक व सामाजिक दृष्टि से काफी पिछड़ा है। इस पिछड़ापन का परिणाम यह हुआ कि यहाँ जनपद में प्राथमिक विद्यालयों या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शासन द्वारा चलाये गये अभियान व योजनाओं के फलस्वरूप नामांकन या पंजीकरण तो हो जाता है लेकिन यह नामांकन जन सामान्य में शिक्षा के प्रति व्याप्त उदासीनता के चलते अंतिम कक्षा तक लगातार चल नही पाता है जिसके ठहराव में वृद्धि न होने कारण काफी बच्चें ड्राप आउट कर जाते है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम II अन्तर्गत इस ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रयास किये गये समस्त अध्यापकों को 99-2000-2001 तथा 2002-2003 में सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण दिया गया जिसमें विज्ञान और गणित शिक्षण की विशेष विधियों को सरल तरीके से प्रस्तुत करनें की विधियों की जानकारी दी गई। इसके अलावा 6-11 वय वर्ग के वे बच्चे जो किसी कारण बीच में ही शाला त्याग कर चुके हों उनके लिए वर्ष 99-2000-2001 तथा 2002-2003 में 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। इसके अलावा 106 प्रा०वि० भवनों (नवीन/पुर्ननिर्माण) 90 अतिरिक्त कक्षाओं तथा 360 शौचालयों का निर्माण कराया गया। साथ ही समस्त विद्यालयों को हैन्डपम्प(पेयजल) सुविधा से आच्छादित करने का प्रयास किया गया। उर्पयुक्त के अलावा प्राथमिक स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अर्न्तगत वर्ष 2000-2001 तथा 2002-2003 अनु०जा० अनु०जनजाति के समस्त बालकों तथा हर वर्ग की समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित किया गया। वर्ष 2002-2003 में छात्रों को जुलाई व अगस्त माह में छात्रवृत्ति वितरित कर ठहराव को प्रभावी व गुणकारी बनाने का प्रयास किया गया। उर्पयुक्त प्रयासों के बाद भी जनपद में शाला त्याग की दर बहुत अधिक है। इसके लिए सर्व अभियान के अर्न्तगत यह प्रयास किया जायेगा कि शत् प्रतिशत विद्यालय

मूलभूत सुविधाओं से मुक्त हो जिसके लिए अक्टूबर 2002 में परिवार सर्वेक्षण कराया गया और गाँव स्तर पर आवश्यकताओं का चिन्हीकरण किया गया।

8.1 विद्यालय भवन पुर्ननिर्माण

जनपद बलरामपुर में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अर्न्तगत 54 जर्जर/ध्वस्त प्राथमिक विद्यालय भवनों का पुर्ननिमाण कराया गया था तथपि बड़ी संख्या में ऐसे प्राथमिक विद्यालय भवन हैं जो जर्जर या ध्वस्त होने के कगार पर है जिनके पुर्ननिर्माण की आवश्यकता है तथा जिनके पुर्ननिर्माण भवनों से बाहर बैठनें वाले बच्चों के लिए आवश्यक शैक्षिक सुविधाएं व माहौल बनानें में पर्याप्त मदद मिलेगी। जिससे विद्यालय में ठहराव की प्रक्रिया को बल मिलेगा चूकि भवनों के जर्जर हो जाने से इन विद्यालयों के कक्षाओं को बाहर या पेड़ के नीचे लगाना मजबूरी होती है इसका परिणाम यह होता है। कि खुला मैदान होने से बच्चे मध्याअवकास के बाद वापस नहीं आते और आते भी है तो कुछ महिनों के पश्चात् विद्यालय आना बन्द कर देते है। जिससे ड्राप आऊट में वृद्धि होती है। इसे रोकने के लिए 150 प्राथमिक व 40 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के पुर्ननिमाण की आवश्यकता है जिसका निर्माण निम्न वर्षों में किया जायेगा।

सारणी न० . 8.1

जर्जर/ध्वस्त भवनों के पुर्ननिर्माण

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	योग
ध्वस्त/जर्जर प्राथमिक विद्यालय सख्या	-	-	10	90	28	-	-	-	-	128
ध्वस्त/जर्जर उच्च प्राथमिक विद्यालय सख्या	-	-	20	15	5	-	-	-	-	40

वर्ष 2005-06 में .....04..... प्राथमिक एवं .....04..... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है। वर्ष 2003-04 में 101 प्राप्त हो चुके हैं कुल लक्ष्य 510 का है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	200	
2005-06	150	
2006-07	59	
योग	409	

वर्ष 2001–02 में जनपद में उपलब्ध परिषदीय छात्र संख्या प्राथमिक विद्यालयों में 130452 के सापेक्ष 40:1 की दर से कुल 3261 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता पड़ती है। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 3037 अतिरिक्त कक्षा कक्ष है। विद्यालयों में उपलब्ध बरामदों को भी कक्षा कक्ष मान लिया गया है जनपद के लिए आवश्यक कक्षा कक्षों का विवरणनिम्न सारणी से स्पष्ट है।

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता

बलरामपुर

क्र०सं०	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	40:1 दर से कक्षा कक्ष	वर्तमान कक्षा कक्ष	नवीन विद्यालय के कक्ष के अन्तर्गत प्रस्तावित	योग (4+5)	आवश्यक कक्षा कक्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2001–02	130452	3261	3037	–	3037	214
2.	2002–03	138351	3459	3037	–	3037	422
3.	2003–04	149214	3730	3037	80	3117	617
4.	2004–05	157703	3943	3117	200	3317	626
5.	2005–06	160857	4021	3312	350	3667	354
6.	2006–07	164074	4102	3667	320	3987	115

टिप्पणी:– जनपद में ई0सी0सी0ई0, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र एवं ए0आई0ई0 के संचालन होने से मूल अतिरिक्त आवश्यक कक्षा कक्ष की आवश्यकता की मांग 418 का ही रखा जा रहा है।

सन 2001 की जनगणना के आधार पर वांछित विस्तृत आकड़े प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने पर** आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं उच्च** प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

स्रोत – जनगणना 2001 पर आधारित अनुमानित प्रक्षेपण

8.3 शौचालय –

जनपद में अद्यातन 510 ऐसे विद्यालय हैं जिसमें शौचालय का निर्माण होना शेष है। इसी प्रकार 90 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिसमें शौचालय निर्मित नही है।

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	योग
संख्या प्रा०वि०	-	-	150	200	100	60	510
उच्च प्रा०वि० एस.एस.ए. के अन्तर्गत प्रस्तावित		30	50	68	-	-	148

हैण्डपम्प –

वर्तमान में जनपद के समस्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय इण्डिया--मार्का--२ हैण्डपम्प (पेयजल) से संतृप्त है। भविष्य में निर्मित हाने वाले समस्त विद्यालयों के निर्माण लागत में हैण्डपम्प लगाने हेतु लागत सम्मिलित है। इस तरह समस्त विद्यालय पेयजल सुविधा से संतृप्त रहेगें।

8.5 चाहरदीवारी :–

विद्यालय की जमीनों पर ग्राम पंचायत व अन्य द्वारा किये जा रहे अतिक्रमण को रोकने तथा विद्यालय की खाली पड़ी जमीन पर प्रति वर्ष लगाये जाने वाले वृक्षों -- बागवानी तथा विद्यालय सामग्री की सुरक्षा हेतु चाहर दीवारी की अत्यन्त आवश्यकता है । यह इस लिए भी आवश्यक है की छात्रों की सुरक्षा तथा उन पर नियंत्रण रखनें में सुविधा रहेगी। जनपद में 98%

प्राथमिक विद्यालय 54% उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चाहर दीवार की आवश्यकता होगी सारणी 8.4 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय को मिलाकर 1027 विद्यालयों में चाहर दीवारी का निर्माण कराया जायेगा जिसका विवरण निर्माण के लिए वर्षवार निम्नवत प्रस्तुत किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चहारदिवारी का प्रावधान नहीं किया गया है।

सारणी – 8.4

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
संख्या	-	-	-	-	-	-

चाहर दीवारी हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक लागत रू० 40000/- से अधिक लागत आने पर अतरिक्त धनराशि की व्यवस्था समुदाय द्वारा की जायेगी चाहर दीवारी हेतु कम लागत का विकल्प इस रूप में संभव है कि जो भी नया जू०हा० स्थापित किया जाय वह मुख्यतः प्राथमिक विद्यालय के परिसर में हो इससे जू०हा० की चाहर दीवारी से प्राथमिक विद्यालय भी आच्छादित हो जायेगा।

8.6 भवन मरम्मत :–

जनपद बलरामपुर में 1990 के पूर्व के अधिकांश निर्मित भवनों की दशा जीर्ण शीर्ण हो गयी है। उसमें बैठकर शिक्षण कार्य करना अध्यापक तथा छात्र दोनों के जीवन के लिए खतरा मोल लेना ही है। जनपद का भौगोलिक परिदृश्य पहाड़ों, नालों, नदियों से आच्छादित होने के कारण बाढ़ ग्रस्तता की समस्या अधिक रहती है। जिस कारण उन भवनों की दशा और और भी दयनीय हो गयी है। मरम्मत कार्य को दो भागों में विभक्त करते हुए उन्हे चिन्हित किया गया है।

इस प्रकार जनपद में 230 प्राथमिक तथा 07 उच्च प्राथमिक विद्यालय लधु मरम्मत योग्य है। तथा 322प्राथमिक और 19 उच्च प्राथमिक विद्यालय वृहत मरम्मत योग्य है। लधु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला परियोजना समिति तथा वृहत मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार राज्य परियोजना समिति तथा वृहत मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार राज्य परियोजना कार्यालय को होगा।

इस तरह 237 लधु मरम्मत तथा 341 वृहत मरम्मत होने हैं किन्तु इस हेतु प्रतिवर्ष ५००० रू० की दर से बजट दिये जाने का प्राविधान सर्वशिक्षा अभियान योजना अन्तर्गत समस्त विद्यालयों हेतु किया गया है।

8.7 विद्यालय की सुविधाएं :– (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय)

विद्यालय का वातावरण आकर्षक होने पर छात्र भी विद्यालय की ओर आकर्षित होते है जिससे उनके ठहराव और धारण में वृद्धि होती है। वर्तमान में जनपद में ९५५ प्राथमिक तथा 175 उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालय है। जिसके रखरखव हेतु रूपया 5000 प्रति वर्ष प्रति विद्यालय की दर से देने का प्रस्ताव दिया है। आगामी वर्षों में निम्न तालिका के अनुसार विद्यालयों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

सारणी – 8.7

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
प्रा०वि०			958	1048	1048	1048
उच्च प्रा०वि०	175	175	192	338	400	400

8.8 विद्यालय विकास अनुदान :–

विद्यालयों में होने वाले दैनिक व्यय – जैसे चाक, डेस्टर की व्यवस्था स्टेशनरी विद्यालय अभिलेखों हेतु रजिस्टर तथा अन्य अल्प व्यय के लिए 2000/- प्रति विद्यालय की दर से दिया जाना प्रस्तावित है जिसके उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर १७५ पूर्व के तथा २२७ नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं हाईस्कूल कालेजों में संचालित जूनियर कक्षायें २३ विद्यालय कुल ४२३ विद्यालयों हेतु बजट प्राविधान किया गया है तथा प्राथमिक स्तर पर ६४६ पुराने विद्यालय एवं ५० नवीन प्रस्तावित विद्यालय तथा हाईस्कूल से सम्बद्ध ३ प्राथमिक विद्यालय कुल १००२ विद्यालयों हेतु बजट का प्राविधान किया गया। जो प्रतिवर्ष दिया जाना है।

सारणी – 8.8

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
प्राथमिक विद्यालय	-	-	949	1002	1002	1002
उच्च प्राथमिक विद्यालय	-	175	175	220	361	423

शिक्षकों की आवश्यकता

प्राथमिक विद्यालय

सारणी - 8-7A

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	सृजित शिक्षक	वर्तमान शिक्षा मित्र	योग (3+4)	40:1 की दर से शिक्षक	अतिरिक्त आवश्यक शिक्षक
1.	2003–04	149214	2911	1343	4254	3730	0
2.	2004–05	157703	2911	1343	4254	3945	0
3.	2005–06	160857	2911	1343	4254	4021	0
4.	2006–07	164074	2911	1343	4254	4102	0

उच्च प्राथमिक विद्यालय

सारणी - 8-7B

क्रमांक	वर्ष	कुल नामांकित बच्चे	सृजित शिक्षक	वर्तमान शिक्षा मित्र	योग (3+4)	40:1 की दर से शिक्षक	अतिरिक्त आवश्यक शिक्षक
1.	2003–04	33102	461	489	950	828	0
2.	2004–05	36412	461	489	950	911	0
3.	2005–06	38406	461	489	950	960	0
4.	2006–07	39053	461	489	950	976	0

टिप्पणी:–प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में सृजित सहायक अध्यापकों के पदों का नियुक्ति हो जाने से अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता नहीं होगी। अतः बजट प्राविधान नहीं किया गया है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें

जनपद में अनुसूचित जाति के बालक तथा बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्राथमिक स्तर पर यह डी0पी0ई0पी0 की योजना समाप्त होने के बाद वर्ष 2003–04 से दी जा रही है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्षवार लक्ष्य निम्नवत् हैः–

वर्ष / मद	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07
प्राथमिक	–	111600	88552	90373	92139
उच्च प्राथमिक	20333	34470	11410	37101	37843

बालिका शिक्षा

"खुशहाल बालिका भविष्य देश का" जिस समाज में इस तरह की कहावतें चारों तरफ सुनायी देती है वहाँ बेटी बनकर पैदा होने पर कोई स्वागत नही, लालन –पालन में कोई उत्साह नही। पर जरूरी चीज का आमान, लालन पालन और पोषण का आभाव, मान सम्मान का आभाव तथा शिक्षा का आभाव। इन आभावों को दूर करनें के लिए एवं बालिका शिक्षा के गिरते हुए प्रतिशत को दूर करने हेतु सतत प्रयास करना होगा। जनपद बलरामपुर में आज भी बालिकाओं का विवाह अल्प आयु में ही कर दिया जाता है तथा निसमिति शिक्षा से उन्हें वंचित कर दिया जाता है साथ ही रूढिवादी समुदाय में आज भी कुप्रथा के कारण बालिकाओं को नियमित विधालय न भेजनें की परम्परा बनी हुई है। अतः बालिकाओं का शैक्षिक विकास अति आवश्यक है जिसके लिए समाज को तथा वुद्धिजीवी वर्ग को जागरूक करना होगा।

सभी जन समुदाय के शिक्षित हाने से ही राष्ट्र की उन्नति एवं विकास होता है। इस तथ्य को स्वीकारते हुए भारतीय संविधान ने 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के प्राविधान के प्रति अपनी वचन बद्धता व्यक्त की है। संविधान में राज्य का निर्देश दिया गया है कि इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निः शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान किया जाये।

संविधान में दिये गये मैालिक अधिकार नागरिको को हर प्रकार के भेदभाव, धर्म एवं जाति, लिग एवं जन्म के स्थान पर आधारित उत्पीडन से रक्षा करते है। पंचवर्षीय योजनाओं ने संविधान में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति वचन बद्धता का समर्थन किया गया है। एवं अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आरम्भ किया है। बालिका शिक्षा के प्रचलित परिवेश एवं रणनीतियों में समय के साथ बदलाव आया है। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा पश्चात आरम्भ की गई कार्यनीति के अर्न्तगत महिलाओ की समानता के लिए शिक्षा के अर्न्तगत शिक्षा को महिलाओ के स्तर में बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण यन्त्र के रूप में स्थापित किया है। महिलाओ, बालिकाओ में निरक्षरता को दूर करने एवं प्राथमिक शिक्षा तक उनकी पहुँच एवं धारणा में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने को प्राथमिकता दी जायगी एवं इसके विशेष सहायक सेवाऐ, समयबद्ध लक्ष्य एवं सुचारू अनुश्रवण होगा।

उत्तर प्रदेश में साक्षरता का दर 52.2 प्रतिशत के विपरीत 41.6 प्रतिशत है। महिलाओ एवं पुरूषों को राष्ट्रीय साक्षरता दर 64.1 प्रतिशत और 25.3 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की महिलाओ की साक्षरता दर कई जिलो में 6.5प्रतिशत से भी कम है।

नामांकन आँकडे न केवल जोडकर व सामाजिक समूहों पर आधरित भिन्नता दर्शाते

/ – माहला समाख्या कायक्रम, महिलाओ को शिक्षा के लिए संगठित करना।

8 – प्राथमिक शिक्षा से उच्च स्तर के विधालयों में बालिकाओ को जोडे रखने की रणनीति से कार्य करना कार्यानुभव पर आधारित शिक्षा को महत्व।

कार्यक्रम

बालिकाओ की शिक्षा के लिए समुदाय के साथ कार्य करना प्राथमिक शिक्षा की सामुदायिक स्वामित्व प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए सामाजिक सहभागिता अति आवश्यक है। सामुदायिक सहभागिता को बढावा देने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना एवं जिला प्राथमिक शिक्षा के अर्न्तगत कई संगठनात्मक नीतियों का क्रियान्वन किया है जिसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहभागिताओ को बढावा देना है। ग्राम शिक्षा समिति (बी०ई०सी०) में कम से कम तीन महिला सदस्यों को होने का प्राविधान है इनमें से एक ग्राम पंचायत की निर्वाचित सदस्या एवं अनुसूचित जाति की नामांकित महिला एवं एक नामांकित मां का होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त अन्य महिलाओं की भी भगीदारी हाने से जागरूकता बढेगी। बालिकाओ की शिक्षा के लिए सामुदायिक सहभागिता निम्नांकित होगी ।

1 – महिलाओ की शैक्षिक प्राथमिकताओ का आदर।

2 – बालिकाओ के नामांकन ठहराव एवं विधालय प्रबन्धन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढावा।

3 – महिला समूहों का संगठन एवं महिला समाख्या के साथ साथ उनका समन्यवन।

4 – ग्राम शिक्षा समिति माता शिक्षक संध अभिभावक शिक्षक संध एवं महिला प्रेरक दल।

5 – ग्राम शिक्षा समितियों में महिलाओ का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

6 – बालिकाओ की आवश्यता के प्रति प्रशिक्षण की जागरूकता को बढाना।

मीना अभियान

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत बालिकाओ की शिक्षा के प्रति समुदायिक वचन बद्धता के विकास के लिए मीना कैम्पेन नामक एक विशिष्ट योजना का आरम्भ किया गया है। यह यूनीसेफ द्वारा विकसित मीना नामक बालिका पर तैयार भव्य हास्य सामग्री का प्रयोग इस

योजना में किया जाता है। इसके प्रयोग के पश्चात बालिका शिक्षा के प्रति समुदाय पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पडेगा। बलिका शिक्षा के उन्नयन हेतु सर्व शिक्षा अभियान में इस कार्यक्रम को लागू करना बेहनर होगा।

मां बेटी मेला एवं महिलाओ की संसद

बालिकाओ की शिक्षा के विषय में महिलाओ का संगठित होना आवश्यक है और इस उद्देश्य से मां बेटी मेलो और महिला संसदो का आयोजन किया जाता है । इसके कार्यान्वयन के एक वर्ष के अन्दर करीब 25 मां बेटी मेलों एवं महिला संसदो का आयोजन किया है। इन मेलो का मुख्य उद्देश्य है।

1 – बालिकाओ की शिक्षा के विषय में जागरूकता बढाना और इसके लिए आवश्यक सामग्री बाटना।

2 – बालिकाओ की शिक्षा के महत्व के बारे में माताओ को शिक्षित करना।

3 – शिक्षको अभिभावको के बीच एक क्रियाशील सम्बन्धों की स्थापना करना।

4 – बालिकाओ द्वारा अनुभव की गई समस्याओ के प्रति ध्यान आकृष्ट करना एवं मेंले के माध्यम के प्रस्तुत करना।

5 – बेटे और बेटियो के प्रति लोगो के विचारो को जानने के लिए जेण्डर आधारित वार्ताओं का आयोजन।

6 – वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर कर्ताओं का आयोजन करना एवं उपस्थित समूह से इस प्रवाहमी को व्यक्त की गई आवश्यकताओ के प्रति अधिक उत्तरदायी और प्रभावकारी बनने पर वार्तालात करना।

7 – माँ – बेटी मेला का मुख्य उद्देश्य को प्रेरित करना जिससे उनकी बेटी स्कूल जाने लगे एवम् मुख्य धारा से निरन्तर जुड़ी रहे।

सर्व शिक्षा अभियान मे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है। पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का गठन** किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। **शैक्षिक गोष्ठियों, मूल्यांकन, ठहराव परिक्रमा** सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास कार्यों** एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों का** सहयोग लिया जायेगा।

बाल केन्द्र

संघ की महिलाओं नें जब अपने बच्चो की शिक्षा का महत्व समक्षा तो उन्होनें अपने घर के पास बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था व्यक्त की इसके पश्चात बाल केन्द्रों की संकल्पना एवं स्थापना की गयी इस विधा ने उन बच्चों विशेष रूप से उन बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान किये जिनकी पहुँच और औपचारिक शिक्षा सुविधाओं तक नही है।

किशोरी केन्द्र

बाल केन्द्र बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है। किन्तु वे ऐसी किशोरियाँ जिन्होनें प्राथमिक शिक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया है उनकी ज्ञान की जिज्ञासा को पूर्ण नहीं कर सकते हें। संघ की महिलाओ समुदाय एंव किशोरियो के विचार विमर्श के बाद यह आयु वर्ग की आवश्यकता का ध्यान में रखते हुए किशोरी केन्द्र की स्थापना की गई। इन किशोरी केन्द्रों ने किशोरियों को उच्च प्राथमिक शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए अपने यहाँ अन्तरिम स्तर पर पढनें का अवसर दिया। समय का लचीलापन तथा स्थानीय महिला शिक्षिका से बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई। किशोरी संघ का उदय किशोरी केन्द्रों से हुआ है। यह किशोरियों के समूह है जिनका संगठन स्वास्थ शिक्षा पर्यावरण कानूनी साक्षरता व्यवसायिक प्रशिक्षण जैसे विषयों को घ्यान में रख कर किया गया है।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र

प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की भागीदारी बढ़ानें हेतु बालिकाओं को वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकित किया जायेगा जो अपरिहार्य कारणों से विधालयों में नही जा पा रही है।
ब्रिज कोर्स व ग्रीष्म कालीन सत्र चलाये जायेंगे। विघालयों में बालिकाओं के शत–प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव पर विशेष बल दिया जायेगा। वे सभी प्रयास किए जायेंगे जो ठहराव वाले अध्याय में दर्शित किये गये है।

बालशाला

बालशाला का लक्ष्य छोटे बच्चों तथा उनके 11 वर्षीय भाई बहनों पर है। बड़े बच्चों के दल को प्राथमिक शिक्षा और 3-6 वर्ष के बच्चों को स्कूल में उत्साही पैकेज दिया जायेगा। बड़ी बहनों को अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख का उत्तरदायित्व सौंपा जायेगा। इस अधिगम द्वारा दोनों आयु के बच्चों को एक साथ जोड़ा जाता है।

प्रहर पाठशाला

प्रहर पाठशाला एक रणनीति है जो मुख्यतः 9 + बालिकाओं के लिए जिन्होनें विधालयों में जाना नही प्रारम्भ किया है। या जो स्कूल छोड़ चुके हैं 9-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 15 बालिकाओं के साथ एक प्रहर पाठशाला को आरम्भ किया जा सकता है। बालिकाओं को पढ़ाई साथ–साथ सिलाई, कढ़ाई तथा बुनाई का भी ज्ञान दिया जाता है। यह कार्यक्रम सर्वशिक्षा में भी प्रस्तावित किया जाता है।

मकतब / मदरसा

मुस्लिम बालिकाए जो अधिक संख्या में स्कूल से बाहर हैं उनके लिए मकतब / मदरसों के सशक्तीकरण की नीति तैयार की गई है यह स्पस्ट है कि सामुदायिक रूप से मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा मुख्य रूप से

धर्मिक पुस्तकों के अध्ययन पर आधरित है। इसका मुख्य कारण बालिकाए औपचारिक रूप से बाहर नही रही हैं । इस कार्यकम का मुख्य उद्देश्य है। कि मदरसों के वातावरण में बालिकाओं एवं शिक्षकों को औपचारिक शिक्षा में भाग लेनें के लिए प्रेरित करना तथा औपचारिक पाठयक्रम को भी मकतब / मदरसे प्रारम्भ करना है।

विशेष वर्ग की शिक्षा समेकित शिक्षा

भारत की लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित हैं। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नही किया जा सकता है जब तक कि विकलांगता के

विभिन्न प्रकारों के रोग ग्रसित बच्चों को विधालयों में नही लाया जायेगा। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहाँ बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करता हैं वहीं परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है। कुछ बच्चे विकलांगता के उपरान्त भी शिक्षा प्राप्त करनें का प्रयास करते हैं तथा उनमें शिक्षा प्राप्त करनें की भावना भी होती है लेकिन ये विकलांग शिक्षा के आभाव में अशिक्षित ही रह जाते हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष महत्व दिया गया है।

विकलांगता/अक्षमता के प्रकार

विकलांगता/अक्षमता मुख्य रूप से निम्न प्रकार की होती है -

1 – दृष्टि विकलांगता/नेत्र विकलांगता
2 – श्रवण सम्बन्धी विकलांगता
3 – मानसिक मन्दता
4 – आश्रित विकार

विकलांगता/अक्षमता का कारण

जहाँ तक विकलांगता का शरीर में पाये जाने का प्रश्न है वहाँ यह दो प्रकार के होते हैं।

1 – जन्म से – यह विकलांगता जन्म से होती है।

2 – जन्म के बाद से – यह विकलांगता जन्म लेने के बाद से किसी भी समय से हो सकती हैं कुछ प्रकरणों में यह विकलांगता वातावरण/रासायनिक प्रभाव से भी हो जाती है। जैसे भोपाल गैस काण्ड के बाद वातावरण के रासायनिक प्रभाव से विकलांगता बढ़ी है।

जनपद बलरामपुर में विकलांगता वाले बच्चों की संख्या 1255 है जिसमें बालक 799 व बालिका 456 है।

विकलांगता/अक्षमता निम्न प्रकार है –

	बालक	बालिका	योग
1 – दृष्टि विकलांगता	80	38	118
2 – श्रावण विकलांगता	172	96	268
3 – मानसिक मन्दता	77	40	117
4 – अधिगम मन्दता	111	66	177
5 – आस्त विकार	359	216	575
योग	799	456	1255

विकलांगता के कारण बच्चों में आत्मनिर्भता में कमी, चलनें में कमी, समाज से अपेक्षित आदि बातों का बच्चों के मानसिक विकास में असर पडता है। परिवार में ऐसे बच्चों पर अधिक ध्यान देनें की आवश्यकता होती है। परिवार पर आर्थिक बोझ भी अधिक पड़ता है। ऐसे बच्चों को हर समय प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है।

स्वास्थय परीक्षण शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। सभी प्रकार की विकलांगता का सर्वेक्षण हुआ है। विभिन्न प्रकार की विकलांग बालक एवं बालिकाओं को चिन्हित किया गया है।

विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे है। इसके लिए प्राथमिक शिक्षको को प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है।

प्रशिक्षण

विकलांग बच्चों के शिक्षा देने से पहले हमें सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक है। यह प्रशिक्षण 15 दिन का होगा तथा इसमें प्रति विकास खण्ड 4-4 मास्टर ट्रेनर बनाने होंगे जो बाद में अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण दे सकें। स्वयं सेवी संगठनों से भी मास्टर ट्रेनर बनाये जायेंगे।

मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण

रूहेल खण्ड विश्वविधालय बरेली, अमर ज्योति रिहैतिलिरान एण्ड रिसर्च सेन्टर करकरहुमा, विकास मार्ग दिल्ली।

शैक्षिक सामग्री

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत समेकित शिक्षा कार्यक्रम हेतु चयनित दो विकास खण्डों तथा बलरामपुर एवं रेहरा बाजार में हस्त बाजार में हस्त पुस्तिका एवं फोल्डर का वितरण विधालयों में कराया जा चुका है। शेष विकास खण्डों हेतु हस्त पुस्तिका एवं फोल्डर तथा अन्य शैक्षिक सामग्री अपेक्षित है।

स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी

विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा हेतु तकनीकी सहायता देने हेतु ऐसी स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी ली जाती है। जो विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रही हो और निम्नांकित पात्रता रखती हो –

1 – संस्था सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत कम से कम 3 वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो तथा नवीनीकरण हुआ हो।

2 – संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की उपलब्धता ।

3 – विकलांगता के क्षेत्र में काम करनें का काम कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।

4 – संस्था विकलांगता जन अधिनियम 1995 की धारा–5 के अधीन पंजीकृत हो।

अनुमानित बजट

मद		अनुमानित बजट	
1 –	सर्वेक्षण	1000 x 9	= 9000.00
2 –	चिकित्सा आकलन	2000 X 9	= 18000.00
3 –	मास्टर ट्रेनर ट्रेनिग	4 x 9 x 2075	= 74700.00
	मास्टर ट्रेनिग प्रति ब्लाक	4 x 9 x 500	= 18000.00
	प्रति मास्टर ट्रेनर	4 x 9 x 2575	= 92700.00
	प्रति ब्लाक	9 x 10300	= -----
4 –	प्राथमिक विधालय शिक्षक	1720 x 1302/37	= -----
5 –	छपाई	9 x 8000	= 72000.00
6 –	अन्य व्यय	9 x 10000	= 90,000.00
7 –	अभिभावक परामर्श हेतु	9 x 1000	= 9000.00
8 –	स्पेशल कैम्प	9 x 3000	= 27000.00
9 –	वोकेश्नल कैम्प	9 x 3000	= 27000.00
10–	इन्फ्रास्ट्रेक्चर कैम्प		
11–	उपकरण कैम्प	9 x 15000	= 135000.00

योग

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने के लिए सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के अर्न्तगत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सामुदायिक जागृति , अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु, शिक्षकों के कौशल विकसित करने छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध करानें, विकास स्तर तथा विधालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है। जिसके तहत जनपद के अनुभवी ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमन्त्रित किये जायेगे। प्राप्त प्रस्तावों का डेस्क अप्रेजल / फील्ड अप्रेजल किया जायेगा एवं उपयुक्त एवं अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की अध यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जायेगा।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनिति

समूहों का निमार्ण एंव प्रशिक्षण

माता-शिक्षण संध --

ऐसे गाँव जहाँ प्राथिमक विद्यालय है उस गाँव की 10-12 सश्यिमाताओं तथा शिक्षकों के समूह का निमांण कर उन्हे कार्य एंव दायित्व के प्रति संवेदनशील बनने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों के नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगे।

महिला प्रेरक दल

ऐसे गांव / मजरे जो विधालय से कुछ दूरी पर होगे वहाँ बालिकाओ की विधालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करने हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानिये स्तर पर बै०शि० केन्द्र / विधा केन्द्र तथा विघालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुशरण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेगे।

ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन

बच्चो के विधालय मे उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को गांव स्तर पर निकाली जायेगी, जिसमें स्कूल के बच्चे अध्यापक व अभिभावक शामिल होगे। ठहराव परिक्रमा के दैरान जो बच्चे कम विधालय मे उपस्थित रहते है उनके धर के बाहर थोड़ी देर तक खडे होकर नारे लगाकर बच्चो को विधालय आने के लिए उनके अभिनावकों को प्रेरित करना। बच्चो की उपस्थिति के प्रति अभिभावको एवं बच्चो को सचेत करने के लिए बच्चो का हरा पीला एवं लाल तारा निशान प्रति माह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा।

माह में 15 दिन या उसकी अधिक उपस्थिति – हरा निशान माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति – पीला निशान माह में ६ दिन या उससे कम की उपस्थिति – लाल निशान बच्चे तथा अभिभावको को बच्चो को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह निशान प्रतिमाह चार्ट पर इंगित कर ग्राम स्तरीय समूह की बैठको में चर्चा किया जायेगा। बच्चो को रिबन से बने बैच प्रदान किये जायेगे। लाल निशान वाले बच्चो को हरा निशान पर आने के लिए प्ररित करना।

सत्र के मध्य एवं सत्रांत्र में अभिभावक सम्मेलन

शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावको की बैठक मे छात्रो की उपस्थिति तथा इससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनो के विषय में उन्हे अवगत कराते हुए, नियमित आने वाले बच्चो के अभिभावको को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह में गांव के समस्त अभिभावको को बुलाकर ऐसे बच्चो तथा अभिभावको को प्रोत्साहित करे जिनके बच्चे नियमित विधालय आ रहे है। सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिए बच्चो का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

कोहार्ट स्टडी

अधिकतम शाला त्याग दर रजिस्टर में पिछले पाँच साल से विधालय छोडा है। ऐसे बच्चो के लिए पिछले पाँच साल से विधालय छोडा है। ऐसे बच्चो के लिए ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से प्रेरित करने हेतु पुनः विधालय में लाने हेतु प्रयास किन्ना जायेगा।

बेटी हो स्कूल में

कला जत्था अभियान –

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए बेटी हो स्कूल में कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारो को प्रशिक्षित कर गांव गांव में भव्य नाटको की प्रस्तुतियाँ की जायेगी। यह अभियान ऐसे गावों में चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा शाला त्याग दर अधिकतम है।

शिक्षको का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण

बालिका शिक्षके प्रति शिक्षको का नजरिया बदलने तथा उन्हे संवेदनशील बनाने हेतु अलग से शिक्षको का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चो/बालिकाओ के विध ालय बीच में छोड देने के कारणो उनके निराकरण तथा उपायों/उपागमो पर चर्चा/अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा तथा उन्हे पुनः मुख्य धारा में जोडा जायेगा।

कार्यक्रम

शिशु शिक्षा केन्द्र – केन्द्रों की स्थापना – छोटे भाई बहनों के देखरेख में लगे रहने के कारण कुछ बालिकाऐ विधालय हेतु पर्याप्त समय नही दे पाती जिससे विधालय में उनका ठहराव सुनिश्चित नही हो पाता। कुछ बालिकाऐ इन कार्यो में अधिक व्यस्त रहने के कारण विधालय छोड देती है। इस अभियान के अर्न्तगत जनपद में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रो को अधिक प्रभावी तथा इन केन्द्रो में ३ – ६ वय वर्ग के बच्चो का नामांकन कराने हेतु विशेष प्रयास किया जायेगा। इस हेतु इन केन्द्रो के अतिरिक्त मानदेय एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा प्रत्येक वर्ष इस केन्द्र के बच्चो को मुख्य धारा से जोडने का प्रयास किया जायेगा।

जनपद में ICDS विभाग द्वारा नगर क्षेत्र सहित सभी विकास केन्द्रो में आंगनबाडी केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। जनपद बलरामपुर के प्रत्येक विकास खण्डो में आंगनबाडी केन्द्र खोले जाने है। वर्ष २००२–०३ में २०० केन्द्र, वर्ष २००३ व ०४ में २५० केन्द्र, वर्ष २००४–०५ में ३५० केन्द्र, वर्ष २००५–०६ में ३०० केन्द्र, वर्ष २००६–०७ में १४८ केन्द्र खोले जायेगे ।

इस प्रकार कुल १२४८ केन्द्र खोले जायेगे केन्द्रो हेतु ग्राम विधालय का चयन न्यूनतम महिला साक्षरता उच्चशाला – त्याग दर तथा शैक्षिक पिछडापन भी होगा। केन्द्रो हेतु कार्यकत्रियो का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित मांन दण्डों के आधार पर किया जायेगा।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता –

बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। जिन विकास खण्डो में ICDS के आंगनबाडी केन्द्र नही संचालित है। उन विकास खण्डो में स्वयं सेवी संगठनो के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा सकते है। इसके अतिरिक्त स्वयं सेवी संगठना द्वारा आंगनाबाडी केन्द्रो के पर्यवेक्षण, अभिकर्मियो के प्रशिक्षण तथा उन्हे संसाधनो की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। स्वयं सेवी संगठनो के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जायगी, जिसके अर्न्तगत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एव अनुभवी स्वय सेनी संगठनो से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगे। इन प्रस्तावो के डेस्कटाप अप्रजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानिये अधिकारियो द्वारा किया जायेगा। और संन्तुती प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनो के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

सारणी – 7.1

वर्ष	केन्द्र की संख्या	
2002-03	200	
2003-04	250	
2004-05	350	
2005-06	300	
2006-07	148	
योग	1248	

ग्रीष्म कालीन शिविर

ऐसे गांव/ग्राम सभा जहाँ न्यूनतम 40 बालिकाए शाला त्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगी उनमें 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उन्हे पुनः विधालय से जोड़ा जायेगा। जिनका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार के है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओ के लिए कार्यानुभव

शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ उच्च प्राथमिक कक्षाओ में बालिकाओ के पारिवारिक पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बालिकाओ हेतु उनके भावी जीवन हेतु उपयोगी कार्यक्रमो के अभाव से शिक्षा के प्रति उनकी रूचि एवं अभिभावको की जागरूकता अपेक्षानुकूल नही है । शिक्षा प्रणाली में उपयुक्त कार्यक्रमो के सम्मिलित हो जाने से निसंदेह बालिकाओ का विधालय के प्रति रूचि बढेगी तथा अभिलेख बालिकाओ के नामांकन एवं उनकी शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हो जायेगा। सिलाई, कढाई, बुनाई, कला चित्रण के साथ साथ स्थानिये आवश्यकता के अनुसार टोकरियाँ बनाने मिट्टी के खिलौने कागज के सामान स्थानीय उपलब्ध सामग्री आदि बनाने के प्रशिक्षण से जोडा जायेगा। जिनका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार के है।

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम

प्री प्रोजेक्ट एक्टीविटी के सन्दर्भ में विभिन्न विभागो जिला अर्थ एवं संख्या विभाग, विगलांग, कल्याण विभाग, पंचायत राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला सामाख्या एवं स्वयं सेवी संगठनो के सहयोग एवं समुदायो के साथ विचार विमर्श एवं सहभागिता के द्वारा आंकडो का संकलन, वातावरण सृजन किया गया साथ ही योजना के संचालन क्रियान्वयन में भी इनके सदुपयोग से सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने का लक्ष्य रख गया है। आकड़ो संकलन एवं उसके विश्लेषण में विभागीय गतिशीलता के साथ अर्थ एवं संख्या विभाग के सहयोग से जनाकि कि सम्बन्धी मूलभूत आँकडो का संकलन किया गया जबकि विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से समेकित शिक्षा हेतु 6 - 11 एवं 11 - 14 व्यय वर्ग के विकलांग बच्चो की सूची प्राप्त की गई। एवंम इनके सहयोग से विकलांग बच्चो की आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करके उनको मुख्य धारा से जोडा जायेगा। पंचायत राज विभाग के सहयोग से ग्रामों

उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु कम्प्यूटर शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्राथमिक कक्षाओं में कम्प्यूटर शिक्षा का समावेश एक शैक्षिक नवाचार के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा में कम्प्यूटर के उपयोग किए जाने से सार्थक परिणाम की सम्भावना है। कम्प्यूटर शिक्षा से जहॉ एक ओर जहॉ लक्ष्यों को सीखने में मदद मिलेगी वही दूसरी ओर शिक्षकों को विषय सामग्री को बच्चों के सम्मुख प्रस्तुतीकरण में सुविधा होगी। शिक्षकों तथा बच्चो दोनों को नवीनतम ज्ञान के अन्वेषण के अवसर मिल सकेगें । कम्प्यूटर शिक्षा को उपयोगी एवं रोचक बनाने के लिये परियोजना जनपदों में कुछ चयनित स्कूलों में कम्प्यूटर कार्यक्रमों को अर्न्तगत प्रथमतः प्रतिवर्ष 10-10 विद्यालयों को चयनित किया जायगा तथा एक जनपद में सम्पूर्ण परियोजना अवधि में कुल 50 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रावधान हेतु प्रतिवर्ष एक मुश्त 60,000/- रू. व्यय किये जायेगे ।

वर्षवार	2001-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10
कम्प्यूटर हेतु उ.प्रा. विद्यालयों की संख्या	-	10	10	10	10	10	-	-	-

एवं बस्तियो की सूची प्राप्त की गई डूडा के सहयोग से मलिन बस्ती की सूची प्राप्त की गई। 6 - 14 आयु वर्ग बच्चो की शिक्षा के सार्वजनीकरण में समुदाय की सक्रिय भूमिका है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निरक्षर लोगो की संख्या नगरीय क्षेत्रो में रहने वाले लोगो की अपेक्षा अधिक है। नगरीय क्षेत्र में मलिन बस्तियो की संख्या अधिक होने के कारण निरक्षर बच्चो की संख्या गाँव एवं नगर दोनो में अधिक है। गाँव में नगरीय क्षेत्रो में शिक्षा व्यवस्था हेतु अधिक संख्या में विधालय खोले गये। शिक्षा के विकेन्द्रिये करण को दृष्टिगत रखते हुऐ एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रो में सरलशिक्षा समिति तथा नगर में वार्डवार नगर शिक्षा समिति गठित की गयी । शैक्षिक योजनानिर्माण तथा विधालय संचालन में सहयोग प्रदान करने सम्बन्धी अधिकतर शिक्षा समितियो को प्रदान किये।

वातावरण सृजन

नियोजन प्रकिया के दौरान जनपद की विभिन्न बस्तियो एवं समुदायो के साथ विचार विमर्श एवं उनका सहयोग प्राप्त कर योजना को मूर्त रूप दिया गया। इन समुदायो के साथ विचार विमर्श के दौरान इस अभियान के उद्देश्यो एवं शिक्षा के महत्व के सम्बन्ध मे विस्तृत एवं व्यापक चर्चा की गयी।

ग्राम शिक्षा समितियो एवं नगर शिक्षा समितियो का प्रशिक्षण

ग्राम शिक्षा समितियो एवं नगर शिक्षा समितियो की सक्रिय भागीदारी हेतु इनके प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। इसमे नवनिर्वाचित शिक्षा समितियो का सन्दर्भ प्रशिक्षण पुनः प्रति दो वर्ष पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण एवं ५ वर्ष के अन्तराल पर नवीन चयनित शिक्षा समितियो का सन्दर्भ प्रशिक्षण एवं उन्हे भी प्रति दो वर्ष पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण कराया जाना है। इस समिति को शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने हेतु समय समय पर उपयोग में लाया जायेगा।

नवाचार शिक्षा (कम्प्यूटर शिक्षा)

उत्तर प्रदेश के कुछ जिले में प्रयोगात्मक तौर पर बालिकाओ के लिए कार्यानुभव के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा को प्रयोग में लाया गया जिससे उस जिले के विद्यालयो में बालिकाओ के ठहराव

में वृद्धि हुई। इसी दृष्टि से इस जिले में भी इसका प्रयोग प्रस्तावित तथा प्रत्येक बी०आर०सी० केन्द्र पर भी एक कम्प्यूटर का प्रविधान किया गया है।

विधालयों की स्थिति उन्नत करने में सामुदायिक भूमिका

समुदाय के लोगो को प्रेरित करके इस बात की जानकारी दी जायेगी कि आधुनिक युग के बच्चे बिना खेल के माध्यम से बच्चा कोई चीज सीख नही सकता अतः इसके लिए खेल का मैदान आवश्यक है। जिस विधालय में भूमि नही है या कम भूमि है वहाँ के ग्रामवासियो के सहयोग से भूमि उपलब्ध करायी जायेगी तथा उनका निराकरण कराने में समुदाय के भी सहयोग से किया जायेगा उनको प्रेरित किया जायेगा कि भूमि आपका विधालय आपका खेल का मैदान आपका एवं बच्चे आपके।

विधालय में बागवानी हेतु समुदाय को गतिशील बनाया जायेगा

एक विधालय को आकर्षक होना अनिवार्य है। वैसे भी वर्तमान समय में ग्रीन आपरेशन अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान द्वारा वृक्षारोपण पौध आदि की व्यवस्था कराकर विध ालय में उनका रोपण कराया जायेगा। तथा उघान विभाग के सहयोग से बागवानी की व्यवस्था सुनिश्चित करके विधालय को अधिक से अधिक आकर्षक बनाया जायेगा।

साज सज्जा में सहयोग

विधालय के साज सज्जा हेतु फर्नीचर, प्लाष्टिक की चटाई / टाट पट्टी, श्यामपट्ट, चाक एवं आर्कषक शैक्षिक उपकरण आदि की व्यवस्था में ग्राम शिक्षा समिति की मदद ली जायेगी तथा प्रतिभावान बच्चो को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत करने की भी व्यवस्था समुदाय द्वारा करायी जायेगी।

विधालय सुदृढीकरण में सक्रियता

ग्राम शिक्षा समिति एवं समुदाय से भवन निर्माण कक्ष निर्माण विधालय प्रांगण की भूमि ऊँची नीची होने पर समतल आदि कराने हेतु सक्रिय सहयोग लिया जायेगा ।

राष्ट्रीय पर्व एवम् अन्य पर्वों पर चेतना जाग्रति

समय समय पर राष्ट्रीय पर्वों पर प्रभात फेरी एवम् सांस्कृतिक कार्यक्रम जन सहयोग से लिया जायेगा

विधालय न जाने वाले बच्चो निम्न जाति वर्ग के अभिभावको एवम् बच्चो को इससे जोडा जायेगा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताए आयोजित करके समुदाय के विशिष्ट एवम् सम्मानित व्यक्तियो द्वारा बच्चो को पुरस्कृत कर इन्हे ठहराव हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

अध्यापक/अध्यापिका सहयोग

समुदाय/गावों के शिक्षित लोगो को प्रेरित किया जायेगा कि अध्यापक/अध्यापिका कि कार्य में तथा विधालय में शिक्षण कार्य हेतु समय एवम् सहयोग करे।

समुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनो की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य/सोच/विचार अभिभावको, शिक्षको तथा स्थानिये समुदाय में बच्चो की शिक्षा के प्रति जाग्रति उत्पन्न करके अनुकूल वातावरण स्टजित करना इन, कार्यक्रम से स्वयंसेवी संगठनो को जोडा जायेगा विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियो में प्रशिक्षण ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विधालय एवम् स्थानिये समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनो का महत्वपूर्ण योगदान किया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनो का चिन्ही करण करके उनका चयन का निर्णय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

अध्याय – ५

गुणवत्ता संवर्द्धन

जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता का परिदृश्य

जनपद बलरामपुर में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1997 से ही बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत प्रारम्भ की गई थी परियोजना के अर्न्तगत भौतिक सुविधाओ जैसे विधालयों के अभाव को दूर करना, विधालय भवन, शैक्षिक उपकरण, साज -- सज्जा, आर्थिक समस्या पेयजल की समस्या पाठयपुस्तको का आभाव, पाठ्यक्रम , नवीनीकरण आदि संसाधनो का सृजन और संवर्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमो का संचालन किया गया। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान न होने से अकादमिक कार्यो का संचालन गोण्डा जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से किया जाता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई गई विभिन्न रणनीतियो एवं कार्यक्रमो की निचले स्तर पर सफलता के लिए शैक्षिक और श्रोत परक सहायता प्रदान करना है इस कार्य में जनपद में स्थापित बी०आर०सी० तथा एन०पी०आर०सी० की महत्वपूर्ण भूमिका है। बी०आर०सी० एन०पी०आर०सी० सह समन्वयको उनके कार्य तथा दायित्वो के सम्बन्ध में 5 दिवसीय तथ एकादमिक पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गए समन्वयको द्वारा नियमित विधालय भ्रमण आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण विद्यालयो एन०पी०आर०सी० तथा बी०आर०सी० का उनके भौतिक अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणी करण एन०पी०आर०सी० स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षको के समस्याओ के समाधन, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायो के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया इन सभी कार्यक्रमो के सफलता पूर्वक संचालन करने के उपरान्त भी कुछ ऐसी समस्याऐं थी जो कि बेसिक शिक्षा परियोजना से अच्छादित नही हो पाया जैसे –

1 – उच्च प्राथमिक स्तरीय विधालयों तथा शिक्षक की अकादमिक आवश्यकताओ पर पूरा ध्यान नही दिया जा सका ।

2 – अशासकीय हाईस्कूल, इण्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा 6 – 8 तथा 1 – 5 के बच्चों

की शैक्षिक आवश्यकताओ– कठिनाईयो के निवारण शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षको की कठनाईयो कों दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नही लाया गया ।

3 – मकतब , मदरसों में अध्ययनरत तथा उनके शिक्षक भी जनपद में संचालित गुणवत्ता विकास कार्यक्रम से लाभान्वित नही हो सके।

1 – जनपद में प्राथमिक विधालयो की संख्या – 955

2 – जनपद में उच्च प्राथमिक विधालयों की संख्या – 175

3 – जनपद में माध्यमिक विधालयों की संख्या – 40

(कक्षा 6, 7, 8 संचालित है)

4 – जनपद में ई०सी०सी०ई० केन्द्रों की स्थापना – 12

<u>स्कूल पूर्व शिक्षा</u>

सभी के लिए शिक्षा परियोजना के वृहद दृष्टिकोण की सफलता के लिए उ०प्र० सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग उ०प्र० द्वारा जनपद में पूर्व शैशवास्था देखभाल एवं शिक्षा की परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है। यह परियोजना बालक–बालिकाओ कि सम्पूर्ण विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है इसके अर्न्तगत मात्र स्वास्थ, पोषण पर ही ध्यान नही दिया गया है बल्कि बालक–बालिकाओ के खेल सामग्री सीखने के अनुभव आदि को भी ध्यान में रखा गया है जिससे कि इन बालको का शारीरिक मानसिक तथा संवेगात्मक विकास सम्भव हो सके। इन केन्द्रो की कार्यकमियों तथा सहायता के अतिरिक्त मानदेय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण और प्रति वर्ष सात दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण केन्द्रो के लिए खेल सामग्री उपकरण शिक्षण सामग्री हेतु रू० 5000 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रू० 1500 भी प्रदान किया गया। इन सभी कार्यक्रमों को धन की व्यवस्था डी०पी०ई०पी० से की गई। कार्यकमियो तथा सहाभिको कों तीन दिवसीय प्रशिक्षण डामट में दिया गया। शिशु शिक्षा केन्द्रो के पर्यवेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया। इस सुविधा से काफी प्रभाव पड़ा है।

1 – बच्चों का विधालयो में नामांकन बढा है।

2 – बालिकाओ के नामांकन में भी वृद्धि हुई है।

3 – बच्चो के विधालय मे रूके रहने की आदत विकसित हुई है ।

4 – शिक्षा के प्रति बच्चो में रूचि बढ़ी है।

5 – जो बच्चे विशेषतौर पर लड़कियाँ जो छोटे भाई – बहनों की देख रेख की वजह से विधालय नही आती थी, आने लगी है।

6 – खेती में मजदूरी करने वाले व्यक्तियों के बालक भी आने लगे हैं।

7 – जनजातियों एवं जंगली जातियों के बालक अब विधालयो से जुड़ने लगे है।

8 – शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले निम्न समुदाय के बालक।

<u>ग्राम शिक्षा समिति</u>

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश अभिभावक कम पढ़े – लिखे या निरक्षर है और कृषि कार्य में लगे हाते है। ऐसी स्थिति में बच्चों की शिक्षा में सहयोग नही दे पाते हैं और न ही उनकी शिक्षा के प्रति ध्यान दे पाते हैं। शहरी क्षेत्रों में परिषदीय विधालयों में अधिकांश बच्चे गरीब परिवार से आते है। इनके माता – पिता या अभिभावक अधिकांशतया मजदूरी का कार्य करते हैं तथा स्वयं भी शिक्षित नही होते है। इस लिए इन परिवारों के बच्चों को भी शिक्षा में सहयोग नही मिल पाता है। इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी परिषदीय विधालयों में शिक्षा के लिए बच्चों को शिक्षकों का ही एक मात्र सहयोग है।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से डी०पी०ई०पी० के अर्न्तगत विधालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढाने के लिए स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है तथा इससे महिलाओं अनुसूचित जाति के अभिभावकों के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय विधालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों को

भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं विधालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण विधालय की अन्य सुविधाओं भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यों का भी पर्यवेक्षण करती है। डी०पी०ई०पी० के अर्न्तगत जनपद बलरामपुर में कुल 667 ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जा चुका है। जिनमें 608 ग्राम शिक्षा समितियों को डायट के नेतृत्व में तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर बी०आर०जी० सदस्यों को दिया गया तथा इन अनुक्रम में बी०आर०जी० के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रिकृत प्रशिक्षण आयोजित किया है। यह प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गऐ तथा ये निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित थे।

1 – प्रतिभागिता उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेषण अभ्यास ।

2 – प्रतिभागिता परक विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य ।

3 – कौशल निर्माण अभ्यास कार्य

4 – समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलता पूर्वक प्रस्तुतीकरण।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने, विधालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विधालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लाटिंग अभ्यास भी किए गए तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा योजनायें तैयार की गई हैं। ग्राम शिक्षा योजना विधालय स्तर पर संरक्षित की गई है तथा उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

विधालय स्तर पर नियोजन स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विधालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान ग्राम शिक्षा समिति – संकल्प एवं प्रयास नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है। जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विधालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप से संकलित है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विधालय विकास योजना के निर्माण से विद्यालयों के क्रियाकलापों में

समुदाय की भागीदारी बढी है, स्कूल के क्रियाकलापों का स्थानीय स्तर से पर्यवेक्षण में सुविधा तथा स्कूल न आने वाले बच्चों को खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि है।

समुदाय की भागीदारी बढानें के लिए विभिन्न राष्ट्रीय पर्व पर विधालय के वार्षिक कार्य आयोजन के अवसर पर भी समुदाय के लोगों को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है। बच्चों की प्रगति जानने के लिए अभिभावकों को आमन्त्रित किया जा सकता है। शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के समय भी समुदाय के लोगों को कक्षा में शिक्षण देखने के लिए आमन्त्रित किया जा सकता है।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर बच्चों की शिक्षा में परिवार की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अभिभावक के जागरूक होने पर बच्चों का विधालय में नामांकन व नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होने में सहयोग मिलता है। यदि माता – पिता शिक्षित है या परिवार में अन्य सदस्य भाई–बहन शिक्षित हैं तो बच्चों को गृह कार्यों में मदद मिलती है। छोटी कक्षाओं के बच्चों को उच्च कक्षाओं की तुलना में अभिभावकों से
अधिक सहयोग मिलता है। शिक्षित अभिभावकों में अपेक्षाकृत शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है।

शिक्षकों को सहयोग एवं समर्थन की व्यवस्था

गुणवत्ता के मानक निश्चित करते समय यह ज्ञात होना आवश्यक है कि किसी भी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता इस बात में निहित होती है कि उससे व्यक्ति एवं आत्मानुभूति अर्थात सर्वांगीण विकास को कितना बल मिलता है। वह व्यक्ति अपने विकास के साथ–साथ समाज के विकास में कितना सहयोग करता है। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व डायट से प्रशिक्षित सुयोग्य उपयापकों पर निर्भर है। अतः शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में सुधार एवं डायट की सक्रिय सहभागिता अपेक्षित है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोण्डा के नेतृत्व में शिक्षक की क्षमता बढाने उनके विषय – वस्तु ज्ञान में अभिवृद्धि का शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहआयामी

रणनीति अपनाई गई थी। डी०पी०ई० के पूर्व एस०ओ०पी०टी० कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयाँ अनुभव की गई थी वे इस प्रकार है –

प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयावस्तु शिक्षकों की अध्यात्मिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी न होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिस स्तर के हों के लिए एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकताओं और प्रक्रियाओं से इसे जोड़नें में कठिनाई हुई ।

प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नही किया जा सका वरन सीमित शिक्षकों को ही प्रशिक्षण दिया जा सका।

प्रशिक्षण के उपरान्त फालोअप खासकर विकास खण्ड और न्यायपंचायत स्तर पर शिक्षकों को प्रदान करने की व्यवस्था नही की जा सकी।

इन अनुभवों के आधार पर डी०पी०ई०पी० के अर्न्तगत सेवारत शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये गए। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों – परिषदीय प्राथमिक विधालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये गए। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा सन्दर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खण्ड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यो द्वारा किया गया।

शिक्षकों को शैक्षिक अनुसर्मथन के लिए जिलास्तर पर डायट ब्लाक स्तर पर बी०आर०सी० समन्वयकों की व्यवस्था है प्रति माह एन०पी०आर०सी० समन्वयकों द्वारा विधालयों का अकादमिक पर्यवेक्षण किया जाता है तथा शिक्षकों को शैक्षिक तथा विधालय प्रवेश सम्बन्धी समस्याओं के लिए आवश्यक समाधान सुझाये जाते है। बी०आर०सी० समन्वयकों के लिए भी आवश्यक समाधान सुझाये जाते हैं बी०आर०सी० समन्वयकों एवं डायट मेण्टर द्वारा भी समय – समय पर विधालयों का अकादमिक पर्यवेक्षण कर सुधार हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं। अकादमिक पर्यवेक्षण की इस प्रकार की व्यवस्था तो है लेकिन इन सुझावों का कार्य रूप में प्रगति नही अथवा कम हो पा रही है। इसको प्रभावी बनाये जाने के लिए उपाय किये जाने की आवश्यकता है। शैक्षिक सपोर्ट देने के लिए डायट संकाय के सदस्यों निरीक्षक वर्ग बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयकों

को तीन दिवसीय शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुसरण कार्यशालाओं के माध्यम से डायट स्तर पर प्रशिक्षत किया गया है। राज्य स्तर पर तैयार किये गये पैरामीटर का प्रयोग करते हुए विधालयों बी०आर०सी० तथा एन०पी०आर०सी० को श्रेणी बद्ध किया जाना सुनिश्चित है। जनपद में स्कूलों के ग्रेडिंग के अनुसार स्थित सारणी 9:1 के अनुसार निम्नवत है।

विकास खण्ड	स्कूलों की संख्या जिनका निरीक्षण हुआ	माह / श्रेणी											
		अगस्त				सितम्बर				अक्तूबर			
		ए	बी	सी	डी	ए	बी	सी	डी	ए	बी	सी	डी
बलरामपुर	26	-	9	12	5	1	12	9	4	3	16	7	-
उतरौला	23	-	6	9	8	-	13	7	3	1	19	3	-
रेहरा बजार	29	-	6	11	12	-	17	5	7	1	20	8	-
गौंसड़ी	32	-	5	9	18	-	11	15	6	2	16	9	5
पचपेड़वा	27	-	11	9	7	-	15	7	5	1	20	6	-
हरैय्या सतधरवा	19	-	3	12	4	-	8	8	3	-	15	4	-
श्रीदत्तगंज	16	-	4	5	7	-	6	7	3	-	10	6	-
गौण्डास बुजुर्ग	12	-	3	6	3	-	5	6	2	-	9	3	-
तुलसीपुर	25	-	11	9	5	-	14	10	1	1	20	4	-

<u>श्रोत :</u>

· डायट / बी०आर०सी० गोण्डा / बलरामपुर

उपरोक्त ग्रेड़िग व्यवस्था अधिकांशतया भैतिक वातावरण पर आधारित है इसमें शैक्षिक वातावरण को भी समाहित करने के लिए अगले चरण में प्रयास चल रहे है जिससे कक्षा में

सिखाने के विकास में और प्रगति हो। विभिन्न स्तर के पर्यवेक्षण के दौरान समस्याऐ चिन्हित की जाती हैं उसका निस्तारण मासिक बैठकों एवं कार्यशालाओं में किया जाता है सहयोग एवं समर्थन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने की दिशा में कुछ अन्य नवाचार किये जाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

<u>डी०पी०ई०पी० के अर्न्तगत सेवारत शिक्षक – प्रशिक्षण विवरण</u>

डी०पी०ई०पी० के अर्न्तगत शिक्षकों को पाँच चक्र प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। गत वर्षों में प्रशिक्षकों को तीन चक्र का प्रशिक्षण दिया जा चुका है प्रथम चक्र का प्रशिक्षण डायट स्तर तथा बाद में ब्लाक स्तर पर आयोजित किये गये ब्लाक स्तर पर ब्लाक समन्वयकों द्वारा प्रशिक्षणों की व्यवस्था की गई दूसरे चक्र प्रशिक्षण बी०आर०सी० स्तर पर आयोजित किये गए इनकी व्यवस्था ब्लाक समन्वयकों द्वारा की गई। प्रशिक्षण देने के लिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विधालय के शिक्षकों को खुली चयन प्रतियोगिता के द्वारा चयनित किया गया और उनको टी०ओ०टी० प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रथम वर्ष में टी०ओ०टी० प्रशिक्षण डायट स्तर पर तथा जनपद से बाहर राज्य स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाता है द्वितिये चक्र प्रशिक्षण के लिए भी प्रशिक्षकों का चयन प्रतियोगिता के आधान पर किया गया तथा उनका टी०ओ०टी० प्रशिक्षण जनपद से, बाहर दिया गया। इस वर्ष तृतीय चक्र प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों का चयन किया गया तथा उनका प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है शिक्षकों के तृतीय चक्र प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर बी०आर०सी० द्वारा सम्पन्न कराये जा चुके हैं।

प्रथम चक्र प्रशिक्षण "शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षक दस दिवसीय आयोजित किये गये इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु थे ।

1 – शिक्षकों को अभिप्रेरित कर अपने दायित्वों के प्रति जागरूक बनाना।

2 – शिक्षकों में बच्चों के प्रति समझ विकसित करना। सीखने सम्बन्धी बच्चों की कठिनाईयों को

समझना और उनके प्रति संवेदन शील बनाना।

3 – शिक्षण में बच्चों की सक्रियता और भागीदारी बढाना।

4 – कक्षा का वातावरण जिज्ञासा पूर्ण बनाना।

5 – सहायक सामग्री के प्रयोग से शिक्षण में रोचकता लाना।

6 – गतिविधि आधारित।

7 – वंचित वर्ग विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा में कठिनाईयों के संवेदीकरण तथा स्थानिये समुदाय से सहयोग प्राप्त करना ।

द्वितीय एवं तृतीय चक्र में सबल व साधन का प्रशिक्षण प्राथमिक स्तर पर दिया गया। जिसकी व्यवस्था ब्लाक स्तर पर ब्लाक समन्वयकों द्वारा दी गई । इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु निम्नांकित थे।

1 – **विषय** वस्तु आधारित प्रशिक्षण ।

2 – **दक्षता** धारित शिक्षण पर बल।

3 – सहायक सामग्री निर्माण एवं प्रयोग।

4 – विभिन्न विषयों के लिए गतिविधियों का निर्माण करना एवं उनके द्वारा शिक्षण करना।

5 – क्रियाशील बढाने हेतु कारगर उपायों पर बल देना।

उच्च प्राथमिक स्तर

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए डी०पी०ई०पी० योजना में प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नही है इस दृष्टि से इन शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता है।

जनपद में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता व अनुभव की स्थिति का विवरण

सारणी – 9-2

शैक्षिक योग्यता	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
शिक्षकों की कुल संख्या	1047	284
हाईस्कूल से कम योग्यता धारी शिक्षक	17	-
केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	406	-
इण्टरमीडियट (अप्रशिक्षित)	–	–
स्नातक (अप्रशिक्षित)	–	–
परास्नातक (अप्रशिक्षित)	–	–
इण्टरमीडियट (प्रशिक्षित)	949	–
स्नातक (प्रशिक्षित)	164	–
परास्नातक (प्रशिक्षित)	62	–

स्रोत – बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर कार्यालय बलरामपुर

सारणी से यह स्पस्ट होता है कि हाईस्कूल से कम योग्यता वाले 17 अध्यापक एवं 406 अध्यापक केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण हैं। जिन्हे विभिन्न विषयों की विषय वस्तु का ज्ञान देने की विशेष आवश्यकता होगी जो केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण एवं अप्रशिक्षित है जिन्हें प्रशिक्षण सम्बन्धी बाल मनोविज्ञान की जानकारी शिक्षण विधियों की जानकारी तथा अन्य शिक्षण विधाओं की जानकारी दिये जाने की आवश्यकता होगी। शिक्षा पद्धति की श्रेष्ठता शिक्षकों की योग्यता एवं कुशलता पर निर्भर करती है। अच्छे शिक्षकों के आभाव में सर्वोत्तम शिक्षा – पद्धति का भी असफल होना असम्भावी है अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षा पद्धति के दोषों को भी अधिकांशत दूर किया जा सकता है योग उत्साही तथा नवाचार कार्यक्रमों को संचालित करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित / पुरस्कृत करने की आवश्यकता है।

प्रशिक्षकों का कक्षा में प्रभाव

डी० पी० ई० पी०.के अर्न्तगत शिक्षकों को प्रशिक्षित कियें जाने के फलस्वरूप शिक्षकों में जागरूकता बढी है सहायक सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हो रहा है। बच्चों की कक्षा में भागीदारी बढी है गतिविधियों के प्रयोग से विशेषकर छोटी कक्षाओं के बच्चों की रूचि बढी है और उनके लिए शिक्षा आनन्द दायी और रूचि पूर्ण हुई है। बच्चे कक्षा में सक्रिय होकर पठन पाठन में रूचि लेते है।

प्राथमिक विधालयों में शिक्षकों एवं स्थान की कमी के कारण एक ही अध्यापक के द्वारा सभी विषयों का शिक्षण होने से रोचकता समाप्त हो जाती है कक्षा का वातावरण नीरस हो जाता है। एक अध्यापक सभी विषयों एवं उनकी शिक्षण विधियों का पूर्ण ज्ञान रखे। अतः हर विषय के शिक्षण के प्रति पूर्ण न्याय नही की पाता एकल अध्यापक वधा लयों में सभी कक्षाओं के संचालन में भी कठिनाई होती है।

जनपद में सभी बी०आर०सी० भवन पूर्ण नही हुए हैं इस लिए ब्लाक स्तर पर भी प्रशिक्षण वैकल्पिक स्तरों पर आयोजित किये गये जिसमें पर्याप्त स्थान न मिल पाने के कारण कठिनाई अनुभव हुई । प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर आयोजित करने से शिक्षकों को सुविधा हुई । प्रशिक्षण जिन उद्देश्यों को लेकर किये गये वे ठीक थे।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण

डी०पी०ई०पी० के अर्न्तगत जनपद बलरामपुर में बी०आर०सी० तथा इन०पी०आर०सी० की स्थापना की गई हैं। बी०आर०सी० स्तर पर एक समन्वयक तथा एक सह समन्वयक और एन०पी०आर०सी० स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पद स्थानापन किया गया है जो कार्यरत शिक्षक ही है। इनको विभिन्न बिन्दुओं आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

1 – बी०आर०सी० के कार्य तथा दायित्व सम्बन्धी आधारभूत पाँच दिवसीय प्रशिक्षण जो सर्मथन माड्यूल पर आधरित था।

2 – अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।

3 – ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये ।

बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयको सह समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बन्ध में पाँच दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के सन्दर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विधालय भ्रमण आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण विधालयों, एन०पी०आर०सी० स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों के समस्याओं के समाधान शिक्षण सामग्री मेंलों का आयोजन आदि उपायों में माध्यम से नियमित गुणवत्ता कार्यक्रम संचालित किया गया।

समन्वयकों की भूमिका

बी०आर०सी० द्वारा वर्तमान में प्रमुख रूप से निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं –

सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कराना ।

शिक्षण को प्रभावी एवं रूचि पूर्ण बनाना ।

शिशु शिक्षा केन्द्रों का नियमित भ्रमण करना एवं वहाँ अनुभव की गई कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास करना।

वार्षिक कार्य योजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते है।

ई०एम०आई०एस० के आकड़ों का संकलन।

डायट के मार्ग दर्शन में विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों कार्यशालाओं सूक्ष्म नियोजन तथा शाला मानचित्रण वातावरण सृजन आदि कार्यो का आयोजन करते है।

एन०पी०आर०सी० स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते है। शैक्षिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त शिक्षणोंत्तर कार्यक्रमों को भी व्यवस्थित करना।

एन०पी०आर०सी० समन्वयकों की भूमिका

शैक्षिक विकेन्द्रीकरण की नीति को प्रभावी बनानें में न्याय पंचायत सन्दर्भ केन्द्रों की भूमिका महत्वपूण है। स्थानिये समुदाय को अभिप्रेरित करना सूक्ष्म नियोजन तथा विधालय मानचित्रण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना शिक्षकों के अनुभवों का परस्पर विनिमय स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों का सहयोग प्रदान करना आदि एन०पी०आर०सी०

समन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं इसके अतिरिक्त समन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत है–

विधालयों के अध्यापकों एवं अध्यापकों को शिक्षण कार्यों में आवश्यकतानुसार सहयोग करना।

शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।

विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को संस्थागत नियोजन एवं प्रबन्धन तथा सूक्ष्म नियोजन में सहयोग एवं परामर्श प्रदान करना ।

कार्यो तथा कार्यक्रमों की रिर्पोट तैयार कर बी०आर०सी० तथा डायट को भेजना।

ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विधालय शिक्षण योजना का विकाश करना।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना ।

ब्लाक संसाधन केन्द्रों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु उनके द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण एवं विधालीय प्रभावकारिता का निरीक्षण करके सुझाव एवं सहयोग प्रदान करना ।

प्रोत्साहन योजनाएँ

प्राथमिक विधालय में छात्रों के नामांकन एवं ठकराव के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछडी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है जनपद के १४ वर्ष तक के आयु के समस्त बच्चों कों निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समय बद्ध कार्यक्रम के अर्न्तगत अनुसूचित जाति के बालकों तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करायी गयी हैं जिसके फलस्वरूप छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है। बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन अभिभावकों को भी सहारा मिला।

बच्चों का विधालय में नामांकन एवं ठहराव बनाये रखने के लिए विधालयों में बच्चो के लिए छात्रवृत्ति पोषाहार योजना तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की योजनाएं संचालित है। इन सुविधाओं से अभिभावकों को सहायता मिलती है और बच्चों का नामांकन विद्यालयों में बढा है तथा ह्रास की समस्या पर भी अंकुश लगा है। छात्रवृत्ति का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति

के सभी बालक बालिकाओं के पिछडा वर्ग के प्रति कक्षा कुछ छात्रों को लिया जाता है। पोषाहार योजना का लाभ विद्यालय के सभी बालक बालिकाओं को प्रति माह प्राप्त होता है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की योजना संचालित है। इन सुविधाओं से अभिभावकों को सहायता मिलती है और बच्चों का नामांकन विद्यालयों में बढ़ा है तथा ह्रास की समस्या पर भी अंकुश लगा है, छात्रवृत्ति का लाभ अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सभी बालक–बालिकाओं के पिछड़े वर्ग के प्रति कक्षा के कुछ छात्रों को दिया जाता है। पोषाहार योजना का लाभ विद्यालय के सभी बालक–बालिकाओं को प्रतिमाह प्राप्त होता है। निःशुल्क पाठ्यक्रम के वितरण की व्यवस्था डी०पी०ई०पी० योजना के अन्तर्गत की गई है जिसमें कक्षा 1 से 5 तक अनुसूचित जातियों के सभी बालक–बालिकाओं तथा अन्य वर्गों की सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रतिवर्ष वितरित की जाएंगी तथा इस पर 34 लाख रूपये खर्च किए गए।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के शैक्षिक सम्प्राप्ति का मूल्यांकन किया गया है। इस क्रम में बेस लाइन एसेसमेंट स्टडी मिडटर्म एसेसमेंट स्टडी की गयी है। इन अध्ययनों के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्थिति निम्नवत है:–

मध्य संगीय मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर पता चलता है कि 17.34% बालक 21.4%बालिकाएं कुल 18.8% बच्चे कक्षा आठ में न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर सके। इस प्रकार कक्षा 1 के बालक गणित में 6.23% बालक 5.71% बालिका कुल 6.04% बच्चे न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर सके।

कक्षा 4 भाषा में 50.4% बालक 44.9% बालिकाएं कुल 48.3% बच्चे न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर सके। इस प्रकार जो बच्चे न्यूनतम अधिगम स्तर नहीं प्राप्त कर सके उनके लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।

स्रोत – विभागीय आंकड़े

इन तालिकाओं से स्पष्ट है कि कक्षा १ व् कक्षा ५ में गणित व भाषा दोनों में बच्चों का उपलब्धि स्तर बढा है किन्तु कक्षा ५ में उपलब्धि में वृद्धि बहुत कम हो पाई है अतः गणित एवं भाषा हेतु विशेष शिक्षण एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

कक्षा १ भाषा में छात्रों की उपलब्धि

स्तर		बालक (367)		बालिका (210)		योग (577)	
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	संख्या/प्र.श.	64	17.40	45	21.4	109	18.8
न्यूनतम अधिगम स्तर	संख्या/प्र.श.	78	21.30	49	23.3	127	22.3
न्यूनतम अधिगम स्तर से अधिक	संख्या/प्र.श.	225	61.30	116	55.3	341	58.9

स्रोत – विभागीय आंकड़े

कक्षा १ गणित के छात्रों की उपलब्धि

स्तर		बालक (369)		बालिका (210)		योग (579)	
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	संख्या/प्र.श.	23	6.23	12	5.71	35	6.04
न्यूनतम अधिगम स्तर	संख्या/प्र.श.	38	10.30	31	14.76	69	11.92
न्यूनतम अधिगम स्तर से अधिक	संख्या/प्र.श.	308	83.47	167	79.53	475	82.04

स्रोत – विभागीय आंकड़े

कक्षा ४ भाषा में छात्रों की उपलब्धि का स्तर

स्तर		बालक (262)		बालिका (156)		योग (418)	
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	संख्या/प्र.श.	132	50.40	70	44.9	202	48.3
न्यूनतम अधिगम स्तर	संख्या/प्र.श.	114	45.50	76	48.7	190	45.5
न्यूनतम अधिगम स्तर से अधिक	संख्या/प्र.श.	16	6.10	10	6.4	26	6.2

स्रोत – विभागीय आंकड़े

कक्षा ४ गणित में छात्रों की उपलब्धि का स्तर

स्तर		बालक (262)		बालिका (156)		योग (418)	
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	संख्या/प्र.श.	226	86.30	132	84.6	358	85.6
न्यूनतम अधिगम स्तर	संख्या/प्र.श.	25	9.50	18	11.5	43	10.6
न्यूनतम अधिगम स्तर से अधिक	संख्या/प्र.श.	11	4.20	6	3.9	17	3.8

स्रोत – विभागीय आंकड़े

बेसलाइन-स्टडी तथा मध्यावधि स्टडी के अनुसार छात्रों की उपलब्धि

कक्षा १ भाषा में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनुसूचित जाति मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेसलाइन सर्वे	48.15	44.05	35.57	42.76	44.64
मध्यावधि सव	69.10	65.00	78.20	84.60	83.20
उपलब्धि दर	20.95	20.95	43.03	41.84	38.56

स्रोत – विभागीय आंकड़े

कक्षा १ गणित में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनुसूचित जाति मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेसलाइन सर्वे	45.00	34.64	35.57	42.76	44.64
मध्यावधि सव	83.50	81.00	78.20	84.60	83.20
उपलब्धि दर	38.50	46.36	42.63	41.84	38.56

स्रोत – विभागीय आंकड़े

कक्षा ५ भाषा में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनुसूचित जाति मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेसलाइन सर्वे	41.20	40.76	40.43	41.57	40.85
मध्यावधि सव	41.70	42.00	42.90	42.20	41.60
उपलब्धि दर	0.50	1.24	2.47	0.63	0.75

स्रोत – विभागीय आंकड़े

कक्षा ५ गणित में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनुसूचित जाति मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेसलाइन सर्वे	31.85	31.07	29.55	33.25	30.95

विशेष रूप से कक्षा 4 गणित में 85.6% बालक 84.6% बालिका कुल 85.6% बच्चे न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर सके। गणित विषय के निदान में बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

<u>विशेष बच्चों के बारे में:–</u>

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अन्तर्गत उन सभी नागरिकों के शिक्षा के समान अवसर देने की बात कही गई है, किन्तु समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हें कुछ कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है, जो कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि इस संबंध में अधिक जिम्मेदार है। इस संदर्भ में बच्चों को शिक्षा से जोड़ना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। जिन वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयाँ होती हैं वे हैं:–

- बालिकाएं
- अनुसूचित जनजाति
- शैक्षिक दृष्टि से वंचित वर्ग
- अल्पसंख्यक
- शारीरिक रूप से अपंग

इन बच्चों में आत्मविश्वास जगाने की आवश्यकता है। इन विशेष बच्चों की पहचान कर उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षकों को डायट स्तर पर विशेष रूप से प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। जनपद बलरामपुर के कुछ क्षेत्रों में आदिवासियों की अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशिष्टताएं होती हैं और बहुधा उनकी अपनी बोल–चाल की भाषाएं होती है। पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षण सामग्री तैयार करने में यह जरूरी है कि शुरूआत की अवस्था में आदिवासी भाषाओं का उपयोग किए जाने तथा ऐसा इंतजाम किया जाए कि आदिवासी बच्चे शुरू में कुछ वर्षों के बाद क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकें। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए सभी वर्गों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है।

स्कूल की कक्षाओं की स्थितिः–

परिषदीय विद्यालय	एक शिक्षक विद्यालय	दो शिक्षक विद्यालय	तीन शिक्षक विद्यालय	चार शिक्षक विद्यालय
प्राथमिक स्तर	163	792	–	–

स्त्रोतः– बेसिक शिक्षा अधिकारी–बलरामपुर

विद्यालय में शिक्षकों की संख्या सारणी को देखने को ज्ञात होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में 17.06%

विद्यालय एक शिक्षक वाले 82.93% विद्यालय दो शिक्षक वाले। जब तीन व चार शिक्षक वाले कोई विद्यालय नहीं हैं। इस स्थिति में अधिकांश विद्यालयों में एक अध्यापक को एक समय में कई कक्षाएं पढ़ानी पड़ती हैं। इसके लिए शिक्षकों को बहुकक्षा शिक्षण विधियों की जानकारी होनी चाहिए। अतः इन्हें बहुकक्षा शिक्षण का प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता होगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी जनपद में बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति बनी हुई है। उच्चा प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय भाषा,गणित, विज्ञान के विषयों के लिए विशेष प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए, तभी वह इन विषयों का शिक्षण ठीक प्रकार से कर सकते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को प्रोन्नति देकर नियुक्त किया जाता है। इससे वांछित स्तर के योग्य शिक्षक नहीं मिल पाये हैं, जिससे बहुत से विद्यालयों में एक सामान्य अध्यापक को विशिष्ट विषयों का शिक्षण करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को विषयों के नवीन ज्ञान का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। जिससे शिक्षक इन विषयों का शिक्षण उचित प्रकार से कर सकें।

प्रभावी शिक्षण में सहायक सामग्री के उपयोग का बहुत महत्व है। जहाँ तक शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा शिक्षण की बात है देखने में आया है कि इसका प्रयोग कम हो रहा हैं। प्राथमिक स्तर पर तो सहायक सामग्री का प्रयोग देखने को मिलता है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इसका

प्रयोग बिल्कुल नहीं हो पाता है, विषयवस्तु को मौखिक या श्यामपट पर अंकित करके ही बोध कराया जाता है अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला की आवश्यकता है। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर किसी केन्द्रीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अथवा विकास खण्ड के किसी माध्यमिक विद्यालय को संकुल विद्यालय बनाकर उसमें प्रयोगशाला की सुविधा प्रदान की जाएगी। स्कूल भ्रमण शिक्षकों के विचार–विमर्श के दौरान शिक्षक अपनी कठिनाइयाँ इस प्रकार बताते हैं–

1. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं जिससे एक समय में एक साथ एक से अधिक कक्षाएं पढ़ानी पड़ती हैं।

2. अन्य विभागीय कार्यों में लगा दिये जाने के कारण शिक्षण के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है जो कि निम्न है–

1. मासिक आख्याओं को तैयार करना
2. जनगणना का कार्य करना
3. विद्यालय के विभिन्न रजिस्टरों को तैयार करना
4. निर्वाचन संबंधी कार्य करना
5. समय–समय पर सरकार तथा जिला परिषदों द्वारा सौंपे गए कार्य करना व करवाना

3. अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है जिससे बच्चों को वे नियमित विद्यालय नहीं भेजते हैं

4. बच्चों को गृहकार्य पूरा कराने में अभिभावकों से सहयोग नहीं मिलता जिससे वह गृहकार्य पूरा करके नहीं ला पाते हैं।

5. विभिन्न पाठों के शिक्षण के लिए शिक्षण सहायक सामग्री को बनाने व प्रयोग करने की पर्याप्त जानकारी नहीं है/ जानकारी दी जाने की आवश्यकता है।

6. विज्ञान, गणित के कुछ कठिन स्थलों के शिक्षण में भी कठिनाई है जिसकी जानकारी दी जाने की आवश्यकता है।

7. उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे आते हैं वे पूरी तरह तैयारी नहीं होते हैं, नवीन ज्ञान देने में कठिनाई होती है। उन्हें समझाने में अधिक समय लगता है।

8. उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी विषयों के अध्यापक नहीं हैं। सामान्य विषयों के अध्यापकों को गणित/विज्ञान भाषा विषय पढ़ाने पड़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक सपोर्ट की व्यवस्था के अन्तर्गत न्याय पंचायत के स्तर पर एन०पी०आर०सी०, ब्लॉक स्तर पर बी०आर०सी० है। उच्च प्राथमिक विद्यालय इस व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, इसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है। यह शैक्षिक सपोर्ट उच्च प्राथमिक विद्यालयों को डायट द्वारा जनपद स्तर पर तथा संकुल विद्यालयों के द्वारा ब्लॉक स्तर पर किसी माध्यमिक या केन्द्रीय को संकुल विद्यालय बनाकर दी जा सकती है।

समुदाय शिक्षकों से किस तरह की अपेक्षाएं रखता है इसकी जानकारी समुदाय से संपर्क एवं प्रशिक्षण के दौरान तथा संस्थान द्वारा वर्ष 1999–2000 में डायट द्वारा लैब एरिया के पांच विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालयों से अभिभावकों की अपेक्षाएं विषय पर शोध सर्वेक्षण के द्वारा यह बातें उभरकर सामने आईं–

1. अभिभावक अपने बच्चों को परिषदीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं वह चाहते हैं कि विद्यालय में बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो।

2. शिक्षक नियमित रूप से शिक्षण कार्य करें व अन्य कार्यों में उन्हें न लगाया जाए

3. विद्यालय में बच्चों को नैतिक शिक्षा भी दी जाए जिससे इनमें अच्छे संस्कार विकसित हों।

4. विद्यालय में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी होना चाहिए।

इन निष्कर्षों के आधार पर समुदाय की आवश्यकताओं/अपेक्षाओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकांश बच्चों के अभिभावक निरक्षर हैं या अपने कृषि कार्यों में लगे हैं जिससे वे बच्चों की शिक्षा में कोई सहयोग नहीं दे पाते

विद्यालय में ही ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिससे बच्चों को सीखने के अधिक अवसर प्राप्त हो सकें।

<u>एस० एस० ए०(सर्व शिक्षा अभियान) के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षणः--</u>

सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्ता परख प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद बलरामपुर में 6–14 वय वर्ग के सभी बालक/बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं:--

1. 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल ई०जी०एस० केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जाएगा।

2. सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें तथा लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जाएगा।

3. सभी बच्चे 8 वर्ष की सेवा पूरी करें यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जाएगा।

4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो प्रदान की जाएगी।

5. प्राथमिक स्तर पर बालक/बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अन्तर को 2007 तक समग्र प्रारम्भिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जाएगा।

6. लक्ष्य समूह(6–14)के सभी बच्चों का स्कूल मे ठहरा का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जाएगा। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक विजन विकसित किया जाएगा जिसमें जनपद, विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु चार दिवसीय विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों तथा डायट के संकाय सदस्यों जिला पंचायत कार्यालय के कर्मियों, विकास खण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियो के लिए डायट स्तर पर विजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की

जाएंगी जिसमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियां तय की जाएंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अन्तर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार अवधारणाएं बन सके। शिक्षकों के लिए भी विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जाएगा। कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जाएगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी०आर०सी० स्तर पर 6–8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि का प्रशिक्षण तथा कर्मशालाएं बी०आर०सी० और मुख्यतः एन०पी०आर०सी० स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होंगे।

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत प्रशिक्षण अनुभव वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं तथा बहुकक्षा स्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी वास्तविक शिक्षण समय को बढाना प्राथमिक तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे।

<u>प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षणः–</u>

प्रथम वर्ष में पाठ्य पुस्तकों पर केन्द्रित आठ दिवसीय आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक प्रधान अध्यापकों और शिक्षा मित्रों को प्रदान किया जाएगा।इस आठ प्रशिक्षण के उपरान्त इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. विजनिंग कार्यशालाएं– 3 दिवसीय–एन०पी०आर०सी० स्तर पर

2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक–एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं–एन०पी०आर०सी० स्तर पर आयोजित की जाएगी।

3. मैटीरियल मेला– एक दिवसीय– एन०पी०आर०सी० स्तर पर

4. विकास खण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अन्तर्गत एन०पी०आर०सी० स्तर पर मासिक/कार्यशालाएं जो पाठ्य प्रस्तुतिकरण पर केन्द्रित होंगी ये वर्ष के पांच महीने में आयोजित की जाएगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जाएगा।

एन०पी०आर०सी० स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जाएगा तथा बी०आर०सी० तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जाएगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू० 70 की दर से व्यय अनुमानित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार भाषा तथा गणित की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित सात दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। इस सात दिवसीय प्रशिक्षण के उपरान्त तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी जिनका विवरण इस प्रकार है:–

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी०आर०सी० स्तर पर तीन दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण समय तथा सामग्री प्रबन्धन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

2. एन०पी०आर०सी स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे जो वर्ष के सात महीनों

में आयोजित होंगे तथा इनमें बी०आर०सी० स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किए गये एजेण्डा का उपयोग किया जाएगा।

3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियों संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण एन०पी०आर०सी० स्तर पर आयोजित किया जाएगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण पर प्रति प्रतिभागी रूपया ७० प्रतिदिन की दर से अनुमानित है।

<u>तृतीय वर्ष</u>

तृतीय वर्ष में विज्ञान तथा सामाजिक विषय और मूल्यांकन पर केन्द्रित आठ दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इस तारतम्य में बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी जिनका विवरण इस प्रकार है:—

1. बी०आर०सी० स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रूचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ्य प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।

2. बी०आर०सी० स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ्य प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।

3. बी०आर०सी० स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों / टेस्ट आइटम निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन०पी०आर०सी० स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं पांच माह में आयोजित की जाएंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जाएगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू० 70 की दर से अनुमानित है।

<u>चतुर्थ वर्ष</u>

चतुर्थ वर्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग पर केन्द्रित पांच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसी तारतम्य में बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी जिनका विवरण इस प्रकार है:—

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन०पी०आर०सी० स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जाएगा।

2. एन०पी०आर०सी० स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु दो दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी जिसमें न्याय पंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमन्त्रित किया जाएगा।

3. एन०पी०आर०सी० स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुति तथा सामग्री निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

4. कक्षा शिक्षण में दृश्य—श्रव्य उपकरणों के उपयोग संबंधी दो दिवसीय कार्यशाला एन०पी०आर०सी० स्तर पर आयोजित की जाएगी।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू० 70 की दर से अनुमानित है।

<u>पांचवें वर्ष</u>

पांचवें वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरान्त आगामी

प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषय वस्तु का निर्धारण उपयुक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीड बैक के अधार पर किया जाएगा। इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन ७० रू० की दर से अनुमानित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए उपयुक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाएंगे, जिनका दिवरण इस प्रकार है:–

1. प्रत्येक विद्यालय से एक–एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य–पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।

2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं, ऐसे शिक्षकों के लिए 05 दिवसीय उर्दू विषय शिक्षण के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा उससे कम है उनके विषयवस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्षों से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधरित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्ति होने वाले सहायक अध्यापक–अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

६. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी ०५ दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा जो मुख्यतः नेतृत्व समय प्रबन्धन, विद्यालयों के अभिलेखों के रख–रखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

<u>उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षणः–</u>

डी०पी०ई०पी० के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी अतः उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाई स्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा छः – आठ के शिक्षक/शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ वस्तु का महत्व अधिक है, तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि आवश्यकता अनुभव की गई है, इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किए जाएंगेः–

प्रथम वर्षः–

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण विषय वस्तु शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो आठ दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकास खण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा संबंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन०पी०आर०सी० स्तर पर आयोजित की जाएगी तथा वर्ष के छः माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। एन०पी०आर०सी० स्तर पर एक दिवसीय मैटीरियल मेला

का आयोजन किया जाएगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जाएगी, इसी अनुक्रम में बी०आर०सी० स्तर पर भी एक दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जाएगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रू० ७० की दर से अनुमानित है।

द्वितीय वर्षः–

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय वस्तु शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी सात दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस अनुक्रम में विकास खण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा संबंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डे के आधार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन०पी०आर०सी० स्तर पर आयोजित की जाएंगी तथा वर्ष के छः माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। एन०पी०आर०सी० स्तर पर एक दिवसीय गणित मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जाएगी। इसी अनुक्रम में बी०आर०सी० स्तर पर भी एक दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जाएगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षा प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू० ७० की दर से अनुमानित है।

तृतीय वर्षः–

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा जो छः दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकास खण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा संबंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन०बी०आर०सी० स्तर पर आयोजित की जाएंगी तथा वर्ष के छः माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी०आर०सी० तथा एन०पी०आर०सी० स्तर पर दो दिवसीय तथा एक दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू० 70 की दर से अनुमानित है।

चौथे वर्षः–

उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जो आठ दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी०आर०सी० स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। भाषा शिक्षण हेतु पाठ्य पुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जाएगी, इसके साथ–साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु दो दिवसीय कार्यशाला एन०पी०आर०सी० स्तर पर आयोजित की जाएगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन०पी०आर०सो० स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष में छः माह में सुनिश्चित की जाएंगी, जिनका पर्यवेक्षण एन०पी०आर०सी० तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली संबंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरान्त इस तारतम्य टेस्ट आइटम बनाने हेतु दो दिवसीय तथा एक दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन०पी०आर०सी० तथा बी०आर०सी० स्तर पर आयोजित की जाएगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू० 70 की दर से अनुमानित है।

पांचवें वर्ष मेंः–

पांचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जाए

जो छः दिवसीय होगा, इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों को विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभावों तथा फीडबैंक के आधार पर निर्धारित किया जाएगा तथा इसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जाएगा। पांचवे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन ७० रू० की दर से अनुमानित है। प्रशिक्षणों के दूररथ शिक्षा माध्यम का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किए जाएंगे। उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त उच्च माध्यमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाएंगे, जिसका विवरण इस प्रकार है:—

1.कम्प्यूटर उपयोग संबंधी प्रशिक्षण:—

सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाए। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड में कुल नौ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण के लिए डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जाएगा, इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस०सी०ई०आर०टी० के सहयोग से किया जाएगा।

इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र—छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे। पायलट आधार पर चलाए गये इस कार्यक्रम का अनुसरण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जाएगा तथा कार्यक्रम के सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जाएगी।

2.जेण्डर सेंसिटाइज़ेशन (लिंग संवेदनशीलता) :—

शिक्षा में लिंगमूलक विभाजन को खत्म किया जाएगा, इसके लिए कक्षा में बालिकाओं के

प्रति व्यवहार में संवेदनशीलता लाने हेतु बी०आर०सी० स्तर पर दो दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय से एक शिक्षक प्रतिभाग करेंगे।

3.नेतृत्व प्रशिक्षणः–

सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व प्रशिक्षण तथा समय प्रबन्धन एवम् विद्यालय प्रबन्धन का प्रशिक्षण डायटर स्तर पर प्रदान किया जाएगा, यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा, तथा इसके लिए प्रशिक्षण माड्यूल का विकास सीमेट इलाहाबाद के सहयोग से डायट द्वारा किया जाएगा।

4.अन्य प्रशिक्षणः–

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाएंगे जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

1.शिक्षा मित्र/आचार्यजी प्रशिक्षण–

जनपद बलरामपुर के शिक्षा मित्रों तथा ई०जी०एस० केन्द्रों के लिए तीस दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र/ आचार्य जी के लिए दस दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा।

2.वैकल्पिक शिक्षाः–

जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण पन्द्रह दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जाएगा, इसके अतिरिक्त दस दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस०सी०ई०आर०टी० के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जाएगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षक एनस०पी०आर०सी०, बी०आर०सी० के समन्वयकों द्वारा किया जाएगा, तथा पर्यवेक्षण हेतु, क्षमता

विकास हेतु समन्वयकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जाएगा, यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाएगा।

3.ई०सी०सी०ई० केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षणः–

पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना हो रही है एवं आगे और भी की जाएगी, तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान – इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जाएगा।

ई०सी०सी०ई० केन्द्रों की कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण माड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस माड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के संज्ञान में आने से संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान – इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय–लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार आधारशिला(भाग एक एवं दो) प्रशिक्षण माड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जाएगा, तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं:--

स्कूल रेडीनेस बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु, समुदाय का सम्वेदीकरण, 3–6 वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक सम्वेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सैन्याभूत के विकास हेतु अभ्यास आदि प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40% समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है, तथा इसके अतिरिक्त पांच केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस माड्यूल का आगामी तीन–चार वर्षों तक उपयोग किया जाएगा। तदन्तर इसकी समीक्षा की जाएगी।

4.बी०आर०सी० / एन०पी०आर०सी० समन्वयकों का प्रशिक्षणः–

डी०पी०ई०पी० परियोजना के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण

प्रदान किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल/इण्टर कालेज में संचालित कक्षा ६–८ के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व संबंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है, तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित, परिवर्तित कर उपयोग किया जाएगा बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे, तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षा मित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारण्टी योजना, ई०सी०सी०ई० तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किए गए प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर भी इनको क्षमता का विकास किया जा सकेगा, जिससे बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुसरण तथा सहयोग कर सकें।

5. ए०बी०एस०ए० प्रशिक्षणः–

जनपद में विकास खण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए०बी०एस०ए० की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका पांच दिवसीय ओरिएन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जाएगा, इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास सीमेट द्वारा डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत किया गया है। ए०बी०एस०ए० के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जाएगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं:–

अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक क्रियान्वयन तथा कार्यक्रमों का अनुसरण विद्यालयों बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों ई०सी०सी०ई केन्द्रों ई०जी०एस० केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण ई०एम०आई०एस० माइक्रो प्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

6.ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षणः–

स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने में स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों ख़ासकर बालिकाओं का नामांकन शत–प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर आयोजित किए जाएंगे तथा सर्वशिक्षा अभियान के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जाएगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी०पी०ई०पी० के अर्न्तगत किया गया है, जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशोधित एवं परिवर्द्धित किया जाएगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कियाा जाएगा, जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगेः–

ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य

युवक मंगल दल के सदस्य

ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किए जाते हैं। स्कूलों के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षक से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7.एस०एस०ए० परियोजना स्टॉफ का प्रशिक्षणः–

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टॉफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जाएगा, यह प्रशिक्षण प्रथम वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अर्न्तगत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्य योजना की

रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आगामी वर्षों में आवश्यकतानुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाएंगे।

सभी प्रकार के प्रशिक्षणों के अनुभवों की विभिन्न स्तरों पर शेयरिंग की जाएगी, तथा इनका डाक्यूमेंटेशन भी किया जाएगा।

शिक्षण समय को बढ़ानाः–

प्रत्येक माह डायट के प्रवक्ताओं द्वारा विद्यालय अनुसरण के दौरान प्राथमिक विद्यालय की समय सारिणी का अध्ययन किया गया। प्राथमिक विद्यालय में समय सारिणी का प्रयोग अधिकांश विद्यालयों में किया जाता है। वर्ष में 217 कुल कार्य दिवस के लिए खुला। निर्धारित तिथियों का अवकाश भी विद्यालयों में हुआ तथा 178 दिन शिक्षण के लिए उपलब्ध हुए।

सारिणी–१

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	217	217
शिक्षण दिवस	178	178
परीक्षा	14	14
अन्य कार्य	15	15
नष्ट हो जाने वाले दिन	6	6
समुदाय से सम्पर्क	4	4

स्रोतः– डायट बलरामपुर/गोण्डा

उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 178 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 178 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं, जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्य दिवस सुनिश्चित किए गये हैं, अतः सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जाएगी। परीक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त किया जाएगा, तथा सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन

उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण समय के अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों को समय प्रबनधन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागेदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों का विद्यालय गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा।

पाठ्य–सामग्रीः–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्य–पुस्तकों को जुलाई 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया। इन पाठ्य–पुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। इसके पश्चात् एस०सी०ई०आर०टी० उत्तर प्रदेश द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य–पुस्तिकाओं का यथावश्यक संशोधन किये जाने पर तद्नुसार पाठ्य–पुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत लागू की जाएगी। नवीन पाठ्य–पुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक संदर्शिकाएं जो डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत विकसित की गई थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जाएगा।

प्राथमिक कक्षाओं(1–5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश द्वारा जुलाई 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं(6–8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कार्य कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे इसका अधिकतम कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जाएगा।

कक्षा 6–8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्य–पुस्तकों का विकास एस०सी०ई०आर०टी० के तत्वाधान में किया जा रहा है। ये पाठ्य–पुस्तकों एस०सी०ई०आर०टी० के विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, वाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अर्न्तगत विकसित की जा रही है। इन पाठ्य–पुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2001–02 में की जाएगी, तथा इनके उपरान्त जुलाई 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हें लागू किया जाएगा। इन पाठ्य–पुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जाएगा, तथा ये शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध कराई जाएगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति, तथा जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी।

किशोरी बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्रीः–

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों के उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार को शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जाएगी, जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, तथा भावी जीवन के लिए अच्छी तरह तैयार कर सके। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों व यथेष्ट एवम् सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जाएगी।

7. गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका–

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना–

डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जाएगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप–जनपद स्तर पर वार्षिक कार्य योजनाएं विकसित की जाएंगी। जनपद

विकास खण्ड, न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूल्यांकन, .नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई०एम०आई०एस० आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जाएगा।

इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्य स्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणीनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमती संवर्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जाएगीः–

क्षमता विकास करनाः–

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विद्या आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने वैकल्पिक शिक्षा, वी०ई०सी० प्रशिक्षण ई०सी०सी० प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए "संस्थागत क्षमता विकास" कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जाएगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवीनतम शोध मूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुनिश्चित किया जाएगा। डायट द्वारा ए०बी०एस०ए० / एस०डी०आई० प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापक और बी०आर०सी० के समन्वयक एन०पी०आर०सी० के संकुल प्रभारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जाएगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्यों को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जाएगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी

व्यक्तियों, संस्थानों के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जाएगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्धन एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक रिपोर्ट की क्षमता का विकास किया जाएगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरणः–

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने, गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने के लिए अकादमिक संस्थान समूह गठित किया गया है, जिसमें डायट स्टॉफ के अतिरिक्त वाह्य विशेषज्ञ शिक्षाविद, योग्य शिक्षक आदि सदस्य हैं अकादमिक संस्थान समूह की क्षमता विकास के पूर्व उसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जाएगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस०सी०ई०आर०टी० के सहयोग से क्षमता विकास कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की जाएगी। ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षा तथा स्कूलों का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगी, तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिताः–

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेशों के अर्न्तगत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता का विकास, अकादमिक संदर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में उक्त संस्थानों की सहभागिता प्राप्त की जाएगी। इस संबंध में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव

प्राप्त किया जाएगा तथा निर्धारण प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति हेतु स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जाएगा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षणः–

डायट के प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है, अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से करने की व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं से भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्णित है इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करनाः–

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान कर एन०पी०आर०सी० पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जाएगा तथा इसी प्रकार क्रमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जाएगा। इस कार्य में डी०पी०ई०पी० के अर्न्तगत पूर्व में की गई सामग्री विकास की प्रक्रिया के अनुभवों से लाभा उठाया।

डी०पी०ई०पी० के अर्न्तगत शिक्षकों को रू० 500 अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर तथा अन्य पाठ्य सामग्री, सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित, तथा पाठ्य–पुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जाएगा, तथा सभी शिक्षकों को प्रति वर्ष रू० 500 शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में

प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु पूर्व की भांति विभिन्न स्तरों पर मैटीरियल मेले भी आयोजित किए जाएंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगाई जाएगी तत्पश्चात् इनकी प्रर्दशनी जिला स्तर पर डायट में कराई जाएगी, जिससे अध्यापकों के अर्न्तगत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

कार्यशाला गोष्ठियों का आयोजनः–

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यशालाओं एवं गोष्ठिया डायट पर की जाएंगी। वर्तमान में डी०पी०ई०पी० के अर्न्तगत न्यायपंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजना किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समसयाओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्य योजना बनाने में एन०पी०आर०सी० की सहायता की जाएगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। यह क्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत् शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के विवरण, आदर्श पाठ के प्रस्तुतिकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगी। निम्नांकित विषय पर कार्यशालाएं तथा गोष्ठियों को आयोजित किया जाएगाः–

1. बच्चों की संप्राप्ति स्तर के आंकड़ों की शेयरिंग।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।

4. छात्र, छात्राओं की अधिगम संप्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण।

5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा–कविता का संकलन।

शोध एवं मूल्यांकनः–

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद है। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यवहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उन्हें निवारणार्थ क्रियात्मक शोध प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुंचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रिसर्च संबंधी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जाएगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को /ानराशि उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण करेंगी और इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोधन परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण करना है। डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान तथा मूल्यांकन किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत बच्चों की संप्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जाएगा। डायट द्वारा एस०सी०ई०आर०टी० के सहयोग से जनपद स्तर पर "क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी" भी की जाएगी।

एक्शन रिसर्चः–

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से पांच दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः

सीमेट – इलाहाबाद और एस०सी०ई०आर०टी०– लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जाएगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्य योजना बनाएं और समाधान ढूंढ़ने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैः–

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार सम्भव है?
2. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो?
3. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।
4. कक्षा की प्रक्रिया में जन भागीदारी बढ़ाने के तरीके।
5. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।
6. कार्य–निष्पादन के आधार पर चिन्हित कमजोर विद्यालयों में प्रबन्ध के मुद्दे।
7. विद्यालय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
8. महिला शिक्षकों का रोल–परसेप्शन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ।
9. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चे के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।
10. जहाँ बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति का स्तर कम है उनके कारणों की पहचान।
11. विद्यालयों के संदर्भ में समुदाय के सहयोग के अभाव के कारण का अध्ययन।
12. बच्चों के विद्यालय में अनियमित उपस्थिति के कारण का अध्ययन।
13. मध्यान्तर के पश्चात् विद्यालय से छात्रों से पलायन के क्कारणों का विश्लेषणात्मक निरूपण।
14. अध्यापकों के पठन–पाठन में वृद्धि हेतु प्रत्येक छः माह तक मूल्यांकन।

आंकड़ों का विश्लेषण नियोजन तथा प्रशिक्षण से उपयोगः–

ई०एम०आई०एस० के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त प्रत्येक ब्लॉक/प्रत्येक गांव/प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है। इसके द्वारा ब्लॉक, घर, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकता है,

किन्तु स्थान पर ड्राप आउट की अधिकता है। इनकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली पत्रिकाओं को विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई०एम०आई०एस० आंकड़ों के विश्लेषण से क्वालिटी इण्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा। उदाहरण के लिए रेपिटिशन रेट, कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई०एम०आई०एस० से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा, जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा क्रियान्वयन में हो सकेगा।

मूल्यांकन प्रणालीः–

छात्रों के मासिक, वार्षिक मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था वर्तमान में है किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है कक्षा पांच की परीक्षा एन०पी०आर०सी० स्तर पर, तथा कक्षा आठ की परीक्षा बी०आर०सी० स्तर की जाएगी, तथा मूल्यांकन की व्यवस्था डायट पर हो, साथ ही प्रवेश–पत्र भी डायट पर कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाए जाएंगे। छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करने के लिए सतत् व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जा रही है।

एस०सी०ई०आर०टी०– उत्तर प्रदेश द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक संप्राप्ति के मूल्यांकन हेतु "सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन" संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। डायट स्तर पर इस प्रशिक्षण डायट प्रवक्ताओं को एस०सी०ई०आर०टी० द्वारा प्रदान किया गया है। इस सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किए जाएंगे। इसका प्रशिक्षण डायट बी०आर०सी, एन०पी०आर०सी स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जाएगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें। इस मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य निम्न होगाः–

क्रमांक	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
१.	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य डा०पी०ओ० स्टॉफ ए०बी०एस०ए०(२५ प्रतिभागी)	०४ दिन
२.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षिकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	१० दिन
३.	शिक्षा मित्र / आचार्यजी का प्रशिक्षण १ आधारभूत प्रशिक्षण २ रिफेशर प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र / आचार्य जी	 ३० दिन १५ दिन
४.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण १. आधारभूत प्रशिक्षण २. रिफेशर प्रशिक्षण	अनुदेशक	 १५ दिन १० दिन
५.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयक	३ दिन
६	ई०सी०सी०ई० केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई०सी०सी०ई० केन्द्रों की कार्यकत्रियों तथा सहायिकाएं	७ दिन
७	बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयक	७ दिन
८.	ए०बी०एस०ए० का प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०	५ दिन
९.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी०आर०जी० का प्रशिक्षण	बी०आर०जी० के सदस्य	३ दिन
१०.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	१ माह
११	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के निस्तारण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण	५ दिन
१२	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	५ दिन
१३	सेवा पूर्वागम	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	१० दिन
१४	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले प्रशिक्षक	५ दिन
१५.	एक्शन रिसर्च हेत प्रशिक्षण	डायट स्टॉफ की बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	५ दिन
१६	मैटीरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	३ दिन
१७.	सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० के चुने हुए शिक्षक	३ दिन
१८.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टॉफ बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयक	३ दिन
१९.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी०आर०सी०,एन०पी०आर०सी० के चुने हुए सम० तथा उच्च प्रा० वि० के चयनित शिक्षक	३ दिन
२०	अनुपूरक अध्ययन सामग्री के विकास हेतु कार्यशाला(हिन्दी / स्थानीय बोली)	चिन्हित शिक्षक / शिक्षिकाएं	३ दिन
२१	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक कक्षाओं मे विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक हाइस्कूल, इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	३ दिन
२२	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक हाईस्कूल, इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	३ दिन
२३	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिका संदर्भ समूह के सदस्य	५ दिन
२४	कक्षा शिक्षण मे श्रव्य-दृश्य माध्यम से उपयोग संबधी कार्यशाला	बी०आर०सी० समन्वयक चुने हुए विद्यालय के शिक्षक	२ दिन
२५	बहुश्रेणी शिक्षण हेतु सेल्फ लर्निंग मैटीरियल के विकास संबधी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	५ दिन
२६	वास्तविक शिक्षक समय को बढाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयक	२ दिन
२७	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	३ दिन
२८	बाल श्रमिकों हेतु संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों हेतु शिक्षण सामग्री का विकास	डायट के सकाय सदस्य तथा शिक्षण	५ दिन

1. शैक्षिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण के साथ छात्र की शैक्षिक संप्राप्ति का सतत् आकलन कर पश्चपोषण एवं उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था करना।

2. छात्रों में अभ्यास कार्य संशोधन, पश्चपोषण, पुर्नबलन के माध्यम से स्वमूल्यांकन, स्वचिन्तन, स्व अधिगम तथा स्व निदेशन आदि भौतिक गुणों का विकास करना।

3. छात्र के सभी व्यवहारों, गुणों, विषयवस्तु की धारणा मात्रा में होने वाले परिवर्तनों का संज्ञात्मक और संज्ञान सहगामी पक्षों के रूप में मूल्यांकन कर छात्रों के सर्वांगीण विकास के मूल्यांकन की व्यवस्था प्रस्तुत करना।

4. अपेक्षित शैक्षिक संशोधन करके इकाईवार मूल्यांकन कर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्था को प्रवृत्त करना।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत सारणी द्वारा प्रदर्शित हैं:-

अकादमिक सुपरविजन में डायट, वी०आर०सी, एन०पी०आर०सी० की समेकित भूमिका:-

अकादमिक सुपरविजन में डायट वी०आर०सी, एन०पी०आर०सी० की समेकित भूमिका रहेगी। एन०पी०आर०सी० अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी०आर०सी को देगा तथा समीक्षा करके बी०आर०सी० प्रतिवेदन डायट को प्रस्तुत करेगा। डायट में ए०आर०जी० के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेण्डा तैयार करेंगे। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी०आर०सी०एन०, पी०आर०सी० कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन भ्रमण कार्यों का अनुश्रवण तथा श्रेणीकरण के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जाएगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीया उच्च माध्यमिक विद्यालय हाईस्कूल, इण्टर कालेज में 6-8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों वैकल्पिक शिक्षा ई०सी०सी०ई, ई०जी०एस० केन्द्रों को भी लाया जाएगा।

बी०आर०सी० तथा एन०पी०आर०सी० में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस

बात पर होगा कि डी०पी०ई०पी० के अर्न्तगत चलाई गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को और अधि ाक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन०पी०आर०सी०, बी०आर०सी० का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जाएगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जाएगा।

बी०आर०सी० की भूमिकाः–

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्य योजना विकसित करेंगे।

- सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण–आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।
- वैकल्पिक शिक्षा, ई०जी०एस० शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- समुदाय के सदस्यों का बी०आर०सी० के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायत राज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वयन स्थापित करेंगे।
- ई०एम०आई०एस० आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन०पी०आर०सी० तथा डायट के मध्य सक्रिय कडी का कार्य करेंगे।
- बी०आर०सी० स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु संदर्भ समूह विकसित करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- स्कूल डेवलपमेंट प्लान का विकास करने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।
- बी०आर०सी० स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनाएंगे।

एन०पी०आर०सी० की भूमिकाः–

- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्य योजना विकसित करेंगे।

- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षाा, ई०सी०सी०ई तथा ई०जी०एस० केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- बी०ई०सी० के सदस्यों डब्ल्यू०एम०जी० / पी०टी०ए० / एम०टी०ए० सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
- ई०एम०आई०एस० आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतिकरण करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- स्कूल डेवलेपमेंट प्लान का विकास कराकर इसका अनुसरण करेंगे।
- एन०पी०आर०सी०, अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

12.नवाचार कार्यक्रमः–१

1. डायट द्वारा विभिन्न ग्रामों के जनसमुदाय जिसमें ग्राम शिक्षा समिति स्कूल न जाने वाले बच्चों के अभिभावक, व्यवसाय करने वाले बच्चों के अभिभावक सम्मिलित थे तथा न्याय पंचायत संकुल प्रभारी उच्च प्रा०वि० के प्रधान अध्यापक के साथ एल०जी०डी० के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि जो बच्चे अपने व्यवसाय में संलग्न होने के कारण विद्यालय नहीं जाते हैं या जिन्होंने प्राथमिक स्तर की पढ़ाई पूर्ण कर विद्यालय जाना बंद कर दिया है, पुनः विद्यालय में जाने के लिए, ठहराव बनाये रखने के लिए तथा उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु कौशल विकास में दक्ष करने के लिए कार्यानुभव प्रशिक्षण बहुत प्रभावी होगा।

2. **बच्चों के लिए सामग्री विकासः–**

पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त माध्यमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर पूरक शिक्षण

सामग्री विकसित की जाएगी जिसमें स्थानीय उपलब्ध विशेषज्ञों, जनपद स्तर की विभूतियांभौगोलिक, ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी आदि हो सकती है, इनको प्रचलित पाठ्यक्रम के साथ–साथ रखा जाएगा जिससे अपने स्थानीय महत्व के स्थानों, महान व्यक्तियों आदि के बारे में जान सकें, एवं उनरो प्रेरणा ले सकें। इस मैटीरियल के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास किये जाएंगे। विषयवस्तु के विकास के लिए विभिन्न स्तरों प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक के शिक्षकों स्थानीय शिक्षाविदों, समाजसेवी व्यक्तियों की कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

3. कक्षा की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी बढ़ानाः–

ग्राम शिक्षा समितियों के गठन के माध्यम से समुदाय को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकें प्रतिमाह आयोजित किए जाने की व्यवस्था है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह देखने में आता है कि बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं होती हैं, और जब आयोजित होती हैं तो इनका मुख्य केन्द्र विद्यालय परिसर की समस्याओं तक ही रहता हैं। बच्चों की उपलब्धि पर कोई चर्चा नहीं होती है। समुदाय की भागीदारी को इस ओर भी बढाया जाएगा। इसके लिए समुदाय के लोग अभिभावकों को कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया देखने के लिए आमंत्रित करेंगे जिससे उनके बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हो, और बच्चों की शिक्षा पर विद्यालयके साथ–साथ घर पर भी ध्यान दिया जाए। समय–समय पर अभिभावकों को उनके बच्चों की उपलब्धि से भी अवगत कराया जाएगा। विद्यालय के वार्षिक समारोह में अच्छी उपलब्धि ा के लिए बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। ऐसा करके स्थानीय अच्छे कार्यकर्ताओं का विद्यालय शिक्षण में सहयोग भी मिल सकेगा। विद्यालय से जुड़कर समुदाय इसे अपना ही अभिन्न अंग स्वीकार कर सकेगा। यह सोच विद्यालय की प्रगति विकास में महत्वपूर्ण होगी।

विशेष वर्ग की शिक्षा समेकित शिक्षाः–

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विभिन्न विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान कराई जानी है। समेकित शिक्षा के अर्न्तगत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से दर्शित कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को सामान्य प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान कराई जाती है। समेकित

शिक्षा का बिन्दु अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम मे विशेष रूप से किया गया है।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/प्रोत्साहन की व्यवस्थाः–

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जाएगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन से विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्य योजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रम को सुचारू संचालन एवम् प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उप–जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और पुरस्कृत भी किया जाएगा। जनपद में प्रतिवर्ष उत्कृष्ट कार्य निष्पादन वाले दो बी०आर०सी० को रूपया 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में एक एन०पी०आर०सी० को रूपया 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रूपया 15,000 तथा रू० 10,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णय अनुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिए प्रेरित करने के लिए पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक–एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जाएगा, तथा इस हेतु उन्हें रूपया 5,000 प्रदान किया जाएगा।

पुरस्कार की धनराशि का उपयोग बी०आर०सी, एन०पी०आर०सी० समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अर्न्तराज्यीय भ्रमण और एक्सपोजर विजिट पर किया जाएगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिताः–

शैक्षिक सत्र में दो बार छःमाही परीक्षा के बाद दिसम्बर एवं वार्षिक परीक्षा के बाद मई में

विद्यालय समारोह आयोजित किए जाएंगे जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर छात्र–छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड वितरित किए जाएंगे, तथा बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जाएगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरणः–

जनपद बलरामपुर में डायट की स्थापना नहीं हो पायी है। बलरामपुर जनपद 1997 तक गोण्डा जनपद की एक तहसील था। 1996 में गोण्डा जनपद में डायट की स्थापना हो चुकी थी, जिसके फलस्वरूप बलरामपुर जनपद के डायट का कार्य गोण्डा जनपद के स्टॉफ द्वारा संपादित किया जाता है। डायट के सुदृढ़ीकरण हेतु गोण्डा जनपद के प्लान में बजट का प्राविधान किया जाता है।

अध्याय–10

परियोजना कियान्वयर एवं अनुश्रवण :–

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2007 तक की होगी। इस अवधि में 6-14 आयु के सभी बालक / बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबन्धन उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबन्धन कौशल विकसित कर लिए जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबन्धन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जनसहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय–समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिए इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधरित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जबाव देही, दिन–प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबन्ध तन्त्र संवेदनशील और लचीली प्रणाली:–

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रकियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुए विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबन्धन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिए प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जबावदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अबाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने

के साथ उ०प्र० सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबन्ध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत दर्शाया जा सकता है।

निर्णयकर्ता समितियाँ सर्वशिक्षा अभियान की प्रबन्धन पंक्ति सहायक अकादमिक संस्थायें

साधरण सभा और कार्यकारणी ⟶ राज्य परियोजना कार्यालय ⟵ एस० सी० ई० आर० टी०

समिति यू० पी० ई० एफ० ए०

पी० बी०

एस० आई० ई० साइंमैट

एस० आई० ई० टी०

एन० जी० ओ० आदि।

↓

जिला शिक्षा परियोजना समिति ⟶ जिला परियोजना कार्यालय ⟵ डायट, एन० जी० ओ० आदि

↓ ↓ ↓

क्षेत्र विकास समिति ⟶ ब्लाक शिक्षा अधिकारी ⟵ ब्लाक संसाधन केन्द्र

↓ ↓ ↓

ग्राम शिक्षा समिति ⟶ विधालय प्रधानाध्यापक / अध्यापक ⟵ संकुल ससांधन केन्द

संगठनात्मक ढांचा– नीतिनिर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :–

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा कमिति का गठन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य है :–

समिति का स्वरूप निम्नवत है :–

1 – ग्राम पंचायत का प्रधान अध्यक्ष

2 – ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वहाँ एक से अधिक स्कूल हो तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।

3 – बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जायेगें।

अधिकार एवं दायित्व :–

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी :-

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन नियन्त्रण और प्रबन्धन करना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनाऐं तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना।

(ड.) ऐसे समस्त आवश्यक बदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझें जायें।

(च) पंचायत क्षेत्र के सीमाओं के भीतर झिथत किसी बेसिक स्कूलों के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लधु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौपें जायें।

उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ – साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विधालय भवनों का निर्माण, परिषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विधालय प्रबन्धन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सकिय सामुदायिक भागीदारी के साथ–साथ बस्ती। ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयवद्व क्रिया न्वयन किरने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारण्टी योजना केन्द्र। वैकाल्पिक शिक्षा केन्द्रों की माँग तथा शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आगनवाडी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन। मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा।

<u>न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन०पी०आर०सी०)</u>:–

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है। इसे सुसाज्जित किये जाने के साथ–साथ संकुलप्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सकिय एवं क्रिया शील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :–

1 – न्याय पंचायत क्षेत्र के विधालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।

2 – अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार–विमर्श एवं उसका निराकरण करना।

3 – ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।

4 – ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विधालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।

5 – न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का यंकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :–

जिले की भाँति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है। जो सर्व शिक्षा अभियान के अनतर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यकम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिए उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है :–

1 – ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2 – सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विधालय निरीक्षक	सदस्य – सचिव
3 – विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	सदस्य
4 – विकास खण्ड का वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक	सदस्य

अधिकार एवं दायित्वः–

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा

क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी कियान्वयन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना। जे०जी०एस०वाई० के लिए आवंरित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक हागी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगा।

<u>प्रशासनिक संगठन</u> :–

<u>ब्लाक स्तर</u> :–

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उपविधालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को कियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विधालय निरीक्षक, परियोजना कियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होगे।

विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिए उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के अर्न्तगत ब्लाक शिक्षा समितियों, ब्लाक संशाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संशाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थपित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिए उन्हे अधिकार एवं सुविधाए प्रदान की जायेगी विकास खण्ड के विधालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व

निम्नलिखित होगें :–

1- सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का कियानवयन।

2- विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3- ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4- ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5- ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6- सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र कराना।

7- खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8- विधालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु० जा० / जन०जा० के सभी बालक। बालिकायों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

9- विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणक्ता में सुधार लाना।

10- विधालयों में मानक के अनुसार अध्यापक–छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियाँ सुनिश्चित कराना।

11- ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12- अध्यापकों के वेतन विल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना

ई०जी०एस० तथा ए०आई०ई०के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा ई०जी०एस० एवं ए०आई०ई० केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजनाअधिकारी की भुमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख–रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/- प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध

प्राचार्य डायट	–	सदस्य
जिला श्रम अधिकारी	–	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	–	सदस्य
वित्त एवं लेखधिकारी(बेसिक शिक्षा)	–	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता (आर०ई०एस०)	–	सदस्य
जिला विधालय निरीक्षक	–	सदस्य
दो शिक्षा विद् (विश्वविधालय एवं महाविधालय)	–	सदस्य

(जिलाधिकारी द्वारा नामित)

<u>जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व</u>

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अर्न्तगत रहते हुए इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करानें, रणनीति निर्धारण के सम्बन्ध में इसके निर्णय प्रभावी होगे। प्रवेश धारण, गुणवत्ता संवर्धन निर्माण के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण के लिए संस्थाओ का निर्धारण एवं प्रचार प्रसार के लिए सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेगें। यह समिति जिले के अर्न्तगत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एवं निर्देश के लिए जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई०जी०एस०/ए०आई०ई० से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

<u>जिला बेसिक शिक्षा समिति</u>

उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अर्न्तगत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के के लिए जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गई है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है :–

1 –	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2 –	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य – सचिव
3 –	अपर जिला मजिस्ट्रेट(नियोजन)	पदेन – सदस्य
4 –	जिला समाज कल्यांण अधिकारी	पदेन – सदस्य
5 –	जिला विधालय निरीक्षक	पदेन – सदस्य
6 –	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) यदि कोई हो और उसकी अनुपस्थिति में विधालय उपनिरीक्षक	पदेन – सदस्य
7 –	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें।	सदस्य
8 –	विधालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति परिषद अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार सुधार के लिए योजनाऐं तैयार करना।

अतः उपराक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विधालयके लिए स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

<u>प्रशासनिक तन्त्र – जिला परियोजना कार्यालय :</u>

जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य

करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमो का प्रभावी क्रियान्वयन उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होगे –

1 – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी
2 – उप बसिक शिक्षा अधिकारी (ई०जी०एस० / ए०आई०ई०)	1 प्रतिनियुक्ति पर
3 – समन्वयक	4 प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4 – सलाहकार	2 रू० 10,000 / – नियत वेतन प्रति पद
5 – ई०एम०आई०एस० अधिकारी	1 रू० 10,000 / – नियत वेतन प्रति पद
6 – कम्प्यूटर आपरेटर / सांख्यकी सहायक	3 रू० 7000 / – नियत वेतन प्रति पद
7 – सहायक लेखाधिकारी	1 प्रति नियुक्ति पर
8 – लिपिक	1 नियत मानदेय के आधार पर
9 – परिचारक	1 नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना के लिए सस्टेनिबिलिटी प्लान के अन्तंगत कोई भी पद सृजित नही है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। जिला परियोजना अधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उपजिला परियोजना अधिकारी होंगे तथा आपके क्षेत्र से संबंधित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त स्टॉफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी–प्रति उपविद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहायक स्टॉफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्तव्य की तरह करेंगे। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन बेसिक शिक्षा के कार्यालय में कर्मियों द्वारा प्रदान किया जाएगा।

निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण व्यवस्थाः–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भाँति की जाएगी। निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियंत्रकों से कराए जाऐंगे, जिसके लिए उन्हें मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जाएगा। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग के पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं। मानदेय का जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित है। प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जाएगा। वर्तमान से प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू० 1000/– प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू० 500/– प्रति शौचायल हेतु 200/– की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के निर्माण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिए जाएंगे। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जाएगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्राविधान रखा जाएगा। अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी के अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जाएगा।

एजूकेशनल मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम(ई० एम० आई० एस०):–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एवम् क्रियाशीन एम० आई० एस० स्थापित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा

परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम० आई० एस० डाटा कैप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफ्टवेयर स्थापित है, तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। .

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एवं वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिए स्थापित कम्प्यूटराज़्ड ई० एम० आई० एस० के संचालनार्थ एक ई० एम० आई० एस० अधिकारी एवं तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/सांख्यिकी सहायक रखे जाएंगे जिससे इस प्रकार की व्यवस्था हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपोर्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, आपके स्तर पर ही ई० एम० आई० एस० के विभिन्न महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स पर रिपोर्ट तैयार कर सकें। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकड़ों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एवं अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जाएगा।

ई०एम०आई०एस० अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराईज सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई०एम०आई०एस० अधिकारी के निम्न लिखित कार्य एवं दायित्व होगें।

विधालय हेतु सांख्यकी प्रापत्रो का मुद्रण व वितरण करना।

समय से फील्ड स्टाफ (बी०आर०सी० सामान्वयक, एन०पी०आर०सी० समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित करना।

माह नवम्बर के प्रथम सप्ताह में विधालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण करन।

भरे हुऐ प्रापत्रों की सैम्पुल चेकिंग संपादित करना तथा परिर्वतन कोई हो, अभिलिखित करना। समयबद्ध रूप में दिसम्बर 2001 के अन्त तक डाटा इन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार करके राज्य परियोजना कार्यलय को भेजना।

संकुलवार व विकास खण्डवार व जनपद की ई०एम०आई०एस० रिर्पोटों का विशलेषण तैयार करना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का उपलब्ध कराना।

सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यकी के लिए नोडल अधिकारियों के रूप में कार्य कराना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/कार्यशालाओं में प्रतिभाग कराना।

माइक्रोप्लानिग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विशलेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी सम्बन्धितों को प्रस्तुत/प्रेषित करना। ई०एम०आई०एस० अधिकारी की शैक्षिक योग्यता कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यकी विशलेषण, प्रेक्षण तकनीक में आदि में अभिष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

<u>प्रशिक्षण</u>

विधालय सांख्यकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक के, समकुल प्रभारी, बी० आर० सी० समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हें ई०एम०आई०एस० सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने, संकलन विशलेषण आदि की जानकारी दी जायेगी इसके अतिरिक्त विधालय सम्बन्धी आंकडों को दो प्रतिशत सैम्पल चेकिग के लिए भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकडों की शुद्धता की जाँच हो सके ।

<u>1 – ई०एम०आई०एस० का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)</u>

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखास्टाफा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

2 – ई०एम०आई०एस० का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इनमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उपविध ालय निरीक्षण एवं बी०आर०सी० समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेगे।

3 – ई०एम०आई०एस० का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन०पी०आर०सी० समन्वयक/सह सनन्वयक तथा सभी

विधालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेगें।

4 – ई०एम०आई०एस० का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्तर पर)

एफ०पी०ओ०/सीमेंट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी०पी०ओ० एवं बी०आर०सी० के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेगे। प्रथम तीन दिन ई०एम०आई०एस० प्रबन्ध एवं दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट इनफरमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

<u>आंकडों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जाँच :</u>

प्राथमिक तथा स्तर दोनों कें लिए नीपा नई दिल्ली के द्वारा तैयार किया गया है । वेधालय सांख्यकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस प्रति वर्ष विधालय स्तर से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आंकडों का एकत्रित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई०एम०आई०एस० रिपोर्ट तैयार की जायेगी ।

प्रति वर्ष विधालयों से प्राप्त भरे हुऐ प्रापत्रो का कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विधालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा । तकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भर कर भेजी गई थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गई तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

<u>आंकडों का उपयोग</u>

ई०एम०आई०एस० आंकडों के विशलेषण से महत्वपूण इन्डीकेट्र्स जैसे जी०ई०आर०एन० ई०आर०, ड्राफट आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र – अध्यापक अनुपात, कक्षा – कक्ष अनुपत, एकल अध्यापकीय विधालया आदि प्रति वर्ष प्राप्त होगे । इन इन्डीकेट्र्स का उपयोग डिसीज्न सर्पोट सिस्ट्म्स में किये जायेगे ताकि बार बार सूचनाओ के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और

कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश ।

संशोधन किया जा सके। डायस के अर्न्तगत ई०एम०आई०एस० के प्राप्त आंकडों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नही हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चो की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत से प्राप्त आंकडों के आधार पर नही हो पाता है। अतः यह व्यवस्था वास्तविक है कि माइक्रो प्लानिग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडों तथा ई०एम०आई०एस० से प्राप्त आंकडों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदनुसार कार्ययोजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश। संसोधन अभीष्ट होगा। ई०एम०आई०एस० एवं माईक्रो प्लानिग के आंकडों का उपयोग निम्न कार्य हेतु भी किया जायेगा।

1 – नवीन विधालय हेतु असेवित बस्तियों की पहचान ।

2 – शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का
निर्धारण।

3 – छात्र संख्या के वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता की पहचान ।

4 – एकल अध्यापकीय विधालयों का चिन्हीकरण ।

5 – छात्र अध्यापक के अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विधालयों की पहचान।

6 – बालिकाओं के कम नामांकन वाले विधालयों व न्याय पंचायतो का चिन्हीकरण।

7 – निः शुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थि समूहों की संख्या का आंकलन ।

8 – अव्यवस्था सम्बन्धी माँग का आंकलन व निर्धारण ।

9 – शिक्षकों का विवरण।

10 – विभिन्न स्तरों पर विधालय निरीक्षण का रोस्टर।

11 – विकलांगता बार आंकडों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई०एम०आई०एस० से प्राप्त महत्वपूण निष्कर्षो एवं सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय । क्षेत्र के

अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमो के आयोजन की प्राथमिकताओ के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिए उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

<u>कोहार्ट स्टडी :</u>

छात्र – छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप – आउट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहार्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी वाह्य एजेन्सी द्वारा करायी जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेंट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च स्तर के लिए पृथक – पृथक से की जायेगी । एक स्टडी की अनुमानित लागत रू० 2 लाख रखी गई है।

<u>प्राजेक्ट मेनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम</u>

एम० आई०एस० के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तिये प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत एल०ए०सी०आई०(LACI) के अर्न्तगत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिए भी कोई एम०आई०एस० प्रयोग में लाया जायेगा।

<u>जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान</u>

जनपद बलरामपुर पहले जनपद गोण्डा की एक तहसील थी। वर्ष 1997 में जनपद गोण्डा से विभाजित तहसील बलरामपुर को नया जनपद धोषित किया गया। जनपद बलरामपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भवन निर्माणाधीन है। पद सृजन एवं तैनाती नहीं है। फलस्वरूप जिला का ऐकेडमिक कार्य का संचालन जनपद गोण्डाके जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से किया

ाता है। संस्थान का उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत सुदृढ किया जा रहा है। णवत्ता में सुधार के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की मुख्य भूमिका होती है । सर्व ाक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको अधिक सुदृढ़ किया जायेगा । रेयोजना के अर्न्तगत इसके निम्नलिखित कार्य होगे।

– विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर। सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित राना ।

– राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव ार्यक्रमों और अनुसन्धानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों के लिए डायट स्टाफ की श्रमता का विकास होगा।

– ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षत करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक ार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना।

– जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिए शोध कार्य करना और रिणामों/निष्कर्षो की जानकारी सर्व सम्बन्धित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया ा सके।

5 – जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्ता मूलक निरीक्षण करना, इसके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्ग दर्शन देना।

6 – ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया – कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7 – जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यों में नियोजन करना ।

8 – जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9 – न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाईन सर्वे कराना।

10 – शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11 – शैक्षिक आंकडों (ई०एम०आई०एस० में माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभियानों को प्रशिक्षण देना।

12 – शिक्षकों, समन्वयकों ई०सी०सी०आई० तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों निरीक्षप्ण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना।

<u>निधि का हस्तांतरण (फलो आफ फण्ड)</u>

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एंव उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए अवमुक्ति की जायेगी। प्रशिक्षण अकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिए धनाराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे – ग्राम शिक्षा समिति स्वयं सेवी संस्थाओं , अध्यापकों आदि के सीधे खातों में मध्य से हस्तानान्तरित की जायेगी ।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से प्रचलित किया जायेगा । सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः रू० 5000 / –मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एवं उसी के लेखा सम्बन्धी अधिकारी /कार्यचारी द्वारा संयुक्त रूप में संसाधन केन्द्रों पर भी संयुक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय सन्दर्शिका में लेखा जोखा रखनें के वित्तीय नियम स्पष्ट निर्धारित किये गये है। जो परियोजना में भी अपनाये जायेगें । तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप में रेखा में यदि संशोधन की कोई

आवश्यकता होगी। तो उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय–समय पर रिफ्रशर कोस भी आयोजित किए जायेगे परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियो को भेजी जाती है, जिनके बैक में खाते पूर्व से ही संचालित है।जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा प्रशिक्षण द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एवं व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। समान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवयुक्त की जायेगी।

फन्ड फलो डायग्राम

राज्य परियोजना कार्यालय

↓

जिला परियोजना कार्यालय	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
↓	↓
1 – बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी०	बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी०
2 – ग्राम शिक्षा समिति	
3 – अध्यापक	
4 – स्वयं सेवी संस्था आदि	

सम्प्रेक्षण व्यवस्था

उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अर्न्तगत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतन्त्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टैनट के माध्यम से किया जायेगा। यह कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का चमन व टमर्स आफ रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया गया । राज्य सरकार / भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व

शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार उ०प्र०, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

मध्य सत्रीय उपचारक प्रणाली की स्थापना

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक अधिकारी द्वारा उप बेसिक अधिकारी जिला समन्वयकों सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों , प्रति उप विधालय निरीक्षकों बी०आर०सी० समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठके आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यों को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्राचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी०आर०सी० समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाइयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेगें। साथ ही समय–समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा और कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद में कम्प्यूटराईज्ड पी०एम०आई०एस० रिर्पोट तैयार की जायेगी जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षों के आधार पर कार्ययोजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई०एम०आई०एस० डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथा आवश्यक उपचारात्मक प्रयास किया जायेगें।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव , अनुभूत कठिनाईयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेगें।

PROJECT COST SARVA SHIKSHA ABHIYAN
DISST. BALRAMPUR YEAR (2003-04)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2003-2004 Phy	Fin
	ACCESS			
1	New Primary School Unserved	259	50	12950
2	New Upper Primary Schools	451	141	39480
3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0
4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	66	7920
5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04	2.25	50	675
6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04	9	50	2700
7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)	10	423	25380
8	Teaching Learning Equipment		0	
8.1	PS	10	50	500
8.2	UPS	50	141	7050
9	TLE UPS not covered OBB	50	0	0
10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0
	Total		0	96655
	Interventions for out of school children		0	
11	Alternative Schools		0	
11 1	EGS (for 25 child per center))	0.845	175	3696.875
11 2	Honraria	1	0	0
11 3	Training	1.5	0	0
11 4	Contingency	0.468	0	0
11 5	Equipment	1.76	0	0
11 6	Adm. & Management Cost	6.056	0	0
12	AIE/ Primary-including all models of DPEP(per child)- Shiksha	0.845	0	0
13	AIE Upper Primary	1.2	20	720
14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0
15	Bridge/Remedial course PS	180	3	540
16	Bridge Course at NPRC level	0.845	101	3413 8
17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.35	0	0
18	Updation Of Microplanning	250	0	0
	ACCESS Subtotal		0	105025.7

R	RETENTION		0	
R1	Reconstruction - PS	191	10	1910
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0
R3	Additional Classrooms		0	
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	80	5600
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	20	1400
R4.1	Toilets Upper Primary	10	0	0
R4.2	Toilets Primary	10	101	1010
R5.1	Drinking Water Primary	15	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	15	0	0
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	949	4745
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	175	875
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0
R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 p	2.25	0	0
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0
R7.4	Salary of Fresh SM(PS)	2.25	1293	17456
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	974	1948
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	275	550
R12	Promoting Girls Education		0	0
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0
R12.2	MCDA	75	0	0
R12.3	Meena Manch	4	0	0
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0
	Opening of ECCE centers		0	
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	
R13.2	TLM(per center)	5	0	0
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.375	0	0
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0
R13.5	Training		0	
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0
R16	Community Mobilization		0	
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day	0.48	667	320.16
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	0
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	5000
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0
	RETENTION Sub Total		0	40813.66

Q	QUALITY IMPROVEMENT		0	
Q1	Training Programmes		0	
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	50	105
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	0	0
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	2837	3971.8
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	754	791.7
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 da	0.07	0	0
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0
Q 10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0
Q2	IED Provision for disable children	1.2	564	676.8
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0
Q2.5	Support Services	5	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0
Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2	0	0
Q5	Teacher Learning Material		0	
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	3037	1518.5
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1543	771.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	111600	5580
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	11410	1711.5
Q5.5	School Library	0.15	0	0
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0
Q5.9	Schools Awards	25	0	0
	QUALITY **Sub Total**		0	15126.8

C	CAPACITY BUILDING		0	
C1	DIET Capacity Building		0	
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0
C1.9	Research/Action Research	200	0	0
C1.10	Exposure Visit	50	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0
C2	Block Resource Center		0	
C2.1	Civil Construction	800	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	9	54
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0
C2.9	TLM(per center)	5	9	45
C2.10	Consumables	5	0	0
C2.11	Contigency	12.5	9	112.5
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0
C2.13	Contigency - ABSA	5	0	0
C3	School Complex (NPRC)		0	0
C3.1	Construction	70	0	0
C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	101	101
C3.4	Contingency	2.5	101	252.5
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	101	242.4
C4	District Project Office/Management		0	0
C4.1	Staffing		0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	6	1080
C4.3	Salary of AE	15	1	180
C4.4	Equipment Maintenance	30	1	30
C4.5	Furniture Fixtures	30	1	30
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	1	10
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0
C4.8	Travelling Allowances	10	15	150
C4.9	Consumaables	40	1	40
C4.10	Telephone/FAX	30	1	30
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	1	100
C4.12	Pay to JE	10	9	1080
C4.13	Hiring of Vehicle	10	1	10
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	949	1328.6
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	175	245
C4.16	Contingency	100	1	100
C4.17	AWP & B	10	1	10
	Total		0	5231
C5	MIS		0	0
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	1	554
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0
C5.6	Computer Software	20	0	0
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0
C5.10	Computer Consumable	25	0	0
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0
	CAPACITY Sub Total		0	5785
	GRAND TOTAL		**0**	**166751.1**

नेशनल प्रोग्राम फार द एजूकेशन आफ गर्ल्स ऐट द एलीमेण्ट्री लेवल

(एन0पी0ई0जी0ई0एल0) कार्यक्रम

- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा के सम्बर्धन हेतु एक अतिरिक्त इनपुट के रूप में एन0पी0ई0जी0ई0एल0 नामक कार्यक्रम चलाया जायेगा। यह कार्यक्रम उन विद्यालयों में लागू होगा जहाँ महिला साक्षरता दर 30.62 (वर्ष 91 जनगणना) और पुरूष एवं महिला साक्षरता दर में जेण्डर गैप 27.25 से अधिक हो तथा 642 Urban Wards के मलिन बस्तियों में समलित किया जायेगा। प्रथम चरण में वर्ष 2003–04 हेतु कुल 2374 ऐसे विद्यालय चिन्हित किये गये है। अगामी वर्ष में समस्त चिन्हित विकास खण्ड एवं नगरीय वार्डो के अन्य विद्यालयो के आच्छादन की योजना है। परियोजना हेतु, सर्व शिक्षा अभियान की भांति ही व्ययभार का 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन होगा।

प्रशासनिक एवं क्रियान्वयन ढाँचा

- राज्य स्तर पर सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा। परिषद के अन्तर्गत विकसित जेण्डर यूनिट द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया जायेगा। परियोजना में कार्यरत वरिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा ही एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा।

- जनपद स्तर पर सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन गठित जिला परियोजना समिति द्वारा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा। जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्षमता सम्बर्धन हेतु एक जेण्डर यूनिट का गठन किया जायेगा। परियोजना में कार्यरत समन्वयक बालिका शिक्षा द्वारा ही एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा।

- ब्लाक स्तर पर परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत ब्लाक स्तरीय दो सहायक समन्वयक में से एक जेण्डर को–आर्डिनेटर के रूप में कार्य करेगा जोकि बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा।

- जिन जनपदों के विकास खण्डों में महिला सामाख्या कार्यरत है वहाँ पर ब्लाक स्तर पर एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम परियोजना के समन्वय के साथ महिला सामाख्या द्वारा क्रियान्वयन किया जायेगा तथा ब्लाक जेण्डर समन्वयक के रूप में महिला सामाख्या के ब्लाक प्रतिनिधि कार्य करेंगे / करेंगी। परियोजना में 5 जनपदों में महिला सामाख्या कार्यरत है तथा कुल 5 ब्लाकों में कार्यक्रम संचालित कर रही हैं।

बजट व्यवहार – परियोजना के पूर्व तक नियमानुसार एन0पी0ई0जी0ई0एल0 बजट व्यवहृत किया जायेगा। केवल ऐसे विकासखण्ड जहाँ महिला सामाख्या कार्यरत है वहाँ पर ब्लाक स्तर पर किया जाने वाला व्यय महिला सामाख्या द्वारा व्यवहृत किया जायेगा। परन्तु विद्यालय स्तर का व्यय परियोजना में नियमानुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। जिसकी मानीटरिंग महिला सामाख्या करेगी।

प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु एवं बजट विवरण

➢ आच्छादित क्षेत्रः– भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार उ0 प्र0 के 70 जनपदों के 774 विकासखण्डों तथा 642 नगर क्षेत्रों के कुल 2374 विद्यालयों को प्रथम चरण मे मॉडल क्लस्टर विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है, अगामी वर्षो में अन्य विद्यालयों के चयन की योजना है।

➢ मदवार बजट :–

1. क्लास्टर विद्यालय हेतु आवर्तक अनुदान :– बालिका शिक्षा सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से विद्यालय का रख–रखाव करनें तथा कौशल आधारित विषयों पर प्रति विद्यालय अनुदेशक की व्यवस्था हेतु कुल रू0 20,000.00 प्रति विद्यालय

आवर्तक अनुदान रखा गया है। अनुदेशक का मानदेय रू0 1000.00 प्रतिमाह होगा तथा एक विद्यालय पर अधिकतम तीन माह के लिए अनुदेशक रखा जायेगा। अनुदेशकों की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा।

आवर्तक अनुदान का मदवार विवरण–

- अनुदेशक मानदेय – 3000.00
- लकड़ी की बेंच एवं मेज (बच्चों के बैठने हेतु)– 15000.00
- अन्य रख–रखाव – 2000.00

2. छात्र मूल्यांकन, Remedial Teaching, ब्रिजकोर्स, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के अन्तर्गत बालिकाओं के सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने, विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के लिए ब्रिजकोर्स अथवा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के संचालन हेतु प्रति विद्यालय रू0 10,000.00 की धनराशि प्रस्तावित है।

3. अध्यापक प्रशिक्षण – बालिकाओं के कौशल विकास हेतु पर एक विद्यालय के 4 अध्यापकों को कार्यानुभव शिक्षा प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसकी ईकाई लागत प्रति अध्यापक प्रति दिन रू0 70.00 होगी।

4. शिशु शिक्षा केन्द्र :– आंगनवाड़ी विभाग के साथ कन्वर्जेंस करते हुए क्लस्टर विद्यालय पर ई.सी.सी.सी.ई. केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण कराया जायेगा। जिन विद्यालयों आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित नहीं हैं वहाँ पर केन्द्र संचालन मीना मंच द्वारा किया जाने का प्रस्ताव है। प्रति केन्द्र रू0 6000 की दर से बजट प्रस्तावित किया गया है।

केन्द्र संचालन की प्रक्रिया तथा बजट का ब्रेक--अप निम्नवत है।

- चयन प्रक्रिया – मंच की आम सभा में संचालिका का चयन किया जायेगा तथा मंच के प्रस्ताव पर ग्राम शिक्षा समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- मीना मंच की कार्यकारिणी समिति केन्द्र संचालन का सुपरविजन करेंगी।
- मंच की अन्य बालिकाएं केन्द्र का सहयोग करेंगी।
- केन्द्र संचालन मीना कक्ष में किया जायेगा।

संचालिका हेतु पात्रता–

14–18 वय वर्ग की मीना मंच की सदस्य हो तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 पास हो।

बजट विवरण –

मानदेय : 400 प्रतिमाह प्रति संचालिका। (10 माह हेतु)

केन्द्र स्थापना –2000 प्रति केन्द्र (सामग्री सूची तथा क्रय प्रकिया ई0सी0सी0ई0 की भांति रहेगी)।

5. क्लस्टर विद्यालयों की बालिकाओं हेतु यूनिफार्म तथा वर्क बुक हेतु प्रति बालिका रू0 150.00 की दर से धनराशि अनुमोदन हेतु प्रस्तावित है।

6. सामुदायिक सहभागिता :– सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्रति जनपद कुल रू0 1,40,000.00 की धनराशि का प्रावधान है। जिसके अन्तर्गत कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार तथा टी0ए0/डी0ए0 की व्यवस्था शामिल है। उक्त धनराशि का फॉटवार विवरण निम्न है।

प्रचार–प्रसार हेतु प्रत्येक चयनित क्लस्टर विद्यालय पर एक विशेष डिजाइन का रिक्शा होगा जो लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार–प्रसार करेगा। क्लस्टर विद्यालय हेतु बालिकाओं की सांस्कृतिक टीम को गांव में भ्रमण करायेगा, ऐसी बालिकायों जो विकलांग हैं अथवा विद्यालय दूरी के कारण स्कूल नहीं आती हैं। उन्हे विद्यालय

लाने ले जाने का कार्य करेगा। रिक्शा चालक के रूप में गांव के सबसे गरीब व्यक्ति को चयनित किया जायेगा, जिसका चयन ग्राम शिक्षा समिति करेगी । रिक्शा चालक को किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जायेगा। वह खाली समय में रिक्शा का प्रयोग अपनी रोजी हेतु कर सकता है। यदि समुदाय चाहे तो रिक्शा चालक को मानदेय दे सकती है।

बजट ब्रेक अप–

- रिक्शा – 10,000.00 X क्लस्टर विद्यालयों की संख्या (यह बजट जनपदवार अलग–अलग होगा)
- टी0ए0 / डी0ए0– 20,000.00 प्रति जनपद
- मेला सेमिनार, कार्यशाला एवं प्रचार प्रसार – 20,000.00 प्रति जनपद

7. लायब्रेरी स्थापना खेलकूद की सामग्री आदि – क्लस्टर विद्यालयों में लायब्रेरी स्थापित की जायेगी तथा खेलकूद के लिए झूलों आदि की व्यवस्था की जायेगी जिसके लिए प्रति विद्यालय रू0 30,000.00 की धनराशि प्रस्तावित की गयी हैजिसका बजट ब्रकअप निम्नवत है।

1	झूला	@ 15000.00
2	सायकिल	@ 900.00 X 5=4500.00
3	बेइंग मशीन	@ 500.00
4	किताबें	@ 5000.00
5	साउन्ड सिस्टम 1	@ 1500.00

6	आडियो सिस्टम 1 (टू इन वन)	@ 1500.00
7	अन्य आवश्यकतानुसार	3000.00

8. अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण हेतु प्रति विद्यालय रू0 2,00,000 (दो लाख की दर से लखनऊ, इलाहाबाद तथा कानपुर नगर जनपदों हेतु धनराशि वर्ष 2003–04 हेतु प्रस्तावित की गयी है।

9. प्रदेश के ~~63~~ नगर क्षेत्रों के लगभग 8000 वार्डों के मलिन बस्तियों 20 प्रतिशत (लगभग 1600 वार्डों) विद्यालयों हेतु रू0 5 लाख प्रति वार्ड प्रस्तावित हैं।

10. कुल बजट का 6 प्रतिशत मैनेजमेंट कास्ट अनुमन्य है।

नोट :– विद्यालय स्तर पर निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा तथा सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। सूचित किया जाता है कि भारत सरकार की पी0ए0बी0 में उक्त प्रस्ताव गया था जिसमें कुछ संशोधन मांगे गये थे जिनको अवगतार्थ प्रेषित हैं। उनके द्वारा कुछ विस्तृत सूचनायें मांगी गई हैं। जिनका approval माँगा गया है।

प्रस्ताव :– **(A)** कार्य क्रम समिति एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम से उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहें जिससे इस कार्यक्रम को औपचारिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को योजना की मंजूरी हेतु प्रेषित किया जा सके।

N.P.EG.E.L. U.P. हेतु चयनित विकासखण्डों का जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	महिला साक्षरता दर जनपद (%)	जेन्डर गैप जनपद (%)	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर (%)	जेन्डर गैप (%)	विद्यालय न जाने वाले बच्चें		
							बालक	बालिका	योग
1	बहराइच		21.17	शिवपुर	5.01	21.8			0
				पयागपुर	13.32	35.1			0
				चित्तौरा	8.11	31.81			0
				कैसरगंज	10.35	25.76			0
				महसी	10.64	26.56			0
				जरवल	9.62	26.04			0
				मिहीपुरवा	7.53	22.03			0
	13			बलहा	5.59	22.55			0
				तेजवा पुर	8.2	24.65			0
				हून्नूरपुर	14.48	24.51			0
				विश्वेश्वर गंज	11.01	34.74			0
				फखरपुर	8.92	24.04			0
				नवाबगंज	8.42	27.01			0
2	गोण्डा	13.42	30.06	झंझरी	13.3	34			0
				पण्डरी कृपाल	8.1	28.8			0
				मुजेहना	8.7	30.5			0
				इटियाथोक	8.1	30.9			0
				रूपैडीह	7.7	31.02			0
				वजीरगंज	12.3	33.01			0
	16			नवाबगंज	10.2	27.05			0
				तरबगंज	10.8	30.09			0
				वेलसर	10.7	29.03			0
				कटराबाजार	5.5	28.06			0
				करनैलगंज	9.8	27.8			0
				बभनजोत	9.7	28.6			0
				छपिया	15.8	32.3			0
				हलधरमऊ	9.9	33			0
				मनकापुर	14.1	31.04			0
				परसपुर	12.6	32.06			0
3	श्रावस्ती		34.34	गिलौला	23.99	29.54	1924	1597	3521
				जमुनहा	18.31	24.24	4750	4158	8908
				हरिहरपुर रानी	20.12	24.02	7157	6380	13537
				सिरसिया	15.12	20.58	4112	3596	7708
				इकौना	24.63	29.73	6256	5780	12036
4	बलरामपुर		23.21	उतरौला	17.7	26.33	2395	2458	4853
				रहरा बा	10.4	27.3	2510	2264	4774
				हरैया सतबरवा	4.5	22.3	4639	3932	8571
				बलरामपुर	9.9	25.6	4691	4234	8925
				तुलसीपुर	7.2	18.6	4520	3939	8459
				पचपूड़वा	8.7	25.3	5346	5547	10893
				बैसड़ी	7.2	20.5	3872	3724	7596

N.P.EG.E.L. U.P. हेतु चयनित विकासखण्डों का जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	महिला साक्षरता	जेन्डर गेप जनपद	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर	जेन्डर गैप	विद्यालय न जाने वाले बच्चें बालक	बालिका	योग
				गैण्डासबुजुर्ग	9.8	23.8	1497	1475	2972
				श्रीदत्त गंज	7.8	24.2	2942	2691	5633
5	रानपुर		18.48	स्वार	9.08	17.03	9448	9380	18828
				बिलासपुर	16.8	18.01	7511	7167	14678
				सैदनगर	3.07	17.02	5769	6812	12581
				चमरौआ	3.09	18.05	5583	5143	10726
				शाहबाद	5.04	22.01	8744	8837	17581
				मिलक	8.03	25.07	5639	5244	10883
6	बदायूँ			कावर चौक	6.44	21.25	3752	3645	7397
				उझानी	13.44	25.63	4212	4435	8647
				इस्लामनगर	9.33	24.96	4507	4371	8878
				सालार पुर	9.52	24.57	4643	4399	9042
				सहसवान	4.84	17.89	10997	9544	20541
				जगत	11.08	25.7	4179	4748	8927
				जूनावई	4.08	20.99	4160	4281	8441
				दातागंज	9.36	22.19	4490	4278	8768
				उसावा	6.47	20.89	4447	3445	7892
				मिआउल	10.62	26	4413	4757	9170
				समरेर	7.33	23.34	4800	4443	9243
				वजीरगंज	10.35	26.16	864	912	1776
				अम्बियापुर	9.71	23.32	6346	6230	12576
				गुन्नौर	3.81	19.58	8271	9093	17364
				आसफपुर	10.63	27.06	5901	5305	11206
				बिसौली	10.42	26.81	5478	5975	11453
				रजपुरा	3.4	16.18	7549	8553	16102
				दहगया	3.76	13.59	9102	8397	17499
7	सिद्धार्थनगर	11.92	29.4	साथा	12.62	34.86			0
				खसहरा	10.79	31.28			0
				बांसी	8.01	26.32			0
				मिठवल	11.96	32.56			0
				डुमरियागंज	19.22	28.39			0
				भनवापुर	9.57	26.75			0
				इटवा	10.63	23.65			0
				खुनियांव	6.44	25.94			0
				जोगिया	5.07	27.77			0
				उरका	11.02	30.38			0
				नौमढ़	10.64	33.19			0
				शाहरतगढ़	8.68	30.94			0
				वढ़नी	9.34	22.08			0
				वर्डपुर	11.05	32.06			0
8	महाराजगंज		35.04	विठौरा	27.05	39	2214	2779	4993
				निचलौल	25.5	27.06	12094	5711	17805
				सिसवां	28.04	37	3997	5476	9473

N.P.EG.E.L. U.P. हेतु चयनित विकासखण्डों का जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	महिला साक्षरता	जेन्डर गैप जनपद	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर	जेन्डर गैप	विद्यालय न जाने वाले बच्चें बालक	बालिका	योग
				घुघली	29.03	39.02	1526	2320	3846
				पुरतापल	29.02	43.03	3242	3538	6780
				पनियरा	26.04	40.05	2734	2236	4970
				फरेंदा	26.8	40.08	2385	1355	3740
				धानी	28.05	37.09	904	913	1817
				लक्ष्मी पुर	29.02	34.06	4579	4739	9318
				नौतनवा	28.09	35.08	13290	5717	19007

सर्व शिक्षा अभियान अन्तगत प्रोग्राम आफ एजूकशन फार गल्स एट एलीमेन्ट्री लेवल (NPEGEL) की कार्ययोजना एवं बजट वर्ष **2003-04**

S.No	Name of Item	Unit	Balrampur		Budaun		Srabasti		Gonda		Bahraich	
		Cost	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	Recurring grant	20000	9	180000	18	360000	5	100000	16	320000	14	280000
2	Awards to teachers	5000	9	0		0	0	0	0	0	0	0
3	Student evaluation, Remedial teaching, Bridge course, Alternative schooling	10000	9	90000	18	180000	5	50000	16	160000	14	140000
4	Learning through open schools	50000					0		0		0	
5	Teachers Training	140	36	5040	72	10080	20	2800	64	8960	56	7840
6	Child care Centers	6000	9	54000	18	108000	5	30000	16	96000	1	6000
7	Uniforms and workbooks for girls	150	2712	176280	3600	234000	903	58695	4090	265850	3500	227500
8	Coommunity Mobilization	35000	4	140000	4	140000	4	140000	4	140000	4	140000
9	Library, Spots Etc..	30000	9	270000	18	540000	5	150000	16	480000	14	420000
10	Construction of Additional Class room	200000	9	1800000	18	3600000	5	1000000	16	3200000	1	200000
	Total			2715320		5172080		1531495		4670810		1421340
	Management cost (6%)			162919.2		310324.8		91889.7		280248.6		85280.4
	Grand Total		**2806**	**2878239.2**	**3766**	**5482404.8**	**952**	**1623385**	**4238**	**4951059**	**3604**	**1506620**

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रोग्राम आफ एजूकेशन फॉर [illegible] की कार्ययोजना [illegible]

S.No	Name of Item	Unit Cost	[illegible]		[illegible]		Srabasti		[illegible]		[illegible]	
			Phy	Fin.	Phy	Fin.	Phy,	Fin.	Phy	Fin.	Phy	Fin.
1	Recurring grant	20000	9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	100000	[illegible]	[illegible]	18	[illegible]
2	Awards to teachers	5000	9	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]
3	Student evaluation, Remedial teaching, Bridge course, Alternative Schooling	10000	9	[illegible]	[illegible]	180000	5	50000	[illegible]	[illegible]	18	[illegible]
4	Learning through open schools	50000					0		[illegible]			
5	Teachers Training	140	36	5040	72	10080	20	2800	[illegible]	[illegible]	72	[illegible]
6	Child care Centers	6000	9	[illegible]	18	108000	5	30000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Uniforms and workbooks for girls	150	2712	[illegible]	3600	234000	903	58695	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Coommunity Mobilization	35000	4	140000	4	140000	4	140000	4	140000	4	140000
9	Library, Spots Etc..	30000	9	270000	18	540000	5	150000	16	480000	14	420000
10	Construction of Additional Class room	200000	9	1800000	18	3600000	5	1000000	16	3200000	1	200000
	Total			2715320		5172080		1531495		4670310		1421340
	Management cost (6%)			162919.2		810324.8		91889.7		280248.6		85280.4
	Grand Total		**2806**	**2878239.2**	**3766**	**5482404.8**	**952**	**1623385**	**[illegible]**	**[illegible]**	**3604**	**[illegible]**

Rampur		Maharajganj		Siddarthngar		Total	
Phy.	**Fin.**	**Phy.**	**Fin.**	**Phy.**	**Fin.**	**Phy.**	**Fin.**
6	120000	11	220000	12	240000	91	1820000
0	0	0	0	0	0	9	0
6	60000	11	110000	12	120000	91	910000
0		0		0		0	0
24	3360	44	6160	44	6160	360	50400
3	18000	0	0	6	36000	58	348000
1500	97500	2750	178750	3000	195000	22055	1433575
4	140000	4	140000	4	140000	32	1120000
6	180000	11	330000	12	360000	91	2730000
3	600000	10	2000000	6	1200000	68	13600000
	1218860		2984910		2297160	0	22011975
	73131.6		179094.6		137829.6	0	1320718.5
1552	**1291992**	**2841**	**3164005**	**3096**	**2434990**	**22855**	**45344668.5**

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समावार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

SARVA SHIKSHA ABHIYAN

Balrampur

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	50	12950	0	0	4	1024	0	0	54	13974
A2	New Upper Primary Schools	451	22	9922	141	39480	0	0	4	1120	0	0	167	50522
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	66	6300	66	7920	66	7920	66	7920	66	7920	330	37980
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	50	675	50	1237.5	54	1336.5	54	1336.5	208	4585.5
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	50	2700	50	5400	54	5832	54	5832	208	19764
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	423	25380	423	50760	435	52200	435	52200	1716	180540
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	50	500	0	0	4	40	0	0	54	540
A8.2	UPS	50	35	1750	141	7050	0	0	4	200	0	0	180	9000
A9	TLE UPS not covered OBB	50	105	5250	0	0	0	0	0	0	0	0	105	5250
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	**23222**	0	**96655**	0	**65517.5**	0	**69872.5**	0	**67488.5**		**322755.5**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	175	3696.875	175	3696.875	175	3696.875	175	3696.875	700	14787.5
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	AIE Primary including all models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	0.85	0	0	0	0	95	2006.875	95	2006.875	95	2006.875	285	6020.625
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	20	720	50	1800	100	3600	100	3600	270	9720
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	15	900	15	900	15	900	45	2700
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	3	540	1	180	1	180	1	180	6	1080
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	101	3413.8	24	811.2	24	811.2	24	811.2	173	5847.4
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	**23222.00**	0	**105025.68**	0	**75162.45**	0	**81317.45**	0	**78933.45**	**0**	**363661.03**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	10	1910	50	9550	50	9550	40	7640	150	28650
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	0	0	10	3830	25	9575	5	1915	40	15320
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	80	5600	138	9660	100	7000	100	7000	418	29260
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	10	700	20	1400	30	2100	25	1750	5	350	90	6300
R4.1	Toilets Upper Primary	10	30	300	0	0	50	500	50	500	18	180	148	1480
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	101	1010	200	2000	150	1500	59	590	510	5100
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	949	4745	949	4745	999	4995	1003	5015	3900	19500
R6.2	Repair & Maintenanbe of School UPS	5	175	875	175	875	203	1015	278	1390	282	1410	1113	5565
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0	0	0	1293	32001.75	1293	32001.75	1293	32001.75	3879	96005.25
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	1293	17456	0	0	0	0	0	0	1293	17455.5
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	974	1948	1002	2004	1006	2012	1006	2012	3988	7976
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	175	350	275	550	340	680	436	872	436	872	1662	3324
R12	**Promoting Girls Education**		0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	90	405	90	405	90	405	270	1215
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	5	375	5	375	5	375	15	1125
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	5	125	5	125	5	125	15	375
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	30	42	42	58.8	42	58.8	114	159.6
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	12	45	12	45	12	45	36	135
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	12	18	12	18	12	18	36	54
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	12	0.84	12	0.84	12	0.84	36	2.52
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	25	70	25	70	25	70	75	210
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	101	505	101	505	101	505	303	1515
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	667	320.16	0	0	0	0	667	320.16	1334	640.32
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	6	30	6	30	6	30	18	90
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	711	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	5711
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	1335	3337.5	1427	3567.5	1427	3567.5	4189	10472.5
	RETENTION Sub Total		0	**5874**	0	**40813.66**	0	**73089.1**	0	**76395.89**	0	**64556.05**	**0**	**260728.69**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	105	220.5	50	105	0	0	4	8.4	0	0	159	333.9
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	50	105	16	33.6	0	0	66	138.6
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	0	0	2837	3971.8	2861	4005.4	2915	4081	2915	4081	11528	16139.2
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	0	0	754	791.7	950	997.5	962	1010.1	962	1010.1	3628	3809.4
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	1343	1880.2	1347	1885.8	1347	1885.8	4037	5651.8
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	18	12.6	18	12.6	18	12.6	54	37.8
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	101	70.7	101	70.7	101	70.7	303	212.1
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	30	42	30	42	0	0	60	84
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	9	3.15	9	3.15	9	3.15	27	9.45
Q2	IED Provision for disable children	1.2	0	0	564	676.8	564	676.8	564	676.8	564	676.8	2256	2707.2
Q2.1	**IED-Medical Assessement**	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	5
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	4	563.2	0	0	0	0	4	563.2
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	3037	1518.5	4218	2109	4226	2113	4226	2113	15707	7853.5
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	105	52.5	1543	771.5	1205	602.5	1217	608.5	1217	608.5	5287	2643.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	111600	5580	88552	4427.6	90373	4518.65	92129	4606.45	382654	19132.7
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	20333	3049.95	11410	1711.5	37101	5565.15	37843	5676.45	38600	5790	145287	21793.05
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	1117	167.55	0	0	0	0	1117	167.55
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	152	7.6	402	20.1	402	20.1	956	47.8
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	839	12585	839	12585	839	12585	2517	37755
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	278	2085	278	2085	278	2085	834	6255
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
	QUALITY Sub Total		0	**3322.95**	0	**15126.8**	0	**35955.95**	0	**35480.85**	0	**35603.2**		**125489.75**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	9	324	9	324	9	324	27	972
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	9	90	9	90	9	90	27	270
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	9	54	9	54	9	54	9	54	36	216
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	9	45	9	45	9	45	9	45	36	180
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.11	Contigency	12.5	0	0	9	112.5	9	112.5	9	112.5	9	112.5	36	450
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	0	0	101	505	0	0	101	505
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	101	101	101	101	101	101	101	101	404	404
C3.4	Contingency	2.5	0	0	101	252.5	101	252.5	101	252.5	101	252.5	404	1010
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	101	242.4	101	242.4	101	242.4	101	242.4	404	969.6
C4	District Project Office/Management		0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	6	1080	7	1260	7	1260	7	1260	27	4860
C4.3	Salary of AE	15	0	0	1	180	1	180	1	180	1	180	4	720
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	1	30	1	30	1	30	1	30	4	120
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	1	30	1	30	1	30	1	30	4	120
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	2	36	2	36	2	36	6	108
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	15	150	15	150	15	150	15	150	60	600
C4.9	Consumaables	40	0	0	1	40	1	40	1	40	1	40	4	160
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	1	30	1	30	1	30	1	30	4	120
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400
C4.12	Pay to JE	10	0	0	9	1080	9	1080	9	1080	9	1080	36	4320
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	949	1328.6	949	1328.6	949	1328.6	1002	1402.8	3849	5388.6
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	210	294	175	245	338	473.2	400	560	400	560	1523	2132.2
C4.16	Contingency	100	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400
C4.17	AWP & B	10	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
	Total		0	556	0	5231	0	6089.2	0	6681	0	6250.2		24807.4
C5	MIS		0	0	0	0	0	-	0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	554	0	0	0	0	0	0	1	554
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	1	90	1	90	3	270
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	0	0	0	0	1	20
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	0	0	1	30	0	0	1	30
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		0	**556**	0	**5785**	0	**6463.2**	0	**7065**	0	**6604.2**	**0**	**26473.4**
	GRAND TOTAL		0	**32975.0**	0	**166751.14**	0	**190670.69**	0	**200259.19**	0	**185696.90**	**0**	**776352.87**

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention — **Balrampur**

	2002-03	2003-04	20004-06	2006-06	2006-07	Total
Civil	10922.0	62350.0	27640.0	32019.0	17675.0	150606.0
Managemant	294.0	4423.6	5241.8	5338.6	5382.8	21234.8
Programme	21759.0	99977.5	157788.9	162901.6	162639.1	604512.1
Total	**32975.0**	**166751.1**	**190670.7**	**200259.2**	**185696.9**	**776352.9**
Percentage - Civil	**33.1**	**37.4**	**14.5**	**16.0**	**9.5**	**19.4**
Percentage - Management	**0.9**	**2.7**	**2.7**	**2.7**	**2.9**	**2.7**
Percentage - Programme	**63.0**	**60.0**	**82.8**	**81.3**	**87.6**	**77.9**
Percentage - Total	**100**	**100**	**100**	**100**	100	100